लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक अगस्त ३०, १९९७

की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 1997 मे विचारणीय विषयों की कार्य-सूची।

क्रम स0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	11
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये जा रहे कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।	22
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्ययक लेखा तथा बैलेन्स शीट 89-90, 90-91 तथा 91-92 पर आख्या।	23
5.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन डिजाइन हेतु प्राइवेट वास्तुविद के चयन से सम्बन्धित।	26
6.	कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के पद्नाम परिवर्तन सं सम्बन्धित प्रस्ताव।	28
7.	श्री मानसिंह, अवर अभियन्ता एवं श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धि।	30
8.	न्युनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रु0 375/- निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित।	32
9.	ब्राइट-वे स्कूल को भूखण्ड आक्टन से सम्बन्धित।	33
10.	उ.प्र.चीनी निगम को हरित पट्टिका की भूमि आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित।	34

क्रमशः-----

11.	हरित पॉट्टका एवं सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।	40
12.	भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय विभिन्न शुल्क आरोपित किये जाने से सम्बन्धित।	50
13.	शमन-उपविधि के प्राविधानों से सम्बन्धित।	53
14.	शमन-उपविधि, 1996 लागू होने से पूर्व के प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित।	62
15.	सुदृढ़ीकरण एवं विकास शुल्क से सम्बन्धित।	64
16.	मल्टी स्टोरी कामर्शियल काम्पलेक्स में भू-तल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखने से सम्बन्धित।	65
17.	दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।	66
18.	श्री कैलाश शंकर अवस्थी को आवन्टित भूखण्ड संख्याःबी-2/48 विपुल के निमित्त लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ किये जाने से सम्बन्धित।	70
19.	गोमती नगर योजना मे श्री गोपाल कृष्ण, विधायक, को आवन्टित भूखण्ड के निमित्त लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने से सम्बन्धित।	71
20.	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवन्टित सम्पत्ति के स्थान पर उसी योजना/अन्य योजना मे परिवर्तित/समायोजित किये जाने से सम्बन्धित।	72
21.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

विषय संख्याः 1 पृष्ठ संख्याः 1

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 6 दिसम्बर, 1996

के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास

प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 6 दिसम्बर,

1996 का कार्यवृत्त

पुष्टि हेतु संलग्न

किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 6 दिसम्बर, 1996 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री देश दीपक वर्मा	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3.	श्रीमती सुरजीत कौर संधु	आवास आयुक्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
4.	श्री सुशील कुमार	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण।
5.	श्री वीरेश कुमार	विशेष सचिव, उ.प्र. शासन, आवास विभाग।
6.	श्री ललित वर्मा	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
7.	श्री आर. प्रसाद	अपर निदेशक, उ.प्र. पर्यटन विभाग।
8.	श्री संजय भाटिया	मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
9.	श्री बी.एस.माथुर	मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जलनिगम, लखनऊ।
10.	श्री एम.पी.अनेजा	वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र. नगर नियोजन विभाग।
11.	श्री मधुसूदन रायजादा	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

क्रमशः-------

विषय संख्याः 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्याः 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः गत बैठक दिनांक 21 अगस्त, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या के बिन्दु-3 पर प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या पर विचार विमर्श के समय शमन की कार्यवाही में और तेजी लाने के लिये तथा शमन से प्राप्त होने वाली आय में वृध्दि के लिये समुचित कार्यवाही के लिये निर्णय लिया गया।

यह भी निर्देश दिये गये कि सबसे खराब कार्य करने वाले दस कर्मचारियों के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये जिससे कार्य में अपेक्षित सुधार हो सके।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या की समीक्षा के अन्तर्गत ही किराये पर उठी सम्पत्तियों के विक्रय के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिये गये तथा लीज-प्लान बनाने में आवश्यकतानुसार और अधिक अधिकारियों को लगाने के निर्देश दिये गये।

किराये पर उठी सम्पत्तियों में जहाँ अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण हो, उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही में तेजी लाने तथा 31.12.96 तक सभी इच्छुक क्रेताओं को लीज-प्लान अवश्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्याः 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।

निर्णयः वित्तीय प्रगति की सही स्थिति की जानकारी के लिये विभिन्न मदों में आय के आकड़े प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमें गत वर्ष भी आलोच्य अवधि तक उस मद में होने वाली आय को दर्शाने के लिये निर्देश दिये गये, इसमें अनिस्तारित सम्पत्तियों, अपूर्ण निर्माण या विकास कार्यों तथा ऐसी भूमि जो कब्जे में है किन्तु उसमें कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, उसका विवरण भी आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

किराये पर उठी सम्पत्ति के निस्तारण की प्रगति भी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण एवं बकाये के विवरण के प्रपत्र-आठ (VIII) में आलोच्य वित्तीय वर्ष की बकाया धनराशि, अर्थात बकाया किश्तों की धनराशि को दर्शाये जाने के निर्देश दिये गये।

क्रमशः--------

विषय सँख्याः 4 अमर शहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फलाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने के प्राजेक्ट पर विचार।

निर्णयः प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे लागत-लाभ की गणना ठीक प्रकार से नही की गई है। सम्पूर्ण भूमि, जो अधिग्रहीत की जानी होगी, उसकी लागत इसमे ली जानी चाहिये थी। साथ ही फार्म-हाउस के लिये अधिक भू-भाग रखा जा सकता है। चूंकि फार्म-हाउस के लिये आन्तरिक विकास का कार्य अपेक्षाकृत कम होगा, अतएव इस बिन्दु पर लागत भी कुछ कम हो सकेगी। अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर जो प्राविधानित किया गया है, उसका भी पुनः परीक्षण कर लिया जाये। तदनुसार प्रोजेक्ट वायबिलिटी का अध्ययन करने के लिये किसी कनसल्टेन्ट की सेवायें ले ली जाये। तत्पश्चात प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाय।

विषय सँख्याः 5 प्राधिकरण की ऐसी सम्पत्तियाँ जिनको प्रयास करने के बावजूद आरक्षित (रिजर्व) कीमत पर निस्तारित नही किया जा सका उसके सम्बन्ध मे कीमत को स्थिर (फ्रीज) किये जाने पर विचार।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार फ्रीज की गई दर पर रिर्जव कीमत निर्धारित करके केवल नीलामी व्दारा ही किया जायेगा।

विषय सँख्याः 6 प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं मे लीज भूमि को फ्री-होल्ड मे बदलने के लिये निर्धारित मूल्य के 12 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान मे प्राधिकरण की ट्रस्ट एवं योजनागत भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड करने की जो प्रचलित व्यवस्था है वह 31 दिसम्बर, 1996 को समाप्त हो जायेगी। इसके उपरान्त नई व्यवस्था को अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

विषय सँख्याः 7 विकास प्राधिकरण के नियमों मे जिन विषयों पर कोई प्राविधान नही है, उन पर नेशनल बिल्डिँग कोड उस सीमा तक लागू किये जाने पर विचार कि उसके कोई प्राविधान विकास प्राधिकरण के किसी प्राविधान के विपरीत नहीं होगें।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ ही शासन से भवन मानचित्रों के सम्बन्ध मे प्रेषित माडल उपविधियों को एडाप्ट किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार व्यवस्था के बाद भी यदि कोई विषय या बिन्दु अनिर्धारित रहेगा तो उस पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं वरिष्ठ नियोजक, उत्तर प्रदेश की समिति व्दारा अपनी आख्या एवं संस्तुति अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी, जो उसपर निर्णय लेने के लिये सक्षम होगें और उनके निर्णय के उपरान्त निर्णय मे निहित प्राविधानों को लागू कर दिया जायेगा।

क्रमशः---------

विषय सँख्याः 8 प्राधिकरण की कालोनियों मे सफाई व्यवस्था के लिये सफाई सरचार्ज वसूल किये जाने के सम्बन्ध मे विचार।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का बोर्ड व्दारा अनुमोदन किया गया। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर विचार कर लें कि सरचार्ज की वसूली प्राधिकरण व्दारा सीधे की जायेगी या ठेकेदार के माध्यम से। चर्चा के दौरान इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि ठेकेदार से वसूली कराई जाये और ठेकेदार को देय धनराशि का समायोजन इस प्रकार वसूली जाने वाली धनराशि को काट कर किया जाये ताकि प्राधिकरण पर वित्तीय भार न पड़े। इस सम्बन्ध मे विस्तृत रूप-रेखा बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय सँख्याः 9 बड़े भूखण्डों के मूल्य निर्धारण मे इस समस्या को देखते हुए कि काफी क्षेत्र सड़क व अन्य सुविधाओं मे निकल जाता है जबकि मूल्य पूरी भूमि पर निर्धारित किया जाता है अतः 1000 वर्गमीटर से बड़े नजूल भूखण्ड का प्राधिकरण को हस्तान्तरण होने पर उसे बल्क भूमि मानकर 50 प्रतिशत धनराशि शासन को और 50 प्रतिशत स्थल से जुड़े विकास कार्यो पर व्यय के लिये प्राधिकरण को दिये जाने की नीति के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः प्रस्ताव का इस निर्देश के साथ अनुमोदन किया गया कि नजूल भूखण्डो मे विक्रय योग्य क्षेत्रफल कम होने के कारण विक्रय योग्य क्षेत्रफल जो लगभग 50 प्रतिशत होता है की गणना करके उसका मूल्य शासन मे जमा कराया जाये। भूखण्ड के वास्तविक विक्रय से जो आय प्राप्त होगी उसमे से प्राधिकरण, भूखण्ड पर सड़कों आदि अन्य सुविधाओं के विकास के लिये धनराशि इस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव आवास विभाग,उ॰प्र॰शासन ने भी सैध्दान्तिक सहमति दी।

विषय सँख्याः 10 श्री सँजय सक्सेना, अवर वर्ग सहायक, ल॰वि॰प्रा॰ के पुत्र मास्टर शँशाँक सक्सेना के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि कर्मचारी को उसके पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक व्यय की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।

विषय सँख्याः 11 श्री पुलकेशन कुमार सिँह, अवर अभियन्ता, ल॰वि॰प्रा॰ के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि कर्मचारी व्दारा उसकी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक व्यय की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।

विषय सँख्याः 12 श्रीमती ब्रज किशोरी मुल्ला को भूखण्ड सँख्याः126/31, बी॰एन॰रोड पर होटल की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध मे विचार।

निर्णयः परिचालन से पारित पूर्व प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय सँख्याः 13 खसरा सँख्याः 1056, 1059, निराला नगर, आई॰टी॰चौराहा के आवासीय भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग मे परिवर्तित करने के सम्बन्ध मे विचार।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि इस भूखण्ड के लिये ग्राउन्ड कवरेज 40 प्रतिशत एवं एफ॰ए॰आर॰ 1॰2(120 प्रतिशत) अनुमन्य होगा।

क्रमशः------

विषय सँख्याः 14 सरोजनी नायडू पार्क मे भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट की स्थिति की सूचना पर विचार।

निर्णयः सूचनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार हुआ तथा यह निर्णय हुआ कि माननीय न्यायालय में भी पूरे तथ्य रख दिये जाये व मा॰न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। राजकीय निर्माण निगम से या अन्य किसी एजेन्सी को कार्य सौपे जाने के सम्बन्ध मे भी विचार किया जाये।

विषय सँख्याः 15 हरदोई रोड योजना मे ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स/प्रमोटर्स को भी निविदा देने की शर्त रखने पर विचार जो कुल 50॰00 करोड़ की लागत का कार्य कर चुके हों या 50 एकड़ भूमि विकसित कर चुके हों।

निर्णयः प्राधिकरण व्दारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रमुख सचिव आवास व्दारा शासन की ओर से सैध्दान्तिक स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि यह अनुमति ल॰वि॰प्रा॰ व्दारा हरदोई रोड योजना के लिये ही एक प्रयोग के रूप मे मानी जायेगी और इसे अन्य मामलो मे बिना शासन की अनुमति के लागू नही किया जायेगा।

विषय सँख्याः 16 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड मे पत्रकारों को आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः प्रस्ताव को इस सँशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि पत्रकार उक्त भूखण्ड को 10 वर्ष तक विक्रय नही कर सकेगें तथा बाद मे विक्रय करने पर शासन व्दारा प्रदत्त सबसिडी को ब्याज सहित वापस लिया जायेगा जिसे शासन को वापस किया जाना होगा। प्रकरण पर कार्यवाही सूचना निदेशालय के माध्यम से होगी एवँ शासन की सबसिडी मिलने के बाद ही होगी।

विषय सँख्याः 17 सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत अम्बेदकर नगर योजना का लगभग 586 एकड़ भूमि का कब्जा किसानों से समझौते के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव की सैध्दान्तिक सहमति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि समझौते व्दारा निर्धारित मूल्य सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि पर लागू होगा। इस दृष्टि से उपाध्यक्ष व्दारा निर्देशित अधिकारियों की एक समिति प्रत्येक मामलों की समीक्षा करके, भूमि की श्रेणी/स्थिति तथा मूल एवार्ड मे निर्धारित धनराशि की समीक्षा करके, आनुपातिक कटौती प्रस्तावित करेगी जिसके अनुसार भुगतान किया जायेगा।

विषय सँख्याः 18 अवध अपार्टमेन्ट हेतु आर्किटेक्ट के चयन के सम्बन्ध मे।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय सँख्याः 19 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवन्टित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।

निर्णयः बैठक के समय प्रस्तुत 16 प्रकरणों मे, सँलग्न चार्ट के अनुसार एक योजना मे आवन्टित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना मे सम्पत्ति के परिवर्तन के लिये अनुमोदन इस निर्देश सहित प्रदान किया गया कि नियमानुसार देय के भुगतानोपरान्त किया जायेगा तथा विपुल खण्ड मे समायोजन नही किया जायेगा। भविष्य मे ऐसे प्रकरणों को हतोत्साहित करने के निर्देश भी दिये गये।

क्रमशः--------

विषय सँख्याः 20 दण्ड ब्याज एवँ परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध मे एक नीति बनाई जाये और सभी प्रस्तावों का परीक्षण उसके अन्तर्गत करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 21 श्री देवराज मिश्र, सदस्य विधान परिषद, उ॰प्र॰ को आवन्टित भूखण्ड सँख्याःबी-5/71, विनीत खण्ड का मूल्य आसान किश्तों मे लिये जाने के सम्बन्ध मे विचार।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 22 रायबरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्र पर आरोपित मलबा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय सँख्याः 23 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड मे व्यवसायिक/होटल के लिये निर्धारित भूखण्ड के लिये एफ॰ए॰आर॰ मे परिवर्तन।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ग्राउन्ड कवरेज 35 प्रतिशत तथा एफ॰ए॰आर॰ 2॰00(200 प्रतिशत) की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय सँख्याः 24 मल्टी स्टोरी कामर्शियल काम्पलेक्स मे भूतल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखा जाना।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय सँख्याः 25 गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड-2 मे नर्सिंग होम हेतु आवन्टित भूखण्ड को व्यवसायिक प्रयोग हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः प्रस्ताव पर चर्चा के समय शासन की अनुमति के बिन्दु पर प्रमुख सचिव, आवास व्दारा अवगत कराया गया कि क्योंकि सम्पत्ति आवन्टित हो चुकी है, अतः शासन की अनुमति वान्छित नही है। प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।दर के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया गया कि नर्सिंगहोम की दर आवासीय की डेढ़-गुना एवँ व्यवसायिक की दो-गुना होती है तदनुसार अवशेष धनराशि ले ली जाये। ऐसे प्रकरण हतोत्साहित भी किये जायें।

विषय सँख्याः 26 टिकैतराय आवासीय योजना मे श्रीमती मीरा बक्शी के विवादित भूमि का समायोजन।

निर्णयः प्रकरण मे निर्णय के लिये अध्यक्ष एवँ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जिनके समक्ष प्राधिकरण व्दारा पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायेगें और उक्त समिति व्दारा प्रश्नगत प्रकरण मे जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।

क्रमशः------

विषय संख्या: 27 टिकैतराय आवासीय योजना मे श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा की भूमि खसरा संख्या:33/5, 33/6, 33/7, 33/8 व 33/9 ग्राम कटरा खुदायार खॉ के अर्जनके बदले पॉच साइट ऐण्ड सर्विसेज के भूखण्ड व एक बड़ा भूखण्ड आवन्टित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रकरण मे निर्णय के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जिनके समक्ष प्राधिकरण व्दारा पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायेगें और उक्त समिति व्दारा प्रश्नगत प्रकरण मे जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।

§ मधुसूदन रायजादा §
सचिव

§ ललित वर्मा §
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

§ देश दीपक वर्मा §
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं.	आवंटी का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आवंटन पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन का आवंटी द्वारा वांछित कारण
1	2	3	4	5	6
1.	कु. सुधना श्रीवास्तव ...	जलीगंज योजना	भूखण्ड सं:सी-135/ई वर्ष 90 में आवंटित	गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड।	कब्जा न दे पाने के कारण।
2.	श्रीमती मीना सिंह	टिकैतराय योजना	भवन सं:डी-642/2 लाटरी पध्दति से आवंटित।	कानपुर रोड सेक्टर "आई" में भवन	कब्जा न दे पाना
3.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	सीतापुर रोड योजना	भूखण्ड सं.:3/157 लाटरी पध्दति	गोमती नगर योजना में भूखण्ड।	सं. लोकआयुक्त के आदेशानुसार
4.	डा. सँगीता	टिकैतराय योजना	भवन सं:बी-359/2 नाम परिवर्तन द्वारा	कानपुर रोड योजना	कब्जा न दे पाना

एक योजना में आवन्टित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं.	आवन्टी का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवन्टित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आवन्टन पध्दति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन का आवन्टी द्वारा वर्णित कारण
1	2	3	4	5	6
5.	श्री आर.सी. श्रीवास्तव	शारदा नगर योजना	भूखण्ड सं: ए-2/7 रुचि खण्ड-1, लाटरी पध्दति।	गोमती नगर योजना	भूखण्ड उपयुक्त न होना।
6.	श्री मारकण्डेय सिंह	अलीगंज योजना	भूखण्ड सं0:बी-2/ओ 21.5.87 सीधे आवन्टित।	गोमती नगर योजना में भूखण्ड	भूखण्ड उपयुक्त न होना।
7.	श्रीमती तनूजा सोमवंशी	शारदा नगर ---- रायबरेली रोड	भूखण्ड सं:बी-1/366 रश्मि खण्ड, कैशडाउन	गोमती नगर में भूखण्ड	
8.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	गोमती नगर योजना	भवन सं: एलआईजी 5/956, लाटरी प.	गोमती नगर में भूखण्ड	पिता की बीमारी के कारण सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत।

एक योजना में आवंटित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं· आवन्टी का नाम	योजना का नाम जहाँ सम्पत्ति आवंटित है	सम्पत्ति का प्रकार तथा आवन्टन पद्धति	योजना जहाँ परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन का आवन्टी द्वारा वर्णित कारण
1 2	3	4	5	6
9· श्री सुमंत	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स0:1/216 राशम खण्ड, लाटरी प·	गोमती नगर योजना	विकास कार्य न होना।
10·श्री तेजकिशन रस्तोगी	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स0:1/348 राशम खण्ड,	गोमती नगर योजना	
11·श्री दुर्गाप्रसाद वाजपेयी	अलीगंज योजना	भूखण्ड स0:सी-75 सेक्टर "ओ"	गोमती नगर योजना	-
12·श्रीमती मनोरमा सिंह	जानकीपुरम योजना	भूखण्ड स0:2/914 सेक्टर -एच	गोमती नगर योजना	कब्जा न दे पाना।
13·श्री उमेश सेठ	अलीगंज योजना	भूखण्ड संख्या:सी-59 सेक्टर-ए,गोमतीनगर से परिवर्तित	गोमती नगर योजना	कब्जा न दे पाना।
14·श्री जगदीश मिश्रा	शारदा नगर योजना	भूखण्ड स0:1/26 राशम खण्ड,नकद भु·	गोमती नगर योजना	उपयुक्त न होना।
15·श्रीमती विनोद तिवारी	शारदा नगर योजना	भू·स·:1/85 राशम, नकद भु·	गोमती नगर योजना	अनउपयुक्त
16·श्री एस·के·श्रीवास्तव	शारदा नगर योजना	भू·स·:वी-3/334 राशम खण्ड।	गोमती नगर योजना	अनउपयुक्त

विषय सँख्याः 2

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 6 दिसम्बर, 1996 मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय क्रमाक, विषय एवँ लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
1	2
विषय सँख्याः 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	
निर्णयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 21 अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
विषय सँख्याः 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 21 अगस्त, 1996 मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	
निर्णयः गत बैठक दिनाँक 21 अगस्त, 1996 मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या के बिन्दु-3 पर प्राधिकरण के कार्यो की भौतिक एवँ वित्तीय प्रगति आख्या पर विचार विमर्श के समय शमन की कार्यवाही मे और तेजी लाने के लिये तथा शमन से प्राप्त होने वाली आय मे वृध्दि के लिये समुचित कार्यवाही के लिये निर्णय लिया गया।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
यह भी निर्देश दिये गये कि सबसे खराब कार्य करने वाले दस कर्मचारियों के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये जिससे कार्य मे अपेक्षित सुधार हो सके।	
भौतिक एवँ वित्तीय प्रगति आख्या की समीक्षा के अन्तर्गत ही किराये पर उठी सम्पत्तियों के बिक्रय के कार्य मे और तेजी लाने के निर्देश दिये गये तथा लीज-प्लान बनाने मे आवश्यक्तानुसार और अधिक अधिकारियों को लगाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2
किराये पर उठी सम्पत्तियों मे जहाँ अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण हो,उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही मे तेजी लाने तथा 31·12·96 तक सभी इच्छुक क्रेताओं को लीज-प्लान अवश्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।	इच्छुक क्रेताओं को लीज़-प्लान उपलब्ध करा दिये गये है तथा अन्य कार्यवाही सम्पादित की जा रही हैं।
विषय सँख्या:3 लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा दिये जा रहे कार्यो की वित्तीय एवँ भौतिक प्रगति आख्या।	
निर्णय : वित्तीय प्रगति की सही स्थिति की जानकारी के लिये विभिन्न मदों मे आय _____ के आकड़े प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमे गत वर्ष भी आलोच्य अवधि तक उस मद मे होने वाली आय को दशाने के लिये निर्देश दिये गये, इसमे अनिस्तारित सम्पत्तियों, अपूर्ण निर्माण या विकास कार्यो तथा ऐसी भूमि जो कब्जे में है किन्तु उसमे कोई विकास कार्य नही हो पा रहा है, उसका विवरण भी आगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। किराये पर उठी सम्पत्ति के निस्तारण की प्रगति भी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये विभिन्न वित्तीय सँस्थाओं से लिये गये ऋण एवँ बकाये के विवरण के प्रपत्र-आठ{ VIII } मे आलोच्य वित्तीय वर्ष की बकाया धनराशि, अर्थात बकाया किश्तों की धनराशि को दर्शाये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णयानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जा रही है।

1	2
विषय सँख्याः 4 अमर शहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फलाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने के प्राजेक्ट पर विचार।	
निर्णयः प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे लागत-लाभ की गणना ठीक प्रकार से नही की गई है। सम्पूर्ण भूमि, जो अधिग्रहीत की जानी होगी, उसकी लागत इसमे ली जानी चाहिये थी। साथ ही फार्म-हाउस के लिये अधिक भू-भाग रखा जा सकता है। चूकिँ फार्म-हाउस के लिये आन्तरिक विकास का कार्य अपेक्षाकृत कम होगा, अतएव इस बिन्दु पर लागत भी कुछ कम हो सकेगी। जनफोरसीन एक्सपेन्डीचर जो प्राविधानित किया गया है, उसका भी पुनः परीक्षण कर लिया जाये। तद्नुसार प्रोजेक्ट वायबिलिटी का अध्ययन करने के लिये किसी कनसल्टैन्ट की सेवायें ले ली जाये। तत्पश्चात प्रस्ताव पर पुनीविचार किया जाय।	उक्त योजना हेतु अभी भूमि का अर्जन नहीं हो सका है। धारा-4/17 की विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी(भू॰अ॰) के स्तर पर विचाराधीन है। अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
विषय सँख्याः 5 प्राधिकरण की ऐसी सम्पत्तियाँ जिनको प्रयास करने के बावजूद आरक्षित (रिजर्व) कीमत पर निस्तारित नही किया जा सका उसके सम्बन्ध मे कीमत को स्थिर(फ्रीज) किये जाने पर विचार।	
निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार फ्रीज की गई दर पर रिजर्व कीमत निर्धारित करके केवल नीलामी व्दारा ही किया जायेगा।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2
विषय सँख्याः 6 प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं मे लीज भूमि को फ्री-होल्ड मे बदलने के लिये निर्धारित मूल्य के 12 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।	
निर्णयः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान मे प्राधिकरण की ट्रस्ट एवँ योजनागत भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड करने की जो प्रचलित व्यवस्था है वह 31 दिसम्बर, 1996 को समाप्त हो जायेगी। इसके उपरान्त नई व्यवस्था को अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।	
विषय सँख्याः 7 विकास प्राधिकरण के नियमों मे जिन विषयों पर कोई प्राविधान नही है, उन पर नेशनल बिल्डिँग कोड उस सीमा तक लागू किये जाने पर विचार कि उसके कोई प्राविधान विकास प्राधिकरण के किसी प्राविधान के विपरीत नहीं होगें।	
निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ ही शासन से भवन मानचित्रों के सम्बन्ध मे प्रेषित माडल उपविधियों को एडाप्ट किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार व्यवस्था के बाद भी यदि कोई विषय या बिन्दु अनिर्धारित रहेगा तो उस पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवँ वरिष्ठ नियोजक, उत्तर प्रदेश की समिति द्वारा अपनी आख्या एवँ सँस्तुति अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी, जो उसपर निर्णय लेने के लिये सक्षम होगें और उनके निर्णय के उपरान्त निर्णय मे निहित प्राविधानों को लागू कर दिया जायेगा।	लिये गये निर्णय के अनुशीलन के उपरान्त यह प्रकाश मे आया है कि चूँकि समस्त योजनागत एवं ट्रस्ट सम्पत्तियों पर फ्री-होल्ड की कार्यवाही शासनादेश सँख्या:1639/9-आ-1-95-80 मिस/86, दिनांक 10·5·95 के अनुसार निर्धारित की गई हैं अतएव केवल ट्रस्ट सम्पत्तियों की पृथक प्रक्रिया का निर्धारण व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। फ्री-होल्ड शुल्क मे, केवल पुरानी योजनाओं मे दर वृध्द किये जाने पर विधिक कठनाइयां आने की सम्भावना प्रबल होगी। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं मे उक्त व्यवस्था आज भी प्रभावी है जिसके अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जा रही है। अतएव पूर्व व्यवस्था को ही 31·12·96 के बाद भी लागू रखना ही उचित होगा। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2
विषय संख्याः 8 प्राधिकरण की कालोनियों मे सफाई व्यवस्था के लिये सफाई सरचार्ज वसूल किये जाने के सम्बन्ध मे विचार।	
निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर विचार कर लें कि सरचार्ज की वसूली प्राधिकरण द्वारा सीधे की जायेगी या ठेकेदार के माध्यम से। चर्चा के दौरान इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि ठेकेदार से वसूली कराई जाये और ठेकेदार को देय धनराशि का समायोजन इस प्रकार वसूली जाने वाली धनराशि को काट कर किया जाये ताकि प्राधिकरण पर वित्तीय भार न पड़े। इस सम्बन्ध मे विस्तृत रूप-रेखा बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जाये।	निर्णयानुसार ठेकेदार से वसूली कराये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल·वि·प्रा· द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्याः 9 बड़े भूखण्डों के मूल्य निर्धारण मे इस समस्या को देखते हुए कि काफी क्षेत्र सड़क व अन्य सुविधाओं मे निकल जाता है जबकि मूल्य पूरी भूमि पर निर्धारित किया जाता है अतः 1000 वर्गमीटर से बड़े नजूल भूखण्ड का प्राधिकरण को हस्तान्तरण होने पर उसे बल्क भूमि मानकर 50 प्रतिशत धनराशि शासन को और 50 प्रतिशत स्थल से जुड़े विकास कार्यो पर व्यय के लिये प्राधिकरण को दिये जाने की नीति के अनुमोदन पर विचार।	
निर्णयः प्रस्ताव का इस निर्देश के साथ अनुमोदन किया गया कि नजूल भूखण्डो मे विक्रय योग्य क्षेत्रफल कम होने के कारण विक्रय योग्य क्षेत्रफल जो लगभग 50 प्रतिशत होता है की गणना करके उसका मूल्य शासन मे जमा कराया जाये। भूखण्ड के वास्तविक विक्रय से जो आय प्राप्त होगी उसमे से प्राधिकरण, भूखण्ड पर सड़कों आदि अन्य सुविधाओं के विकास के लिये धनराशि इस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। प्रस्ताव पर प्रमुख सचिवस आवास विभाग, उ·प्र·शासन ने भी सैध्दान्तिक सहमति दी।	प्रश्नगत भूखण्डों के सम्बन्ध मे शासन से निर्देश प्राप्त हो गये हैं, तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2
विषय सँख्याः 10 श्री सँजय सक्सेना, अवर वर्ग सहायक, ल॰वि॰प्रा॰ के पुत्र मास्टर शँशाँक सक्सेना के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव।	
निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि कर्मचारी को उसके पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक व्यय की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।	निर्णयानुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
विषय सँख्याः 11 श्री पुलकेशन कुमार सिँह, अवर अभियन्ता, ल॰वि॰प्रा॰ के उपचार पर हो रहे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।	
निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि कर्मचारी व्दारा उसकी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक व्यय की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।	निर्णयानुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया गया।
विषय सँख्याः 12 श्रीमती बृज किशोरी मुल्ला को भूखण्ड सँख्याः126/31, वी॰एन॰रोड पर होटल की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।	
निर्णयः परिचालन से पारित पूर्व प्रस्ताव की पुष्टि की गई।	निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।
विषय सँख्याः 13 खसरा सँख्याः 1056, 1059, निराला नगर, आई॰टी॰चौराहा के आवासीय भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग मे परिवर्तित करने के सम्बन्ध मे विचार।	
निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि इस भूखण्ड के लिये ग्राउन्ड कवरेज 40 प्रतिशत एवँ एफ॰ए॰आर॰ 1·2(120 प्रतिशत) अनुमन्य होगा।	निर्णय के क्रम मे गजट नोटीफिकेशन हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया है।

1	2
विषय संख्याः 14 सरोजनी नायडू पार्क मे भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट की स्थिति की सूचना पर विचार।	
निर्णयः सूचनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार हुआ तथा यह निर्णय हुआ कि माननीय न्यायालय मे भी पूरे तथ्य रख दिये जाये व मा॰न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। राजकीय निर्माण निगम से या अन्य किसी एजेन्सी को कार्य सौपे जाने के सम्बन्ध मे भी विचार किया जाये।	सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया था। शासनादेश संख्या-2637/9-आ-1-97-15 यू॰डी॰/1996, दिनांक 20 अगस्त, 1997 द्वारा सरोजनी नायडू पार्क मे भूमिगत पार्किंग को न बनाये जाने एवं पार्क को यथास्थिति पूर्व की भाँति रखे जाने का निर्णय लिया गया है।माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य मे इसका परीक्षण कराया जा रहा है।
विषय संख्याः 15 हरदोई रोड योजना मे ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स/प्रमोटर्स को भी निविदा देने की शर्त रखने पर विचार जो कुल 50॰00 करोड़ की लागत का कार्य कर चुके हों या 50 एकड़ भूमि विकसित कर चुके हों।	
निर्णयः प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रमुख सचिव आवास द्वारा शासन की ओर से सैध्दान्तिक स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि यह अनुमति ल॰वि॰प्रा॰ द्वारा हरदोई रोड योजना के लिये ही एक प्रयोग के रूप मे मानी जायेगी और इसे अन्य मामलो मे बिना शासन की अनुमति के लागू नही किया जायेगा।	हरदोई रोड योजना मे प्रतिकर की धनराशि कम होने के कारण किसानों द्वारा अवरोध उत्पन्न करके कार्य नहीं होने दिया गया। इसे दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 20॰5॰97 को मा॰ आवास एवं नगर विकास मन्त्री जी द्वारा किसानों के मध्य अतिरिक्त धनराशि वितरित करने की घोषणा की गई थी एवं इसी घोषणा के क्रम मे शासनादेश संख्या-1973/9-आ-3-97-36 एल॰ए॰/96, दिनांक 9 जून, 1997 निर्गत किया गया है। हितबध्द व्यक्तियों को धनराशि का वितरण कर स्थल पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्याः 16 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड मे पत्रकारों को आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णयः प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि पत्रकार उक्त भूखण्ड को 10 वर्ष तक विक्रय नही कर सकेगें तथा बाद मे विक्रय करने पर शासन द्वारा प्रदत्त सबसिडी को ब्याज सहित वापस लिया जायेगा जिसे शासन को वापस किया जाना होगा। प्रकरण पर कार्यवाही सूचना निदेशालय के माध्यम से होगी एवं शासन की सबसिडी मिलने के बाद ही होगी।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध मे शासनादेश प्राप्त हो चुका है। लाटरी की तिथि निर्धारित करने हेतु निदेशक, सूचना को पत्र भेजा गया है।

1	2
विषय सँख्याः 17 सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत अम्बेडकर नगर योजना का लगभग 586 एकड़ भूमि कस्त कब्जा किसानों से समझौते के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	
निर्णय : प्रस्ताव की सैध्दान्तिक सहमति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि समझौते द्वारा निर्धारित मूल्य सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि पर लागू होगा। इस दृष्टि से उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित अधिकारियों की एक समिति प्रत्येक मामलों की समीक्षा करके व भूमि की श्रेणी/स्थिति तथा मूल एवार्ड में निर्धारित धनराशि की समीक्षा करके, आनुपातिक कटौती प्रस्तावित करेगी जिसके अनुसार भुगतान किया जायेगा।	प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा घोषित एवार्ड में सभी भूमि को समतल बताया गया है एवं विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा एक गांव के लिये एक ही दर निर्धारित की गई है फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा छान-बीन करके ही हितबध्द व्यक्तियों को भुगतान किया जायेगा।
विषय सँख्याः 18 जवध अपार्टमेन्ट हेतु आर्किटेक्ट के चयन के सम्बन्ध में।	
निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार आर्किटेक्ट का चयन करके कार्य कराया जा रहा है।
विषय सँख्याः 19 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवन्टित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।	
निर्णयः वैठक के समय प्रस्तुत 16 प्रकरणों मे, सँलग्न चार्ट के अनुसार एक योजना मे आवन्टित सम्पत्ति के स्थान पर दूसरी योजना मे सम्पत्ति के परिवर्तन के लिये अनुमोदन इस निर्देश सहित प्रदान किया गया कि नियमानुसार देय के भुगतानोपरान्त किया जायेगा तथा विपुल खण्ड मे समायोजन नही किया जायेगा। भविष्य मे ऐसे प्रकरणों को हतोत्साहित करने के निर्देश भी दिये गये।	लिये गये निर्णयों के क्रम मे उपलब्धता के अनुसार परिवर्तन/ समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।

1	2
विषय सँख्याः 20 दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने से सम्बन्धित।	
निर्णयः निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध मे एक नीति बनाई जाये और सभी प्रस्तावों का परीक्षण उसके अन्तर्गत करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये।	निर्णयानुसार अलग-अलग मामलों का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
विषय सँख्याः 21 श्री देवराज मिश्र, सदस्य विधान परिषद, उ॰प्र॰ को आवन्टित भूखण्ड सँख्याःबी-5/71, विनीत खण्ड का मूल्य आसान किश्तों मे लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।	
निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।	नोट किया गया। अनुपालन वाँछित नहीं है।
विषय सँख्याः 22 रायबरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्र पर आरोपित मलवा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	
निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
विषय सँख्याः 23 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड मे व्यवसायिक/होटल के लिये निर्धारित भूखण्ड के लिये एफ॰ए॰आर॰ मे परिवर्तन।	
निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ग्राउन्ड कवरेज 35 प्रतिशत तथा एफ॰ए॰आर॰ 2॰00(200 प्रतिशत) की स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2
विषय सँख्याः 24 मल्टी स्टोरी कामर्शियल काम्पलेक्स मे भूतल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखा जाना।	
निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वागत किया गया।	स्वागत प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
विषय सँख्याः 25 गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड-2 मे नर्सिंग होम हेतु आवन्टित भूखण्ड को व्यवसायिक प्रयोग हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	
निर्णयः प्रस्ताव पर चर्चा के समय शासन की अनुमति के बिन्दु पर प्रमुख सचिव, आवास व्दारा अवगत कराया गया कि क्योंकि सम्पत्ति आवन्टित हो चुकी है, अतः शासन की अनुमति वान्छित नही है। प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।दर के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया गया कि नर्सिंगहोम की दर आवासीय की डेढ़-गुना एवँ व्यवसायिक की दो-गुना होती है तद्नुसार अवशेष धनराशि ले ली जाये। ऐसे प्रकरण हतोत्साहित भी किये जायें।	पॉइन्ट के उपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
विषय सँख्याः 26 टिकैतराय आवासीय योजना मे श्रीमती मीरा बक्शी के विवादित भूमि का समायोजन।	
निर्णयः प्रकरण मे निर्णय के लिये अध्यक्ष एवँ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जिनके समक्ष प्राधिकरण व्दारा पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायेगें और उक्त समिति व्दारा प्रश्नगत प्रकरण मे जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।	प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है।

1	2
विषय सँख्याः27 टिकैतराय आवासीय योजना मे श्री चन्द्रका प्रसाद वर्मा की भूमि खसरा सँख्याः 33/5, 33/6, 33/7, 33/8 व 33/9 ग्राम कटरा खुदायार खाँ के अर्जन के बदले पाँच साइट ऐण्ड सर्विसेज के भूखण्ड व एक बड़ा भूखण्ड आवन्टित करने के सम्बन्ध मे।	
निर्णयः प्रकरण मे निर्णय के लिये अध्यक्ष एवँ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जिनके समक्ष प्राधिकरण द्वारा पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायेगें और उक्त समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।	प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है।

विषय संख्याः 3 पृष्ठ संख्याः 22

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये जा रहे कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सम्पादित

किये जा रहे कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति आख्या अलग से संलग्न की जा रही है।

एक योजना से उसी योजना या अन्य योजना मे सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम संख्या	आवन्टी का नाम	योजना का नाम जहां सम्पत्ति आवन्टित है।	योजना का नाम जहां परिवर्तन चाहते हैं।	परिवर्तन का कारण
1·	श्री नृपेन्द्र मिश्रा	शारदा नगर योजना मे भूखण्ड	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड	विकास कार्य न होने के कारण।
2·	श्री बी·एल·अग्रवाल	प्रियदर्शनी योजना मे भूखण्ड	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड	विवादित होने के कारण।
3·	श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य न होने के कारण।
4·	श्रीमती निर्मला भारती	जलीगंज योजना मे भूखण्ड	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड	विवादित होने के कारण।
5·	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	विपुल खण्ड मे पंजीकरण।	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड	मा· उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में।
6·	श्री बनवारी लाल कंछल	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य न होने के कारण।
7·	श्री गोमती यादव	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य न होने के कारण।
8·	श्री राघव राम मिश्र	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य न होने के कारण।

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय लेखा तथा बैलेन्सशीट, वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 पर अनुमोदनार्थ आख्या ।

वर्ष 1989-90, 1990-91, तथा वर्ष 1991-92 की बैलेन्स शीट पूर्ण रूप से तैयार कराकर प्रस्तुत की जा रही है 1992-93 की बैलेन्स शीट सकलन मे है तथा वर्ष 1993-94 की जीरो आधार पर बन चुकी है 1992-93 की बैलेन्स शीट तैयार होने पर उसमे जोड़ दी जायेगी तथा इन दो वर्षो की बैलेन्स शीट भी अगली बैठक मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायगा ।

बैलेन्स शीट की असेट्स साईड अवलोकन करने पर यह विदित होगा कि प्राधिकरण निरन्तर उन्नीत की ओरे अग्रसर है ।

(लाख रूपये मे)

Year	1989-90	1990-91	1991-92
Fixed Assets and capital work in Progress	1 143.52	1 148.67	1 121.89
Traded Property	6 738.63	6 043.58	8 234.89
Receivable Amount from public	3 893.30	4 673.00	4 715.07
Other Cash assets	2 109.69	2 864.15	1 999.38
TOTAL Rs.	13 885.14	14 729.40	15 971.23

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राधिकरण के निर्धारित पावने तथा चल रहे कार्यो मे महत्वपूर्ण गिरावट नही है तथा व्यवसायिक सम्पत्ति जो वर्ष 1989-90 मे रु0 6738·63 लाख थी वह वर्ष 1991-92 मे बढकर रु0 8,234·89 लाख हो गई अर्थात प्राधिकरण के दायित्वो के अनुपात मे है, इस सम्पत्ति के अतिरिक्त प्राप्त योग्य धनराशि रु0 3893·30 लाख से बढ़कर रु0 4715·07 लाख हुई है इससे प्रकट होता है कि प्राधिकरण ने अधिक से अधिक मात्रा मे आवटन किये

-------2-

तथा जनता से आवटन धनराशि/किस्तो की धनराशि सुनिश्चित की थी । इसके अतिरिक्त कैश पावने भी प्रर्याप्त मात्र मे उपलब्ध थे । इस प्रकार तीनो वर्षो मे Financial Viability प्राधिकरण के हित मे तथा सन्तोष जनक रही है और प्राधिकरण के कार्य सचालन पर किस प्रकार का प्रभाव इन कार्यो मे नही पड़ा है ।

प्राधिकरण के दायित्व

दायित्व पक्ष मे विभिन्न श्रोतो से प्राप्त ऋणो की अदायगी, पजीकृत डिपाजिट, प्रीतकर के भुगतान की प्रमुख मदे है जिनका विवरण निम्नवत रूप मे है ।

दायित्व पक्ष	1989-90	1990-91	1991-92
शासकीय तथा सस्थागत ऋणो का दायित्व	5 818·49	7 188·32	8857.75
चालू दायित्व (प्रीतकर-जनता की पजीकरण की धनराशि)	7 052·85	6 403·92	6683.48
अन्य दायित्व	52.01	6·08	-
आय का व्यय पर आधिक्य	961.79	1 131·09	1 230·00
	13 885·14	14 729·41	15971·23

शासन तथा अन्य क्षेत्रो से प्राप्त ऋणो की धनराशि मे अधिक मात्रा मे वृद्धि नही हुई है बल्कि प्राधिकरण ने मूलधन के भुगतान एक ओर किये तथा उसी अनुपात मे नया ऋण प्राप्त किये ।

प्रीतकर तथा अन्य डिपाजिट की धनराशि मे निरन्तर कमी हो रही है जो विदित करता है कि प्राधिकरण अपने दायित्व चुकता करने का भरसक प्रयास कर रहा है तथा वर्ष 1989-90 मे रु0 7052·48 लाख से कम होकर 31·3·92 को रु0 6,683·49 लाख रह गई ।

आय का व्यय पर आधिक्य 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 मे क्रमशः रु0 961.79 लाख, रु0 1131·09 लाख, तथा रु0 1230 लाख रहा है इससे प्रकट होता है कि प्राधिकरण वर्ष से अन्त मे प्राप्त धन जो सुरक्षित

करने का प्रयास करता है तथा अगले वर्ष मे वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर देता रहा है ।

तीनो वर्ष की बैलेन्स शीट प्राधिकरण जो सुदृढ Financial Viability को दर्शित करती है प्राधिकरण वित्त सचालन मे कोई भी आपत्ति जनक बिन्दु नही है । प्राधिकरण कृपया तीनो बैलेन्स शीट अनुमोदित करने का कष्ट करे ताकि इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षण विभाग, तथा अगली महालेखाकार आडिट मे परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जा सके ।

अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

30/10/96

मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

विषयः नेताजी सुभाषा चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज के भवन डिजाइन हेतु प्राइवेट वास्तुविद के चयन के सम्बन्ध में ।

अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-डी में इन्डप के दक्षिण में राजकीय महिला महाविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 14 अप्रेल, 1997 को सम्पादित हुआ। शिलान्यास के अवसर पर राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य 100 दिन में पूर्ण कराये जाने हेतु घोषणा की गयी, जिससे शिक्षा सत्र माह जुलाई, 1997 से शुरू हो सकें। राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण हेतु व्ययानुमान लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रारम्भिक प्लान के आधार पर बनाया गया। विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियोजन विभाग का स्टाफ अन्य योजनाओं में व्यस्त होने के कारण यह विचार किया गया कि महिला महाविद्यालय के आर्कीटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग आदि का कार्य प्राइवेट वास्तुविद से कराया जाना कार्यरित में होगा ताकि कार्य निर्धारित अवाध में पूर्ण कराया जा सकें। अतः वर्ष 1991 में प्रकाशित पैनल आफ आर्कीटेक्ट हेतु हाऊसिंग प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक कामार्शियल बिल्डिंग, लेण्ड स्कोपिंग प्रोजेक्ट हेतु मांगे गये आफर्स पर विचार किया गया, जिसके अनुसार जिन वास्तुविदों को सौ करोड़ से दो सौ करोड़ तक प्राप्त किये गये आफर में दस आर्कीटेक्ट थे, जिसमें से मात्र दो आर्कीटेक्ट लखनऊ के हैं। उक्त दो वास्तुविदों में से मे0 सुकीर्ति संगत, कन्सलटेन्टस आर्कीटेक्ट को शासन के आदेश सं0 586/9-आ-5-93-29 ई/92 दिनांक 21 जनवरी 1993 के अनुसार ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। चूँकि निर्धारित अवाध 100 दिन में कार्य पूर्ण कराना है, अतः यह उचित प्रतीत हुआ कि लखनऊ के ही आर्कीटेक्ट को नियुक्त किया जाये, जिसके लिये मे0 म्युलेज (सविता रोहित) अवध बाजार क्लार्क होटल लखनऊ को उपयुक्त पाया गया, तदानुसार मे0 म्युलेज को उक्त कार्य हेतु उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16·4·97 द्वारा नियुक्त कर लिया गया। फलतः मे0 म्युलेज से उक्त कार्य कराने हेतु 2 प्रतिशत फीस निर्माण लागत की अन्य योजनाओं की भाँति देनी है। यह भी उल्लेखनीय है कि अवध अपार्टमेन्ट एवं सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के अधिकारी आवास, अण्डरग्राउन्ड पार्किंग हेतु वास्तुविद की सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 2 प्रतिशत फीस पर ली गई हैं।

....2

अतः मे0 म्युर्तेज सविता रोहित (वास्तुविद) लखनऊ से महाविद्यालय के आर्कीटक्चरल एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन को पूर्ण कराने तथा उन्हें निर्माण लागत की 2 प्रतिशत की दर से फीस भुगतान करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक में औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विषय: कास्ट एकाउन्टैन्ट-एवं-इकोनामिक प्लानर का पदनाम परिवर्तित करने से सम्बन्धित,

आख्या: प्राधिकरण ने अपनी बैठक दि०२५.७.७५ में कास्ट एकाउन्टैन्ट का एक पद उस समय प्रचलित वेतनमान रू०८००-१४५० प्लस अनुमन्य भत्तो में सृजित किया था, उसके पश्चात् विधिवत् साक्षात्कार करके श्री के० बी० सक्सेना की नियुक्ति उक्त पद पर उपरोक्त वेतनक्रम में की गई, श्री सक्सेना ने दि०२१.१२.७६ को कार्यभार ग्रहण किया था ।

२. आगरा विकास प्राधिकरण में कास्ट एकाउन्टैन्ट के पद पर वेतनक्रम रू०१२००-१८०० में नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसके लिये श्री सक्सेना ने भी अपना प्रार्थना-पत्र दिया था, जो ल०वि०प्रा० द्वारा अग्रसरित किया गया था । साक्षात्कार के पश्चात् इनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आगरा विकास प्राधिकरण ने इनकी नियुक्ति वेतनक्रम रू०१२००-१८०० में रू०१४००.०० प्रारंभिक वेतन एवं अनुमन्य भत्तो पर अपने पत्र दि०३०.११.८१ द्वारा की । नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर श्री सक्सेना ने कार्यमुक्त करने की प्रार्थना की परन्तु कार्य हित में उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया । ल०वि०प्रा० के हित को देखते हुए श्री सक्सेना को उपरोक्त वेतनमान ल०वि०प्रा० में ही देने हेतु विषय प्राधिकरण की बैठक दि०१७.२.८२ में विषय सं०१२ के अर्न्तगत रखा गया । प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय लिये :

'विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि रू०१२००-१८०० के वेतनमान में कास्ट एकाउन्टैन्ट-एवं-इकोनामिक प्लानर का पद सृजित कर दिया जाय तथा वर्तमान कास्ट एकाउन्टैन्ट के पद को स्थगित रखा जाय । नये पद पर श्री के० बी० सक्सेना की नियुक्ति इस शर्त के साथ की गई कि वे पाँच वर्ष तक प्राधिकरण में रहने का बाण्ड देगें' ।

३. शासनादेश सं०५०३९/३७-२-५४डीए(१)८२ दि०२७.६.८४ द्वारा उपरोक्त पद की स्वीकृत शासन द्वारा प्रदान की गई एवं उपरोक्त वेतनमान के स्थान पर वेतनमान रू०१७८०-२३०० स्वीकृत किया गया, उसके पश्चात् समय समय पर वेतनमान पुनरीक्षित होते रहे । इस समय श्री सक्सेना रू०५१००-६१५० के वेतनमान में कार्यरत हैं और उक्त वेतनमान की अधिकतम सीमा रू०६१५०.०० पर वेतन आहरित कर रहे हैं ।

क्रमशः.....

४. चूँकि श्री सक्सेना का कार्य भवनो के मूल्यांकन/योजनाओं की इकोनामिक वायविलिटी निकालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सक्रिय भूमिका ल०वि०प्रा० की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने में भी रही है एवं ल०वि०प्रा० में एक लंबी अवधि तक कार्य करते रहने से उनके सम्पत्ति/वित्तीय आदि महत्वपूर्ण मामलो में परामर्श लिया जाता है । अतः यह प्रस्तावं है कि श्री सक्सेना का वर्तमान पदनाम परिवर्तित करके लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता कर दिया जाय । केवल पदनाम ही परिवर्तित होना है, इससे कोई वित्तीय भार ल०वि०प्रा० पर नहीं पडेगा । प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् , शासन को स्वीकृत हेतु प्रस्ताव भेज दिया जावेगा ।

21/6/97
DGP

विषय : श्री मानसिंह अवर अभियन्ता, ल०वि०प्रा० को चिकित्सा पद व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु ।

श्री मान सिंह, अवर अभियन्ता (प्राधिकरण केन्द्रियत सेवा) लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत है। दिनांक 15-02-1995 को एक मार्ग दुर्घटना में घायल हो गये थे। इनके हाथ-पैर में कुल 07 फैक्चर हुए थे, जिसकी चिकित्सा स्थानीय मेडिकल कालेज एवं इसी मेडिकल कालेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा0 ओ०पी० सिंह से करा रहे हैं। उक्त चिकित्सा पर दवाओं आदि पर व्यय रू0-82,123·35 पैसा (ब्यासी हजार एक सौ तेईस रूपया पैसा पैंतीस) मात्र की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु श्री मानसिंह के प्रार्थना-पत्र पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकः 23-8-96 द्वारा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उक्त प्रकरण रखे जाने का आदेश प्राप्त हुआ है।

तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकः 18-4-95 द्वारा श्री मान सिंह के प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आगे चिकित्सा कराते रहने की अनुमति के साथ ही रू0-5,000/- (पांच हजार) मात्र चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त धनराशि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृति न होने के कारण अभी असमायोजित है। उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकः 27-5-96 द्वारा श्री मानसिंह को दिनांकः 15-2-95 से 27-5-96 तक का चिकित्सावकाश स्वीकृत किया गया है। स्थानीय मेडिकल कालेज का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ का मेडिकल सार्टीफिकेट भी पत्रावली में संलग्न है।

अतः श्री मानसिंह, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0-82,123·35 पैसा (बयासी हजार एक सौ तेईस पैसा-पैंतीस) मात्र की प्रतिपूर्ति किए जाने हे प्रकरण आगामी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय : श्री राम कुमार शुक्ल (वर्कचार्ज सुपरवाइजर) को किडनी के आपरेशन हेतु रू0-25,000/- भुगतान हेतु ।

श्री रामकुमार शुक्ल (वर्कचार्ज सुपरवाईजर) के किडनी के आपरेशन हेतु डाक्टरों द्वारा सलाह दी गयी थी। तदनुसार श्री शुक्ला द्वारा किडनी के आपरेशन हेतु रू0-40,000·00 का व्यय अनुमान है। शासनादेश संख्या-75एस0ओ0/सचिव/विकास प्राधि0 दिनांक 10 सितम्बर, 1986 के अनुसार गम्भीर बीमारी के लिए होने वाले खर्च को स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की जाती है, परन्तु वर्कचार्ज कर्मचारी होने के नाते यह सुविधा श्री शुक्ला को अनुमन्य नहीं है। श्री शुक्ला प्राधिकरण के अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से उक्त धनराशि के विरूद्ध धनांक रूपया 25,000·00 मात्र के भुगतान किये जाने हेतु विषय प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना है। नीतिगत विषय होने के कारण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारार्थ विषय प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतएव श्री रामकुमार शुक्ला की किडनी के आपरेशन पर होने वाले व्यय धनांक रूपया 25,000·00 मात्र को राशि विशेष परिस्थितियों में भुगतान करने हेतु विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या 8 पृष्ठ संख्या 32

विषय :- न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन रु0 375/= निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण में लखनऊ नगर महापालिका के पेन्शन विनियम लागू है। वर्तमान में न्यूनतम पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन रु0 100/= निर्धारित है। नगर महापालिका लखनऊ द्वारा सरकारी गजट दिनाँक 22 जून 1991 के माध्यम से पारिवारिक पेन्शन/पेन्शन की न्यूनतम धनराशि रु0 100/= को संशोधित करते हुए रु0 375/= कर दी गयी है। शासनादेश सं0 श-3-1612/दस-918-87 दिनाँक 27 जून 1990 के अन्तर्गत दिनाँक 1-4-90 से सभी पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों की न्यूनतम धनराशि 375/- निर्धारित की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनाँक 1-4-90 से न्यूनतम पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन रु0 375/- स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। दिनाँक 1-4-90 से उक्त स्वीकृति प्राप्त न होने के उपरान्त पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों को 31-1-97 तक पेन्शन एरियर के रूप में लगभग रु0 11,86,466/- का वित्तीय भार पड़ेगा तथा साथ ही साथ बढ़ी दर पर पेन्शन भुगतान करने पर लगभग रुपये 20,000.00/- प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय भार प्राधिकरण के ऊपर पड़ेगा। दिनाँक 31-1-97 तक पेन्शन फण्ड के खाते में रु0 64.88 लाख की धनराशि उपलब्ध है।

उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखने हेतु पृष्ठ संख्या -3 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

अतः आदेशों के अनुपालन में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय : ब्राइट वे स्कूल को भूखण्ड आवंटन के संबंध में ।

स्कूल भूखण्डो के आवंटन हेतु पंजीकरण की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से माह दिसम्बर, 1995 व मार्च, 1996 में कराया गया था। जिसके आधार पर ब्राइट वे स्कूल पंजीकरण हेतु रूपयाः 5000·00 की धनराशि यूको बैंक, लखनऊ विकास प्राधिकरण विस्तार पटल में जमा कर पंजीकरण कराया था। जिसके आधार पर प्राधिकरण के स्कूल भूखडो के आवंटन हेतु गठित उप समिति के विचारोपरान्त प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22·6·96 के विषय संख्या 6 पर रखा गया। बोर्ड की बैठक में विचारोपरान्त ब्राइट वे स्कूल सीतापुर रोड योजना के सेक्टर एफ में एक स्कूल भूखण्ड प्राइमरी स्तर पर कक्षायें आयोजित कये जाने हेतु 4029 व·मी· का अवंटित किया गया था।

2- बल्कस्केल विभाग द्वारा अभियंत्रण खण्ड को लीज प्लान उपलब्ध कराने हेतु जब भेजा गया तो यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि सेक्टर एफ में उल्लिखित स्थान 4209 व·मी· का भूखण्ड स्कूल उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है। इस भूखण्ड के स्थान अधिशासी अभियन्ता-5 द्वारा इसी योजना के सेक्टर एच भाग-2 में क्षेत्रफल 5319·75 व·मी· का एक लीज प्लान प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि मूल ले-आऊट में ये भूखण्ड शैक्षिक उपयोग हेतु आरक्षित है।

3- बोर्ड द्वारा गठित उप समिति के समक्ष पूर्व में ही यह विषय प्रस्तुत किया जा चुका है, तथा स्कूल पक्ष में भूखण्ड आवंटन का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जा चुका है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक : 26·12·96 द्वारा सीतापुर रोड योजना के सेक्टर एच· के भाग-2 में 4209 व·मी· भूखण्ड आवंटित किया गया।

अतः ब्राइट वे स्कूल को सीतापुर रोड योजना के अन्तग्रत सेक्टर एफ में पूर्व आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 4209 व·मी· के स्थान पर इसी योजना के सेक्टर एच· भाग-2 में 5319·75 व·मी· का भूखण्ड स्कूल प्रयोजन हेतु आवंटित किया जा सकता है। प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषयः उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में कार्यालय प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि से संलग्न हरित पट्टिका की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित,

आख्याः उपरोक्त निगम को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में ४०००व०मी० भूमि आवंटित की गई थी जिसकी लीज डीड दि०२२.९.८९ को निष्पादित करके कब्जा दे दिया गया था । उपरोक्त निगम ने आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन का निर्माण भी करा लिया है।

१. उपरोक्त निगम ने अपने कार्यालय के पत्र दि०३१.५.९७ (संलग्नक-१) द्वारा सूचित किया है कि उनके उपरोक्त भवन के मुख्य मार्ग पर ४००.७५व०मीभूमि रिक्त पडी हुई है। अतः इस भूमि को लीज पर आवंटित करने हेतु उक्त निगम ने अनुरोध किया है । प्रश्नगत भूमि के स्थल का भू-उपयोग हरित पट्टिका हेतु आरक्षित है ।

३. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में ही ८०९५व०मी० भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर उपरोक्त अकादमी द्वारा निर्माण किया जा चुका है, उस भूमि से संलग्न एक एकड भूमि एकादमी को हरित पट्टी की आवंटित की गई थी जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक दि०१६.११.९१ में किया गया था । प्राधिकरण में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक-२) । उपरोक्त के अतिरिक्त इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट को अलीगंज योजना के सेक्टर 'डी' में आवंटित भूमि से संलग्न हरित पट्टी की भूमि दी गई थी, जिसका अनुमोदन भी प्राधिकरण ने अपनी बैठक दि०२०.१.९३ में किया गया था । प्राधिकरण में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक-३) ।

४. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में हरित पट्टी के रूप में छोडी गई भूमि को सुरक्षित रखने एवं इसे और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं को निशुल्क पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दि०२४.१२.९४ में अनुपूरक विषय सं०४ के अर्न्तगत रखा गया था । प्राधिकरण में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय पत्रावली में दाई ओर दिया हुआ है (संलग्नक-४) । इस बैठक में रखे गये विषय में शर्ते अंकित हैं जिन पर विचार करके प्राधिकरण द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि लीज पर आवंटित हरित पट्टी को ५०प्रतिशत से अधिक का नर्सरी के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा । प्राधिकरण की आवश्यकता पडने पर दस वर्ष तक ५ वर्ष की नोटिस तदुपरान्त तीन वर्ष की नोटिस देकर भूमि वापस ली जा सकती है तथा अच्छी ख्याति / साख वाली संस्थाओं को ही भूमि दी जायें ।

क्रमशः.....२

५. चूंकि उपरोक्त ४००.७५ व०मी० भूमि पर अनाधिकृत कब्जे हो रहे थे, अतः उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० ने स्वीकृत की प्रत्याशा में उपरोक्त भूमि उपरोक्त निगम को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । प्राधिकरण कृपया औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें ।

66

~~अनुलग्नक~~
सलग्नक-1

Regd. Office :
5, MEERA BAI MARG
LUCKNOW-226001

FAX : 214803/220362
E.A.P.B.X. : 211295

UTTAR PRADESH STATE SUGAR CORPORATION LIMITED

(A State Government Undertaking)

Ref. No. ए·डी·एम·/एसएससी/

Date 31·5·97

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
ल ख न ऊ 1

पृष्ठ संख्या: 36

विषय: विपिन खण्ड, गोमतीनगर, में चीनी निगम मुख्यालय भवन के बगल की भूमि को लीज पर आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 का मुख्यालय भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, में बनाया गया है और इस भवन के मुख्य मार्ग पर 7000 वर्ग फुट भूमि रिक्त पड़ी हुई है ।

अनुरोध है कि कृपया उक्त भूमि को सुन्दरीकरण के लिये उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 के पक्ष में लीज पर आवंटित करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(अर्चना अग्रवाल)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

(6) Annexure-2

ल0 वि0प्र0 की बैठक दि0 16.11.91 को विषय सं0 16 का विषय व निर्णय

पृष्ठ : 37

विषय: संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित,

आख्या : उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में 8,095 व0मी0 भूमि आवंटित की गई है । इस भूमि पर उक्त अकादमी ने निर्माण भी कर लिया है ।

2. उपरोक्त भूमि से संलग्न लगभग एक एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट की है, जिसको आवंटित करने के सम्बन्ध में उक्त अकादमी बराबर अनुरोध करती आ रही है । उक्त अकादमी उपरोक्त ग्रीन बेल्ट की भूमि में पेड़ पौधे लगाना चाहती है तथा पार्क बनाना चाहती है ।

3. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में 5 एकड़ भूमि मे0 इंडियन होटल (ताज ग्रुप) को होटल के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी, जिसमें संलग्न 25 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट को देने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया गया था । परन्तु बाद में जब पार्क विभाग को भेजा गया, तब अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

4. अतः मूल आख्या के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण कृपया उपरोक्त भूमि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी को दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

निर्णय

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पार्क घोषित की जायें तथा संगीत नाटक अकादमी इसे पार्क के रूप में मेनटेन करें । इस सम्बन्ध में न तो कोई लीज रेन्ट लिया जायें और न ही अकादमी का कोई स्वामित्व ही होगा । मात्र इस पार्क का अनुरक्षण अकादमी द्वारा किया जायें और प्रथम बार यह व्यवस्था 3 वर्ष के लिये की जायें ।

संलग्नक-3

(-4)

विषय संख्या-5 पृ०सं०-14 पृष्ठ: 38

विषयः इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट,उ०प्र० लखनऊ को अलीगंज योजना में आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि के आवंटन से सम्बन्धित,

आख्याः इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट उ०प्र० लखनऊ को अलीगंज योजना के सेक्टर-डी में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी,जिसकी रजिस्ट्री दि० 08-11-83 को ल०वि०प्रा० द्वारा कर दी गई थी ।

2- उपरोक्त संस्थान के दक्षिण की ओर ग्रीन बेल्ट की लगभग एक एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसमें कुछ समय पूर्व अनाधिकृत दुकानें भी बनाई गई थी जिनको ल०वि०प्रा० द्वारा तोड़ा गया था। निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेण्ट,उ०प्र० लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र सं० इमडप/आठ-14ई(बी) /अधि०/1531 दिनांक 3-11-92 (फोटो प्रति संलग्न-संलग्नक-1) द्वारा अनुरोध किया है कि उपरोक्त ग्रीन बेल्ट की भूमि उपरोक्त संस्थान को आवंटित कर दी जाये जिससे इसका रखरखाव उक्त विभाग द्वारा किया जा सके । उक्त विभाग ने यह भी सूचित किया है कि वांछित रखरखाव की उपेक्षा के कारण सड़क के पास अनाधिकृत निर्माण भी हो चुके हैं तथा इस ग्रीन बेल्ट की समुचित देखरेख न होने के कारण जहां एक ओर गन्दगी फैल रही है और मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर इस गन्दगी एवं मच्छरों के कारण अस्वास्थ्य कर वातावरण उत्पन्न हो गया है । अतः उपरोक्त संस्थान ने सूचित किया है कि उपरोक्त संस्थान ग्रीन बेल्ट की भूमि का रखरखाव करेगी तथा इसका उपयोग किसी भी प्रकार कामर्शियल नहीं करेगी तथा इसे ग्रीन बेल्ट के रूप में रखेगी ।

3- इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि जो लगभग एक एकड़ है, लाइसेन्स पर दिये जाने का निर्णय प्राधिकरण की बैठक दि०16-11-91 में विषय सं० 16 के अन्तर्गत लिया गया था। प्राधिकरण में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है(संलग्नक-2)।

4- अतः प्रस्ताव है कि इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय भवन से संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि, जिन शर्तों पर उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में ग्रीन बेल्ट की भूमि दिये जाने का प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है,उन्हीं शर्तों पर ग्रीन बेल्ट की भूमि दे दी जाये । प्राधिकरण कृपया अनुमोदित करना चाहे।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनुपूरक विषय संख्याः 4

पृष्ठ संख्या 13

विषय : प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में हरित पट्टी के रूप में छोड़ी गयी भूमि को सुरक्षित रखने एवं इसे और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं को निशुल्क पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में नियोजित विकास के मानकों के अनुसार हरित पट्टी के रूप में काफी भूमि छोड़ी गयी है। हरित पट्टी के रूप में छोड़ी गई इस भूमि में या तो कुछ पेड़ लगाये गये है अथवा भूमि वैसे ही रिक्त पड़ी है, जिसके रख-रखाव एवं उसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये प्राधिकरण के पास धन उपलब्ध नहीं है।आये दिन इनके अतिक्रमण एवं अनाधिकृत पेड़ों की कटान की समस्या उत्पन्न होती रहती है। वैसे भी प्राधिकरण के लिये इतने बड़े भू-भाग को सुरक्षित रखना दुरूह कार्य है।

इस समस्या के समाधान के लिये विचार किया गया कि यदि कुछ ऐसी संस्थायें स्वैच्छिक रूप से इन हरित पट्टियों के रख-रखाव में इच्छुक हों तो उन्हे 30 वर्ष के पट्टे की अवधि के लिये दे दिया जाये। निश्चय ही इन संस्थाओं को रख-रखाव में कुछ धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। अतः उसकी कुछ हद तक प्रतिपूर्ति हो सके, यह प्रस्तावित है कि उन्हे निम्न सुविधा पट्टे की शर्तों में दे दी जाये:-

|1| हरित पट्टी के कुछ भाग का नर्सरी के रूप में प्रयोग अनुमन्य होगा।

|2| हरित पट्टी में जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने के उपकरण, फव्वारे लगाना अनुमन्य होगा।

|3| हरित पट्टी की केवल तार के द्वारा ही घेराबन्दी करायी जा सकती है।

|4| यदि पट्टाकर्ता द्वारा हरित पट्टी को अत्यधिक आकर्षक बनाया जाता है तो उन्हे प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से कुछ टोकेन धनराशि के रूप में प्रवेश शुल्क लगाने का अधिकार होगा।

|5| हरित पट्टी के रख-रखाव हेतु पम्प हाउस एवं चौकीदार के लिये एक कमरे का निर्माण प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से जहाँ प्राधिकरण द्वारा स्थान निश्चित किया जाये, बनाने का अधिकार होगा।

|6| 30 वर्ष की अवधि से पूर्व पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने या प्राधिकरण की आवश्यकता होने पर पाँच वर्ष की नोटिस पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है।

|7| हरित पट्टी में कोई लगाकर सम्बन्धित पट्टाधारक कम्पनी/फर्म अपना विज्ञापन कर सकती है।

|8| हरित पट्टी में जो पेड़ पहले से लगे है, उन्हे काटने का अधिकार पट्टा-धारक को नहीं होगा। उसके अतिरिक्त पट्टाधारक अथवा प्राधिकरण नये और पेड़ लगा सकेगा।

|9| 30 वर्ष की अवधि का पट्टा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् नवीनीकरण करने का प्रावधान होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि लाइसेन्स पर आवंटित हरित पट्टी के 50 प्रतिशत भाग से अधिक का नर्सरी के रूप में प्रयोजन नहीं किया जायेगा । प्राधिकरण की आवश्यकता पर दस वर्ष तक पाँच वर्ष की नोटिस तदुपरान्त तीन वर्ष की नोटिस देकर भूमि वापस ली जा सकती है तथा अच्छी / साख वाली संस्थाओं को ही भूमि दी जायेगी ।

विषय संख्याः 11 पृष्ठ संख्याः 40

विषयः हरित पट्टिका / सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित,

अाख्या : हरित पट्टिका/सामुदायिक सुविधाओं के विकास में रजिस्टर्ड संस्थाओं की सहभागिता हेतु निम्न 4 स्थानो के सम्बन्ध आफर्स प्राप्त करने हेतु सूचना पायनियर समाचार/आज समाचार पत्रो में दि016•2•97 को प्रकाशित हुई थी । सूचना की प्रति संलग्न है ‡संलग्नक-1 व ए-1‡ :-

1= अम्बेडकर पार्क ‡गोमती नगर के पास‡, - लगभग 16 एकड,

11= अलीगंज योजना के सेक्टर"ओ" में - लगभग 5 एकड,

111= गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में अवध स्कूल के पास - - 700 व0मी0

11/= गोमती नगर के विनय खंड में- - लगभग 800व0मी0,

2• उपरो क्त से सम्बन्धित शर्ते तैयार की गई थी, जिनकी प्रति संलग्न की जाती है ‡ संलग्नक-2‡ ।

3• निम्नलिखित 4 आफर्स प्राप्त हुए थे :

क्रमांक	संस्था का नाम	स्थल का नाम
1•	लखनऊ चिल्ड्रेन वेल्फेयर 8, बीशाप राकी स्ट्रीट, फैजाबाद रोड लखनऊ	सेक्टर"ओ" अलीगंज,
2•	वर्ल्ड रेन्यूवल स्प्रिट्यूवल ट्रस्ट 121, महात्मा गाँधी रोड, एबव बैंक आफ बडौदा, बाम्बे,	विपुल खण्ड, गो0न0,
3•	दि लाईफ ईटरनल ट्रस्ट द्वारा- श्री राजीव जोशी, चाटेड एकाउन्टेन्ट, स्काई लार्क बिल्डिंग, नवल किशोर रोड, लखनऊ	विपुल खण्ड, गो0न0,
4•	श्री सुशील कुमार सोनी, शेखपुरा, कमला महेश मेडिकल रिसर्च एसो 0 चेरिटेबुल ट्रस्ट, बोतियाा हाता गोरखपुर,	अलीगंज विनय खण्ड, गो0न0,

4• प्रत्येक आफरदाता ने अपने आफर के साथ रु025,000•00 की धनराशि बैंक ड्राफट/पे-आर्डर द्वारा शर्तो के अनुसार जमा की । उपरोक्त क्रम सं0‡1‡ के आफरदाता ने रु0100•00प्र0व0मी0 का आफर दिया है तथा भूमि 90 वर्ष की लीज पर आवोंटत करने हेतु लिखा है । लीज रेन्ट प्रीमियम का एक प्रतिशत दिया जाना अंकित किया गया है तथा यह भी अंकित किया है कि लीज रेन्ट 5 वर्ष के पश्चात् 5 प्रतिशत बढाया जा सकता है । उपरोक्त आफरदाता द्वारा दी गई शर्ते, निर्धारित शर्तो के विपरीत हैं, अतः आफर स्वीकार योग्य नहीं है ।

क्रमशः•••••2

5. उपरोक्त क्रम सं0(2) का आफर प्रजापिता ब्रहमा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवाकेन्द्र, जगदीश बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मकबरा रोड, हजरतगंज, लखनऊ के माध्यम द्वारा भेजा गया । यह संस्था सघन आध्यात्मिक सेवार्थ, एक आध्यात्मिक संग्रहालय "राजयोग केन्द्र" के निर्माण हेतु 5000व0फु0 भूमि लेना चाहती है । यह संस्था डिप्टी चेरीटेबुल कमिश्नर ग्रेटर बाम्बे द्वारा पंजीकृत है । उपरोक्त संस्था का आफर स्वीकृत योग्य है । संस्था का आफर निर्धारित शर्तो के अनुसार है । अतः वांछित 500व0मी0 भूमि रू0900.00 प्र0व0मी0 पर आवंटित की जा सकती है ।

6. उपरोक्त क्रम सं0(3) के अनुसार आफर "दि ईटरनल ट्रस्ट" लखनऊ द्वारा दिया गया है । यह संस्था सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है । संस्था के मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान, सहजयोग की विधि द्वारा ध्यान कराना, सृष्टि के बारे में पूर्ण जानकारी देना, अन्तर्निहित वास्तविक आनन्द का रसास्वादन कराना आदि है । यह संस्था / परम पूज्य माताजी श्रीमती निर्मला देवी की इच्छानुसार कार्य करती है । यह एक ख्याति प्राप्त संस्थाहै । संस्था का आफर शर्तो के अनुसार है, अतः स्वीकार योग्य है । अतः वांछित 1000व0मी0 भूमि रू0900.00 प्र0व0मी0 पर आवंटित की जा सकती है ।

7. उपरोक्त क्रम सं0(4) की भूमि हेतु आफर श्री सुशील कुमार सोनी, शेखुपुरा, अलीगंज लखनऊ द्वारा दिया गया है । इसमें यह अंकित है कि कमला महेश मेडिकल रिसर्च एण्ड चेरीटेबुल एसोसियेट्स/ट्रस्ट, गोरखपुर की पंजीकृत संस्था के रूप में कार्यरत है । सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत संस्था द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न की गई है । आफर में यह अंकित किया गया है कि संस्था द्वारा गोरखपुर में सामाजिक उत्थान का कार्य, निराश्रितो को कपडा आदि के वितरण का कार्य किया जा रहा है तथा अन्य सामाजिक कार्य किये गये हैं/किये जा रहे हैं । उपरोक्त संस्था से स्मृति पत्र तथा किये गये सामाजिक कार्यो के सम्बन्ध में सूचना मॉगी गई थी, जो उपरोक्त संस्था ने उपलब्ध नही कराई, अतः आफर स्वीकृत योग्य नहीं है ।

8. अम्बेडकर पार्क(गोमती नगर) के पास के सम्बन्ध में कोई आफर प्राप्त नहीं हुआ ।

9. प्राधिकरण कृपया उपरोक्त पर विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें ।

संलग्नक-1

Pioneer Dated 16.2.97

हरित पट्टिका / सामुदायिक सुविधाओं के विकास में रजिस्टर्ड संस्थाओं की सहभागिता का सुअवसर

- अम्बेडकर पार्क (गोमती नगर) के पास - लगभग 16 एकड़.
- सेक्टर ओ, अलीगंज - लगभग 5 एकड़.
- विपुल खण्ड 6 में अवध स्कूल के पास - लगभग 700 व.मी.
- विनय खण्ड गोमती नगर - लगभग 800 व.मी.

उपरोक्त से संबन्धित शर्तों/ विवरण की पुस्तिका जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यालय से रु.50/- नगद भुगतान करके दिनांक : 20.2.97 से 24.2.97 तक प्राप्त की जा सकती है तथा ऑफर दिनांक : 26.2.97 तक उपरोक्त कार्यालय में जमा किया जा सकता है ।

भूपेन्द्र सिंह	मधूसूदन रायजादा	डा. ललित वर्मा
अपर सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

हरित पट्टिका सामुदायिक सुविधाओं के विकास में रजिस्टर्ड संस्थाओं की सहभागिता का सुवसर

- अम्बेडकर पार्क (गोमती नगर) के पास - लगभग 16 एकड़
- सेक्टर ओ, अलीगंज - लगभग 5 एकड़
- विपुल खण्ड 6 में अवध स्कूल के पास - लगभग 700 व.मी.
- विनय खण्ड गोमती नगर - लगभग 800 व.मी.

उपरोक्त से संबन्धित शर्तो/ विवरण की पुस्तिका जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यालय से रू.50/- नगद भुगतान करके दिनांक 20.2.97 से 24.2.97 तक प्राप्त की जा सकती है तथा ऑफर दिनांक : 26.2.97 तक उपरोक्त कार्यालय में जमा किया जा सकता है ।

भूपेन्द्र सिंह, अपर सचिव | मधूसूदन रायजादा, सचिव | डा. ललित वर्मा, उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

भूमि की स्थिति

1.1 सुविकसित गोमती नगर योजना के अम्बेडकर पार्क के आस पास लगभग 16 एकड भूमि उपलब्ध है ।

1.2 गोमती नगर योजना के ही विपुल खण्ड एवं सहारा शहर के निकट इंस्टीट्यूशनल एरिया में भूमि उपलब्ध है ।

1.3 विनय खण्ड (गोमती नगर) में भूमि उपलब्ध है ।

1.4 अलीगंज योजना के सेक्टर"ओ" में लगभग 5 एकड भूमि हरित पट्टिका की उपलब्ध है।

उपरोक्त भूमि की लोकेशन भू-विन्यास में मु0न0नियो0 के कार्यालय में देखी जा सकती है ।

2. पात्रता

उपरोक्त प्रयोजन हेतु भूमि के आवंटन हेतु आफर देने के लिये केवल रजिस्टर्ड सामाजिक संस्थाये, फर्म/कम्पनियाँ एवं रजिस्टर्ड ट्रस्ट ही पात्र होगें, जो अपने क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव रखती हो ।

3. प्रार्थना-पत्र के साथ धनराशि

आफरदाता को अपने अनुभव का प्रमाण एवं रजिस्ट्रेशन पत्र एवं कार्य योजना संलग्न करते हुए प्रार्थना-पत्र के साथ ₹025,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, ल0वि0प्रा0 लखनऊ के पक्ष में हो, संलग्न करना होगा । यदि आफर स्वीकृत नहीं होता है तो उपरोक्त धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी । यदि आफर स्वीकृत हो जाता है तो देय धनराशि में उपरोक्त धनराशि समायोजित कर ली जायेगी । बिना उपरोक्त धनराशि के प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4. भूमि की मात्रा एवं भूमि की दर

4.1 अम्बेडकर पार्क (गोमती नगर) के निकट लगभग 16 एकड भूमि

भूमि हरित पट्टिका के रूप में आफरदादाता को विकसित करना होगी

4.2 गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड के निकट की भूमि

उपरोक्त भूमि की दर ₹0900.00 प्र0व0मी0 होगी क्योंकि प्रयोग सीमित है ।

4.3 विनय खण्ड (गोमती नगर) में लगभग 800व0मी0 भूमि आवासीय दर ₹01100.00प्र0व0मी0 पर उपलब्ध है ।

क्रमशः...

4·4 अलीगंज योजना के सेक्टर"ओ" में लगभग 5 एकड भूमि उपलब्ध है जिसका रखरखाव केवल हरित पट्टी के रूप में किया जायेगा । इस की दर रू041·00 प्र0व0मी0 वार्षिक रहेगी ।

4·5 उक्त सभी दरे न्यूनतम दरे हैं तथा आफरदाता अपने द्वारा आफर की गई दरे अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित करेगा ।

5· भुगतान की पदति

5·1 कुल देय प्रीमियम/लाइसेन्स फीस की 25 प्रतिशत धनराशि आफर स्वीकृत सम्बन्धी पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर ली जोयगी । इसमें प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की गई धनराशि रू025,000/- का समायोजन कर लिया जायेगा । यदि उपरोक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न रू025,000/- की धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

5·2 शेष 75प्रतिशत उपरोक्त क्रम सं05·1 के अर्न्तगत दी गई 30 दिन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से 60 दिनो के अन्दर देय होगी । अधिकतम 30 दिनो के विलम्ब तक यदि उपरोक्त धनराशि जमा की जाती है तो 21प्रतिशत वार्षिक ब्यांज देय होगा । यदि उपरोक्त समय के अर्न्तगत भी ब्याज सहित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गई 25प्रतिशत धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी ।

5·3 उपरोक्त धनराशि का भुगतान बैंक ड्राफट / पे - आर्डर द्वारा, जो सचिव, ल0वि0प्रा0 के पक्ष में हो, किया जायेगा ।

6· पट्टे की अवधि तथा पट्टे का किराया

6·1 उपरोक्त क्रम सं0 4-2 तथा 4·3 में अंकित आवासीय दर ~~की आधी दर~~ पर जो भूमि आवंटित की जायेगी, उसकी लीज अवधि 90 वर्ष होगी । पट्टे का किराया देय प्रीमियम पर एक प्रतिशत वार्षिक देय होगा । पट्टे पर दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में स्टैन्डर्ड शर्ते लागू होगी।

6·2 उपरोक्त क्रम स0 4 में अंकित भूमि जो लाइसेन्स पर दी जायेगी, उसमें लाइसेन्स की अवधि, अनुबन्ध से पूर्व ल0वि0प्रा0 द्वारा निश्चित

7. उपयोग

7.1 उपरोक्त क्रम सं04.1 के अन्तर्गत 16 एकड़ हरित पट्टिका भूमि में केवल मास्टर प्लान में अनुमन्य निर्माण की ही अनुमति दी जायेगी । उसके रखरखाव हेतु जो विन्यास मानचित्र तैयार किया जायेगा, उसकी पूर्व अनुमति ल0वि0प्रा0 से ली जायेगी ।

7.2 उपरोक्त क्रम सं03.2 में अंकित भूमि का उपयोग मेडीटेशन केन्द्र/सामुदायिक सुविधाओं हेतु अनुमन्य होगा ।

7.3 उपरोक्त क्रम सं04.3 में अंकित विनय खण्ड की भूमि का उपयोग सामुदायिक सुविधाओं हेतु अनुमन्य होगा ।

7.4 उपरोक्त क्रम सं04.4 में अंकित लगभग 5 एकड़ भूमि केवल हरित पट्टिका के रूप में मेन्टेन किये जाने के लिये लाइसेन्स के रूप में 5 वर्ष के लिये दी जायेगी, जिसमें नर्सरी/जोगिंग ट्रेक/बच्चो के झूले/फव्वारे मात्र ही अनुमन्य होगें । स्थल को सार्वजनिक उपयोग हेतु सुलभ करना होगा । स्थल पर संस्था द्वारा अपने प्रचार के लिये बोर्ड आदि प्राधिकरण से स्वीकृतिके उपरान्त लगाया जा सकेगा । संस्था को लैण्ड स्केपिंग का कार्य प्राधिकरण को सूचित करते हुए कराना होगा ।

8. महायोजना के प्राविधान

उपरोक्त क्रम सं04 तथा 7 में अंकित भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में महायोजना लखनऊ के प्राविधान लागू होगें ।

9. लीज डीड/लाइसेन्स का अनुबन्ध/भूमि का कब्जा

उपरोक्त क्रम सं0 5 के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् लीज डीड/अनुबन्ध / लाइसेन्स अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, जिसका समस्त व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा । लीज डीड/अनुबन्ध निष्पादित होने की तिथि से 30 दिनो के अन्दर आवंटित भूमि का कब्जा लेना आवश्यक होगा । यदि इस अवधि में भूमि का कब्जा नहीं लिया जायेगा तो 30 दिनो के पश्चात् की अगली तिथि कब्जे की तिथि मान ली जायेगी ।

क्रमशः.....4.

10. भूमि पर निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति

महायोजना तथा भवन उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार, लीज डीड/अनुबन्ध निष्पादित होने के 90 दिनों के अन्दर, मानचित्र स्वीकृत हेतु ल0वि0प्रा0 कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

11. निर्माण की अवधि

लीज डीड / अनुबन्ध निस्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर मानोचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण प्रारंभ कराना आवश्यक होगा और निर्माण पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी, जिसमें विशेष एवं अपरिहार्य कारणों सहित आवेदन करने पर, सहमत होने की दशा में, उपाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकानुसार निम्नवत् अनिर्माण शुल्क लेकर समयवृद्धि दे सकेंगे :

क: चौथे वर्ष - भूमि के प्रीमियम का 5 प्रतिशत,

ख: पाँचवे वर्ष - भूमि के प्रीमियम का 10 प्रतिशत,

पाँच वर्ष के बाद कोई समयवृद्धि देय न होगी तथा आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

12. विकास सुविधाये

ल0वि0प्रा0 द्वारा बाह्य विकास सुविधाओं के अन्तर्गत पहुँच मार्ग, बाह्य सीवर, विद्युत सोर्स तथा एस0डब्लू0ड्रेन की सुविधाये ही उपलब्ध कराई जायेगी । ट्रांसफरमर आवंटी को स्वंय ही लगाना होगा तथा पानी की व्यवस्था भी आवंटी को ही करनी होगी । इसके अतिरिक्त " भूमि जैसी है जहां है" के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

13. भूमि का बटवारा/सबलेट/हस्तान्तरण

आवंटित भूमि का बटवारा/सबलेट/हस्तान्तरण का अधिकार आवंटी को न होगा । यदि यह पाया जाता है कि आवंटी ने उपरोक्त में से कोई भी कार्य किया है तो लाइसेन्स/लीज डीड/अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

14. निर्दिष्ट उपयोग

आवंटित भूमि का उपयोग केवल निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु ही किया जा

15. हरित पट्टिका की भूमि

15.1 अम्बेडकर पार्क (गोमती नगर) के निकट 16 एकड़ भूमि ~~में से 6 एकड़ भूमि~~ से सम्बन्धित

यह भूमि हरित पट्टिका / वृक्षारोपण के रूप में मेन्टेन की जायेगी ।

15.2 सेक्टर"ओ" अलीगंज योजना की लगभग 5 एकड़ भूमि

उपरोक्त भूमि में निम्न प्रयोग अनुमन्य होंगे :

1. हरित पट्टिका का 50 प्रतिशत से अधिक भाग नर्सरी के रूप में प्रयोग किया जायेगा ।

11. जौगिंग ट्रेक, बच्चो के खेलने के केवल साधारण झूले फव्वारे लगाना अनुमन्य होगा ।

111. हरित पट्टिका को अत्याधिक आकर्षक बनाया जायेगा ।

11/: हरित पट्टिका के रखरखाव हेतु पम्प हाउस तथा चौकीदार के लिये एक कमरे का निर्माण प्राधिकरण की अनुमति से जहाँ प्राधिकरण द्वारा स्थान निश्चित किया जायें, बनाया जा सकेगा ।

1/: उपरोक्त भूमि का लाइसेन्स 5 वर्ष की अवधि के लिये रहेगा, लाइसेन्स की शर्तो का उल्लंघन करने या प्राधिकरण को आवश्यकता होने पर समयोचित नोटिस पर लाइसेन्स निरस्त किया जा सकेगा ।

1/1: हरित पट्टिका में जो पेड़ पहले से लगे हैं, उन्हें काटने का अधिकार सम्बन्धित संस्था को न होगा । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित संस्था नये पेड़ लगा सकेगी ।

1/111. भूमि सार्वजनिक प्रयोग हेतु सुलभ होगी ।

16. आफर स्वीकृत करने का अधिकार

किसी भी प्राप्त आफर को बिना कारण बताये स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने करने का पूर्ण अधिकार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा ।

क्रमशः.....

17. विवाद की दशा में

किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

18. शर्तों में संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन

अनुबन्ध / रजिस्ट्री के समय उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को होगा ।

19. विवाद का परिक्षेत्र

किसी भी विवाद की दशा में विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा ।

सचिव,

विकास प्राधिकरण लखनऊ

विषयः भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय विभिन्न शुल्क लगाये जाने से सम्बन्धित

नगर के नये क्षेत्रों एवं विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति, जोकि शासनादेश संख्या-1617/9-आ-3-97-38वि0/97, दिनांक-1 मई, 1997 में 100 से 300 वर्गमीटर तक के सम्बन्ध में यह आदेश दिये गये हैं कि इनमें स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टैण्डर्ड मानचित्रों से भिन्न किसी डिजाईन के अनुसार निर्माण करने के लिए दाखिल मानचित्र पर अर्ह वास्तुविद द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कि मानचित्र महायोजना तथा बाईलाज के प्राविधानों के अनुसार है, किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मानचित्र जमा करते समय यह देख लिया जाये कि सभी आवश्यक कागजात व प्रमाण-पत्र आदि लगा दिये गये हैं। नक्शा जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वतः स्वीकृति मानी जायगी।

उक्त आदेश में मानचित्रों पर आरोपित शुल्क जैसे-मलवा संचय शुल्क, जल व्यय शुल्क, व अनिर्मणि शुल्क एवं अन्य जो भी शुल्क आरोपित हों आदि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं हैं। अतः इनमें शुल्क आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय वांछित है। शुल्कों को लिये जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार विचारार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-

(1) अर्ह वास्तुविद द्वारा आरोपित शुल्कों की दरों एवं मद का सत्यापन प्राधिकरण में सम्बन्धित विभाग द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(2) सत्यापित दरों के आधार पर अर्ह वास्तुविद द्वारा गणना की गयी धनराशि की रसीद मानचित्र जमा करने के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

(3) इस प्रकार नियमानुसार जमा किये गये शुल्कों सहित मानचित्र जोकि अर्ह वास्तुविद द्वारा इस प्रमाण-पत्र के साथ कि, मानचित्र महायोजना तथा बाईलाज के प्राविधान के अनुसार है, स्वतः प्राधिकरण की मुहर पर स्वीकृत माने जायेंगे।

संख्या \67 /9-आ-3-97-30 वि0097

पृष्ठ सं0: 51

प्रेषक,

शत्रुघ्न कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 1 मई, 1997

विषयः नगर के नये क्षेत्रों एवं विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में ।

सचिव-विकास-प्र0

महोदय,

कृपया समस्त में परिचालन कराकर अनुपालन सुनिश्चित करायें।

नगर के नये विकासशील क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा कालोनियों का विकास किया जाता है, ऐसी कालोनियों/क्षेत्रों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रियों और अधिक सरल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नये क्षेत्र एवं विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र को स्वीकृत करने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय:-

जे0पस0मिश्र
उपाध्यक्ष
2.5.97

1. नये सकल आवासीय भूखण्डों के रजिस्ट्री के समय ही निर्धारित शुल्क जमा करा कर आवंटी को उसके भूखण्ड पर निर्माण हेतु एक स्टैण्डर्ड मानचित्र दे दिया जायेगा जिसके आधार पर आवंटी बिना किसी अन्य स्वीकृति के भवन निर्माण कर सकेगा परन्तु ऐसे मानचित्र में आवंटी द्वारा आन्तरिक परिवर्तन

.....2/-

विषय: शमन-उपविधि के प्राविधानों से सम्बन्धित।

नई शमन उपविधि अधिसूचना/संशोधन दिनांक-10.1.97 में साब-डिवीजन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

क्रम-9	बिना स्वीकृत किया गया भू-विभाजन/विकास कार्य।	आवासीय भूमि के मूल्य का 1%	व्यावसायिक भू-मूल्य का 2%	कार्यालय भू-मूल्य का 1.5%

क्रम-10-भू-विभाजन की स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य न हो।

-ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है ऐसे मामलों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर पर दरें जो उक्त क्रमांक-9 में निर्दिष्ट के दुगने से उच्च होंगी, स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।

उपरोक्त के क्रम में भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य न हो, को निम्न भागों में बॉटना उचित होगा:-

आवासीय

(1)	रोड की चौड़ाई नियमानुसार न हो	3%
(2)	पार्क या ओपेन स्पेश नियमानुसार न हो-	3%
(3)	सामुदायिक सुविधाएँ नियमानुसार न हों-	3%
(4)	रोड की चौड़ाई, पार्क या ओपेन स्पेश तथा सामुदायिक सुविधाएं इनमें से दो या सभी नियमानुसार न हों-	4%

व्यावसायिक तथा कार्यालय हेतु दरें उपरोक्त की क्रमशः दो गुनी व 1.50 गुनी होंगी।

alsvir

कर सकेगा परन्तु मानचित्र में सेटबैक व खुला छूट स्थान पर कोई परिवर्तन न कर सकेगा । यह सुविधा 300 वर्ग मीटर तक के भू-खण्ड पर लागू होगी । प्रयास यह भी किया जाये कि विभिन्न आकार के भू-खण्डों के लिए स्टैण्डर्ड मानचित्रों की एक पुस्तिका उपलब्ध करायी जाय जिससे सुविधानुसार चयन किया जा सके ।

2. स्टैण्डर्ड मानचित्रों से भिन्न किसी डिजाईन के अनुसार निर्माण करने के लिए दाखिल मानचित्र पर ही वास्तुविद् द्वारा यह प्रमाण दिये जाने पर कि मानचित्र महायोजना तथा बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार है, किसी अन्य स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । मानचित्र जमा कराते समय यह देख लिया जाये कि सभी आवश्यक कागजात व प्रमाणपत्र आदि लगा दिये गये हैं । मानचित्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद ही स्वत: स्वीकृति मानी जायेगी । यह सुविधा 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड के लिये उपलब्ध होगी ।

3. आवासीय श्रेणी के 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मानचित्र पर स्वीकृति आवश्यक होगी जो 30 दिन की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वत: स्वीकृत मानी जायेगी ।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय

(अनुज कुमार गुप्ता)
कमिश्नर

[illegible] के लिए नहीं

पृष्ठ : 54

अनुसंलग्नक

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग - 1

संख्या 242/9-आ-1-96-6डी० ए०/91

लखनऊ दिनांक - 10/01/1997

अधिसूचना

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1992 का अतिक्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन्-1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या -11, सन्-1973) की धारा-55 के खण्ड (क) तथा (ख-ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिनियम की धारा 32 के अधीन अपराधों का शमन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाते है:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1997

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1- (i) यह उपविधि लखनऊ विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि-1997 कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण लखनऊ विकास क्षेत्र पर होगा।

(iii) यह उपविधि दिनांक 10-1-97 से प्रवृत्त होगी।

अपराधों का शमन 2- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी अपराध की शमन कार्यवाही संस्थित होने से पूर्व अथवा दौरान उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा धारा-32 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

3- शमन योग्य निर्माण से सम्बन्धित अपराध का शमन इस प्रतिबन्ध के साथ होगा कि

अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अभियुक्त आगे गतिमान नहीं रखेगा तथा अशमनीय अवैध निर्माण/विकास कार्य/उपरोक्त शमनीय अपराध आगे गतिमान नहीं रखेगा तथा अशमनीय अवैध निर्माण/विकास कार्य/उपरोक्त शमनीय अपराध का शमन करने के आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो 15 दिन से अधिक न होगी, समाप्त करेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध पुनः अभियोजन की कार्यवाही हेतु विकास प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।

अनुज्ञा देने या अनुज्ञा — 4- (i) अवैध निर्माण तथा विकास कार्यों के शमन की अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने में विकास देने से इंकार करना प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि,

(क) क्या निर्माण बेसमेंट, सेमी बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल या अनुवर्ती तलों पर किया गया है तथा अनुलग्न क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव है।

(ख) क्या बेसमेंट का निर्माण भवन में खुली क्षेत्र से अधिक किया गया है, यदि हां तो उसका प्रभाव ।

(ग) क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है, यदि हां, तो उसका प्रभाव।

(घ) क्या निर्माण विद्यमान बिल्डिंग लाईन के प्रतिकूल है, यदि हां, तो उसका प्रभाव।

(ङ) क्या निर्माण रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट से बाधित है, यदि हां तो क्या उसके लिए अनुमति ली गयी है।

(च) बेसमेंट के निर्माण से संलग्न सम्पत्तियों तथा विद्यमान सेवाओं पर प्रभाव।

(2) निम्नलिखित अपराध शमनीय नहीं होंगे :-

(क) निर्माण किसी सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना सम्बन्धित निकाय के सक्षम अधिकारी के अनुमति से किया गया है।

(ग) अपराध किसी ऐसे निकास से सम्बन्धित है, जो मास्टर योजना या परिक्षेत्रीय योजना में निहित भू-प्रयोग के विपरीत हो।

(घ) अपराध किसी सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर निकले हुए भाग (प्रक्षेप) से सम्बन्धित हो जिसके लिए सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी हो।

(3) अनुमन्य भू-आच्छादन अथवा बने क्षेत्रफल से अधिक अथवा सेटबैक में निर्माण करने की स्थिति में निम्नलिखित सीमा तक शमन की कार्यवाही की जाएगी और शमन उपरान्त मानचित्र स्वीकृत करना भी आवश्यक होगा। इस प्रकार का शमनीय निर्माण मुख्य भवन की निरन्तरता में ही अनुमन्य होगा।

(क) सामने के सेटबैक की चौड़ाई का 40% किन्तु अधिकतम 1.5 मी० से अधिक निर्माण शमनीय न होगा।

(ख) पीछे के सेटबैक में अनुमन्य भू आच्छादन के अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्षेत्र तक का निर्माण शमनीय होगा।

(ग) पार्श्व सेटबैकों में कुल क्षेत्र का 25 प्रतिशत तक का निर्माण शमनीय होगा।

(घ) ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक एवं कार्यालय निर्माण की योजनाओं में अनुमन्य भू-आच्छादन के अतिरिक्त भूतल पर अधिकृत निर्माण, अनुमन्य भू आच्छादन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही शमनीय होगा।

(ङ) सर्वी प्रकृति के निर्माण के लिए अनुमन्य तलानुपात के अतिरिक्त अधिकृत निर्माण अनुमन्य तलानुपात की 10 प्रतिशत की सीमा तक ही शमनीय होगा।

शमन शुल्क की अनुसूची :5- भिन्न-भिन्न प्रकार के अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्यों के शमन हेतु शुल्क की राशि वही होगी, जो संलग्न अनुसूची में निर्धारित की गयी है। शमन उपरान्त मानचित्र को स्वीकृत करना आवश्यक होगा।

6- यदि किसी मामले में शमनीय निर्माण एक से अधिक श्रेणियों के अन्तर्गत आता है तो शमन शुल्क प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित शमन शुल्क को जोड़कर लिया जायेगा।

7- अवैध निर्माण के शमन के उपरान्त निर्माणकर्ता, द्वारा शमन शुल्क तथा प्रश्नगत निर्माण की स्वीकृति हेतु वह शुल्क जमा कराया जाएगा, जो समय-समय पर मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो। तदोपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाई की जाएगी।

8- नियम के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत करने के उपरान्त शमन किसी भाग के सम्बन्ध में धारा-27 के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त हो जायेगी, यदि शमन किये गये हिस्से का ध्वस्त करने का कोई आदेश पारित किया गया हो तो वह समाप्त माना जायेगा। शेष अवैध निर्माण जिसे शमन न किया गया हो उसे निर्माणकर्ता स्वयं अपने व्यय पर हटायेगा अन्यथा वह विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा तथा उस पर होने वाला व्यय निर्माणकर्ता से वसूल किया जायेगा।

शमन

9- नियम-7 के अन्तर्गत आरोपित शुल्क निर्माणकर्ता द्वारा एक मुश्त अथवा ब्याज सहित ऐसी किस्तों में जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, जमा की जायेगी तथा सम्पूर्ण राशि जमा हो जाने पर ही प्रशमन की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी। ब्याज सहित किश्तों की धनराशि निश्चित करने व जमा करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पृथक से नियम बनाया जा सकता है। भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तों में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

10- ऐसे अवैध निर्माण जिन्हे शमन किया गया है निर्धारित प्रपत्र के रूप में सारणीबद्ध किये जायेंगे और उसमें एक संक्षिप्त विवरण विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में उसकी सूचना के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

11- शमन हेतु विचाराधीन अवशेष आवेदनों का निस्तारण भी इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

12- नियम-2 और नियम-7 के अन्तर्गत आरोपित शमन शुल्क तथा नियम-8 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा किये गये व्यय की वसूली अधिनियम की धारा 40 के अनुसार की जायेगी।

पृष्ठ: 58

अनुसूची (नियम संख्या-5)

क्र०सं०	निर्माण की प्रकृति	शमन शुल्क		
		आवासीय	व्यवसायिक	कार्यालयीय
1-	अनुमन्य भू-आच्छादन तल क्षेत्र तलानुपात के अन्तर्गत बिना अनुमति निर्माण करने पर	1- 0-60 वर्ग मीटर प्लाट एरिया तक के भूखण्ड/भवनों पर शमन शुल्क सभी प्रकृति के निर्माण के लिए न्यूनतम रूपया 1000/-	तदैव	तदैव
		2- 60-112.5 वर्ग मीटर प्लाट एरिया तक के भूखण्डों/भवन पर शमन शुल्क सभी प्रकृति के निर्माण न्यूनतम रूपया 2000/-	तदैव	तदैव
		3- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के निर्माण के लिए रूपया 5000/- प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्र या उसके भाग पर	रूपया 5000 प्रत्येक 50 वर्ग मीटर तल क्षेत्र या उसके भाग पर	रूपया 5000 प्रत्येक 75 वर्ग मी० तल क्षेत्र या उसके भाग पर
2-	अनुमन्य भू-आच्छादन के अन्तर्गत अतिरिक्त तल क्षेत्र तलानुपात पर	200/- रूपये प्रति वर्ग मीटर तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	400/- रूपये प्रति वर्ग मीटर तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 100%	300/- रूपये प्रति वर्ग मीटर तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र के भूमि मूल्य का 75%
3-	अनुमन्य भू-आच्छादन से अतिरिक्त भू-आच्छादन पर अ- सेट बैंक के प्रतिबन्धित भाग में ब- सामूहिक आवासीय योजना में प्रत्येक डिग्री में ख- अन्य भवन	भूमि के मूल्य का दो गुना तथा 150 रूपये प्रति वर्ग मीटर तल आच्छादन पर		

बिक्री के लिए नहीं

(1) सामने सेट बैक में	भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत तथा 200/- रूपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भू-मूल्य का दो गुना तथा 400/- रूपया प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमूल्य का डेढ़गुना तथा 300 रूपया प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर
(2) पार्श्व सेट बैक में	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत तथा 200/- रूपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भू-मूल्य का 150 प्रतिशत तथा 400/- रूपया प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमूल्य का 112% 300 रूपया प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर
(3) पीछे के सेट बैक में	भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा 200/- रूपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भू-मूल्य का 100 प्रतिशत तथा 400/- प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमूल्य का 75% तथा 300/- प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर
(द) सेट बैक के प्रतिबन्धित भाग के अतिरिक्त	भूमि मूल्य का 50% तथा 200/- प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमि मूल्य का 100% तथा 400/- प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर	भूमि मूल्य का 75% तथा 300/- प्रति वर्ग मी० अतिरिक्त भू-आच्छादन पर
4. अनुमन्य सीमा से अतिरिक्त बेसमेंट के निर्माण पर	क्षेत्रफल का 400/- प्रति वर्ग मी० तथा भूमि के मूल्य का 50%	क्षेत्रफल का 800/- प्रति मी० तथा भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत	क्षेत्रफल का 600/- प्रति वर्ग मी० तथा भूमि मूल्य का 75%
5. (क) यदि कमरे की आन्तरिक ऊँचाई विहित ऊँचाई से 10% तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रूपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रूपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- प्रति वर्ग मी० की दर से
(ख) कमरे की ऊँचाई विहित ऊँचाई से 10% से अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रूपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रूपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- प्रति वर्ग मी० दर से
6. (क) यदि कमरे की चौड़ाई विहित चौड़ाई से 10% से तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- प्रति वर्ग मी० की दर से

	(ख) यदि कमरे की चौड़ाई विहित चौड़ाई से 10% से अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से
7-	(क) यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से 10% तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- प्रति वर्ग मी० की दर से
	(ख) यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से 10% प्रतिशत से अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मी० दर से
8-	(क) यदि कमरे के प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से 10% तक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 50/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 75/- प्रति वर्ग, मी० की दर से
	(ख) यदि कमरे के प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से 10% से अधिक कम हो	कमरे के क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 200/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से	कमरे के क्षेत्रफल पर 150/- रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से
9-	बिना स्वीकृत किया गया भू-विभाजन/ विकास कार्य	भूमि मूल्य का 1%	भू-मूल्य का 2%	भू-मूल्य का 1.5%
10-	भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार अनुबन्ध न हो	ऐसे भू-विभाजन जिनकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है, ऐसे मामलों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक -9 में निर्दिष्ट से दुगने से कुछ अधिक हो, स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।		

नोट :-

(1) उक्त प्रकृति के निर्माणों के अलावा अन्य अनधिकृत निर्माण जो उपविधि अथवा नियम के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न ली गई हो, परन्तु क्रमबद्ध है, एक सौ पचास (150) प्रति वर्ग मी० तल आच्छादन की दर से नियत किया जायेगा। आवश्यकता होने पर इसको दुगने दरों तक भी वसूल किया जा सकेगा तथा न्यायालय में 5 गुना दरों तक भी वसूल किया जा सकेगा।

(2) क्रमांक-3 (क) के अन्तर्गत यदि निर्माण अनुबन्ध भू-आच्छादन के अन्तर्गत है किन्तु नक्शे में अंकित नहीं है, तो शमन हेतु उपरोक्त दरों से दुगनी दरों पर क्रम संख्या-3 (क) में अंकित है।

(3) सभी प्रकार के निर्माण के लिए अनुबन्ध भू-आच्छादन के अतिरिक्त उपविधि के अनुसार भू-तल एवं अनुवर्ती तलों पर शमन हेतु लिए गए क्षेत्रफल की गणना एफ०ए०आर० में नहीं की जायेगी, किन्तु शमन शुल्क उपविधि में निर्दिष्ट क्रमांक-3 में निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा।

1- अगर प्रार्थी द्वारा कोई लिखित आवेदन सुविधा प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाता है, तब नियमानुसार शमन की कार्यवाही की जायेगी।

2- जहां पक्षपर निर्माण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति के पश्चात ही शमन करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

3- भूमि के मूल्य का आकलन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सेक्टर रेट पर किया जायेगा । जहां पर रेट उपलब्ध नहीं होगा वहां प्राधिकरण स्वयं निर्धारित करेगा । भूमि यदि भू-उपयोग के आधार पर अलग अलग निर्धारित हो, नियम 5 के अन्तर्गत अनुसूची में आवासीय दरें ली जायेगी।

4- सरकारी भूमि सड़क के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि तथा भू-उपयोग के विरुद्ध किसी भी प्रकार के निर्माण का शमन नहीं किया जायेगा।

5- पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि के मूल्य का दो गुना राशि द्वारा देय होगा ।

6- शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थाओं हेतु शमन शुल्क आवासीय दर का 50 प्रतिशत होगा ।

7- व्यावसायिक भवनों हेतु शमन शुल्क की दरों का उल्लेख न हो, आवासीय दरों की दो गुनी होगी तथा कार्यालय भवनों हेतु आवासीय का डेढ़ गुनी एवं अन्य उपयोगी भवनों हेतु आवासीय दर के अनुसार होगी ।

8- अशमनीय भाग के व्यरतीकरण हेतु शपथ-पत्र के अनुसार यानि अनाधिकृत निर्माण पक्ष द्वारा स्वयं नहीं किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का 17-प्रतिशत हर्जाना शुल्क वसूल किया जा सकता है तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण व्यरतीकरण की कार्यवाही करके पक्ष से व्यरतीकरण का व्यय वसूल करेगा ।

9- शमन हेतु दाखिल किए गए सभी प्रकृति के निर्माण के लिए जिन पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी हो अथवा कोई भी ऐसा प्रमाण जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित समझे उन पर तत्समय निर्धारित एफ०ए०आर० शमन हेतु लागू होगा।

10- अनुसूची में अंकित दरों में शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार ही लिया जायेगा न कि प्रत्येक अनुमन्य तलों पर।

विषय संख्याः 14 पृष्ठ संख्याः 62

विषयः शमन उपविधि, 1996 लागू होने से पूर्व के प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित।

शमन उपविधि अधिसूचना/संशोधन दिनांक–10.1.97 के प्रस्तर–11 में यह व्यवस्था की गयी है:–

"शमन हेतु विचाराधीन अवशेष आवेदनों का निस्तारण भी इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।"

चूँकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक–1.11.92 के पूर्व के बहुत से मामले लम्बित हैं तथा जिनमें सक्षम प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा शमन हेतु आदेशित भी किया जा चुका है। इन मामलों में शमन की दरें एवं प्राविधान तत्समय लागू दरों व प्राविधानों के सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा शासनादेश संख्या–3970/9आ–1–96–6डी.ए./81 टी.सी., दिनांक–20 अगस्त, 1996 में निम्न प्राविधान किये गये हैं:–

"प्राधिकरण में नई शमन उपविधि–1996 लागू होने से पूर्व जितने भी आवेदन–पत्र शमन हेतु प्राप्त हुए हैं, उनमें से जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं, उनको छोड़कर शेष मामलों का निस्तारण नई शमन उपविधि के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा। प्रत्येक मामले विशेष का गुणावगुण के आधार पर विचार कर प्राधिकरण को ही निर्धारित करना है कि मामलों का निस्तारण हुआ है अथवा अभी विचाराधीन है।"

उक्त को आधार मानते हुए ल0वि0प्रा0 में उपरोक्त व्यवस्था लागू करना उचित होगा। अर्थात शमन उपविधि–1996 लागू होने से पूर्व जितने भी आवेदन पत्र शमन हेतु प्राप्त हुए हैं, उनमें से जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा शमन किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके है, उनको तत्समय प्रचलित दरों एवं प्राविधानों के अधीन निस्तारण किये जाने की व्यवस्था पर बोर्ड का निर्णय वाँछित है।

संख्या-3970/9-आ-1-96-6 आ0अ0-अ0नि0

पृष्ठ सं0: 63

प्रेषक,

श्री जीवेश नन्दन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 1996

विषय :- भवन उपविधि-1996 को लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1166/का. वि.प्रा./96-97, दिनांक 2 अगस्त, 1996 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "कानपुर विकास प्राधिकरण (भवनों) का भवन उपविधि-1996" की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 1996 को जारी की गई है, और इसी विधि से इसे प्रचुरित किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 1996 से प्रभावी न होकर दिनांक 15 जुलाई, 1996 से प्रभावी होगी। अतः इस आशय के संशोधन पत्र में विचाराधीन अवशेष आवेदनों के मामलों को स्पष्ट किये जाने का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है कि उक्त भवन उपविधि के प्रस्तर-1.1 में यह व्यवस्था की गई है :-

"भवन हेतु विचाराधीन अवशेष आवेदनों का निस्तारण भी इन उपविधियों के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।"

2. उक्त की आशय स्पष्ट है, अर्थात् प्राधिकरण में नई भवन उपविधि, 1996 लागू होने के पूर्व जितने भी आवेदन-पत्र भवन हेतु प्राप्त हुए हैं, उनमें से जिन मामलों में क्रमशः प्राधिकारी द्वारा भवन किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं, उनको छोड़कर शेष मामलों का निस्तारण नई भवन उपविधि के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा। प्रत्येक मामले विशेष का गुणावगुण के आधार पर विचार कर यह प्राधिकरण को ही निर्धारित करना है कि मामलों का निस्तारण पुराने या नये विचाराधीन है।

3. अतः कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
संयुक्त सचिव।

विषयः सुदृढ़ीकरण एवं विकास शुल्क से सम्बन्धित।

सुविधाओं के विस्तार हेतु सुदृढ़ीकरण विकास व्यय शासन द्वारा निर्धारित दरों तथा समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार नगद वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में तथा मुख्य विधि परामर्शी के निर्णय के क्रम में आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव निम्नानुसार हैः-

"नगर के विकसित क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार हेतु सुदृढ़ीकरण विकास व्यय के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि "शासन के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर पक्ष द्वारा दो माह के अन्दर देय होगा" इस आशय की अण्डरटेकिंग के आधार पर भवन चित्र निर्गत किये गये थे।

चूँकि उक्त के सम्बन्ध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व विधि परामर्श के अनुसार प्राधिकरण उक्त शुल्क नकद वसूल कर सकता है।

अतः नये जमा मानचित्रों में सुविधाओं के विस्तार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों व समय-समय पर संशोधित दरों के आधार पर सुदृढ़ीकरण विकास व्यय नकद रूप से वसूल किये जाने हेतु तथा प्राधिकरण बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुसार अण्डरटेकिंग के आधार पर पूर्व निर्गत मानचित्रों में ~~अंकित~~ उल्लेखित शुल्क वसूल किये जाने हेतु निर्णय वांछित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जहाँ पर पक्ष द्वारा वांछित सुदृढ़ीकरण शुल्क एक मुश्त जमा करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है वहाँ पर ब्याज सहित किस्तों का निर्धारण कर शुल्क वसूल किये जाने का निर्णय उपाध्यक्ष के विवेक पर होगा।

विषय संख्याः 16 पृष्ठ संख्याः 65

विषयः मल्टी स्टोरी कार्मार्शयल काम्पलेक्स में भूतल को केवल पार्किंग के लिये अनमुन्य रखा जाना।

आख्याः वर्तमान मे मल्टी स्टोरी कार्मार्शयल काम्पलेक्स के भवन मार्नाचत्र स्वीकृत करते समय महायोजना के प्रार्विधानों एवं शासन व्दारा निर्गत तत्सम्बन्धी निर्देश §1960§ के अन्तर्गत परीक्षण किया जाता है और भवन के साथ अनुमन्य पार्किंग क्षेत्रफल महायोजना के पार्रीशष्ठ संख्याः2 के अनुसार अनुमन्य किया जाता है।

ऐसे भूखण्डों मे जिनमे उपरोक्तानुसार निर्धारित एफ॰ए॰आर॰के अनुसार पर्याप्त पार्किंग के लिये स्थल उपलब्ध न हो पा रहा हो उन भवनों मे ग्राउन्ड फलोर को पूरी तरह केवल पार्किंग के लिये सुर्रक्षित रखे जाने की नीति के अनुमोदन पर विचार किया जाना प्रस्तार्वित है।

विषय : दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने से सम्बन्धित ।

आख्या : विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न आवंटियों पर निर्धारित समय से धनराशि जमा न करने के कारण दण्ड ब्याज लगाया जाता है एवं सम्पत्ति जो एक योजना से दूसरी योजना तथा एक ही योजना में एक ही खण्ड से दूसरे खण्ड में सम्पत्ति परिवर्तित करने पर परिवर्तन शुल्क लिया जाता है, इससे सम्बन्धित विषय प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि0 6.12.96 में विषय सं0 20 के अन्तर्गत रखा गया था। विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में एक नीति बनाई जाय और सभी प्रस्तावों का निरीक्षण करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार इस सम्बन्ध में नीति प्रस्तावित है :-

क: दण्ड ब्याज

शासनादेश सं01430/9-आ-1-96 दि0 27.3.96 जो खुले भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में रियायती दरों पर धनराशि लिये जाने से सम्बन्धित है, में यह प्रावधान है कि कुल देय धनराशि 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर देय होगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 वार्षिक किश्तों में 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय होगी। निर्धारित तिथि तक भुगतान करने पर ब्याज में 3-1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अन्य एक दो प्रकरण में भी उपरोक्तानुसार ब्याज दर लिये जाने हेतु शासन के आदेश हैं। वर्तमान में हुडको/अन्य वित्तीय संस्थाओं से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसमें ब्याज की दर 17.5 प्रतिशत वार्षिक के आस पास ही रहती है।

उपरोक्त परिस्थित में दण्ड ब्याज या अतिरिक्त ब्याज की दर 3-1/2 प्रतिशत (21% - 17.5%) मानी जा सकती है। अतः 3-1/2% की आधी अर्थात 50% धनराशि माफ किये जाने पर विचार किया जा सकती है। इसमें धनराशि की अधिकतम सीमा रु0-10,000/- भी रखी जा सकती है। अतः 3-1/2% दण्ड ब्याज/अतिरिक्त ब्याज मानते हुए उसकी 50% धनराशि या रु0-10,000/- जो भी कम हो, ही माफ किया जाय।

ख: **परिवर्तन शुल्क**

एक योजना से दूसरी योजना अथवा एक ही योजना में एक खण्ड से दूसरे खण्ड में भवन/भूखण्ड का परिवर्तन किया जाता है तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है-

(i) यदि परिवर्तन एक योजना से दूसरी योजना में अथवा एक ही योजना में एक खण्ड से दूसरे खण्ड मे किया जाता है तो नियमानुसार परिवर्तन शुल्क देय होगा।

(ii) यदि एक खण्ड मे ही भवन से भवन मे या भूखण्ड से भूखण्ड मे परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम बार परिवर्तन शुल्क न लिया जाय, परन्तु यदि प्रथम बार के पश्चात् किया जाये तो नियमानुसार परिवर्तन शुल्क लिया जाय।

(iii) यदि किसी योजना मे आवन्टित भवन/भूखण्ड का कब्जा किसी अपरिहार्य विवाद के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये दिया जाना सम्भव नही है, और ऐसी स्थिति मे भवन/भूखण्ड परिवर्तन किया जाता है तो गुण-अवगुण के आधार पर परिवर्तन शुल्क माफ करने पर उपाध्यक्ष व्दारा विचार किया जा सकता है।

ग: **भूखण्ड/भवन के परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित नीति :**

इसमें निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित है:

(i) यदि किसी आवन्टी व्दारा मूल आवन्टन पत्र के अनुसार निर्धारित तिथि तक कम से कम 75 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी गई है और उसके पश्चात् भूखण्ड/भवन मे परिवर्तन किया जाता है तो मूल्यांकन मूल आवन्टित सम्पत्ति के मूल्यांकन के

क्रमशः------

अनुसार रहेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिवर्तन के फलस्वरूप भूखण्ड मूल आवंटित क्षेत्रफल से अधिकतम 10% तक ही बढ़ होगा। यदि 10% से अधिक क्षेत्रफल बढ़ता है तो 10% से अधिक क्षेत्रफल की दर परिवर्तन अनुमोदन होने के समय प्रचलित भूमि की दर के अनुसार लगाई जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि परिवर्तित भूखण्ड कार्नर का है तो सम्पूर्ण भूखण्ड के मूल्य पर कार्नर हेतु निर्धारित अतिरिक्त चार्जेज लिये जायेंगे।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी आवेदक को (किसी परिवर्तन के मामलों में) मानक क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्ड/भवन का आवंटन होता है और लीज प्लान प्राप्त होने पर यदि मानक क्षेत्रफल से 10% से अधिक बढ़ता है तो 10% से अधिक क्षेत्रफल की धनराशि मूल्यांकन हेतु पत्रावली प्राप्त होने की तिथि पर प्रचलित भूमि की दर के अनुसार ली जाय।

(iii) यदि किसी आवंटी द्वारा परिवर्तन के लिये आवेदन करने की तिथि से पूर्व मूल आवंटन के अनुसार देय धनराशि (पंजीकरण धनराशि + आवंटन धनराशि को छोड़कर) जमा न की गई हो तथा पंजीकरण किसी आदेश से स्वतः निरस्त न हुआ हो तो परिवर्तन अनुमोदन होने की तिथि को जो भूमि की दर प्रचलित होगी, उसके अनुसार मूल्यांकन किया जायगा।

(iv) यदि मूल आवंटन अथवा परिवर्तन के पश्चात् यदि मूल्यांकन न कराया गया हो अथवा मूल्यांकन कराने की तिथि से दो माह के अन्दर धनराशि जमा न हुई हो तो पुनः सम्पत्ति अनुभाग द्वारा मूल्यांकन कराया जाय और मूल्यांकन हेतु पत्रावली मूल्यांकन अनुभाग से प्राप्त होगी तो उस समय प्रचलित दर के अनुसार मूल्यांकन किया जाय। यह प्रक्रिया सभी प्रकरण में लागू होगी तथा गणना चालान की तिथि के अनुसार की जायेगी।

(v) यदि एक योजना से दूसरी योजना में अथवा एक ही योजना के एक खण्ड से दूसरे खण्ड में भवन/भूखण्ड का परिवर्तन होने पर यदि क्षेत्रफल पूर्ववत ही

रहता है परन्तु दोनों योजनाओं अथवा दोनों खण्डों की भूमि की दरों में अन्तर आता है, तो परिवर्तन की तिथि दोनों योजनाओं/खण्डों की दरों मे अन्तर दर से मूल आवन्टित क्षेत्रफल की धनराशि ली जाय।

§11 § यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे सभी लम्बित प्रकरणों मे जिनमें पहले से कोई अन्यथा आदेश न हों तो उपरोक्तानुसार नीति अपनाई जायगी।

विषय संख्याः 18 पृष्ठ संख्याः 70

विषयः श्री कैलाश शंकर अवस्थी को आवंटित भूखण्ड संख्याः बी-2/48, विपुल खण्ड, गोमती नगर पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में।

श्री कैलाश शंकर अवस्थी को पूर्व मे आवंटित भूखण्ड संख्या-सी-2/585 विनीत खण्ड के स्थान पर दिनांक 16·6·94 को कमेटी के माध्यम से भूखण्ड संख्या- बी-2/48 विपुल खण्ड का परिवर्तन किया गया था। उक्त भूखण्ड के परिवर्तन पर रु0 23,371·20 पैसे का परिवर्तन शुल्क लगाया गया है। उक्त परिवर्तन शुल्क को आवन्टी ने माफ करने का अनुरोध किया है। वर्तमान मे उपाध्यक्ष महोदय को सरकारी सेवकों के परिवर्तन शुल्क रु0 35,000/- तक माफ करने का अधिकार है।

चूंकि यह प्रकरण सरकारी सेवा से भिन्न है, अतः उक्त भूखण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क रु0 23,371·20 पै· को माफ करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय : गोमती नगर योजना में श्री गोपाल कृष्ण, माननीय सदस्य विधान सभा के भूखण्ड के प्रति देय दण्डब्याज के सम्बन्ध में।

.....

गोमती नगर योजना में श्री हरनारायन तत्कालीन सदस्य विधान सभा के अनुरोध पर उन्हे भूखण्ड संख्या-सी-1/22 विक्रान्त खण्ड का आवंटन पत्र संख्या - 2165/ए0एस0 दिनांक 25-3-91 द्वारा किया गया था। आवंटन पत्र में भूखण्ड के प्रति देय धनराशि रू0 1,06,000/- दिनांक 31-3-91 तक जमा करने की अपेक्षा की गयी थी। धनराशि न जमा होने पर पत्र संख्या-40/जे0एस0-ए/93 दिनांक 16-2-93 द्वारा अनुस्मारक नोटिस भी जारी की गयी। श्री हर नारायण का स्वर्गवास दिनांक 28-1-93 को हो गया। भूखण्ड के प्रति रू0 1,06,000/- चालान संख्या-15374 दिनांक 11-3-93 द्वारा जमा किया गया, तथा श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री हर नारायन के अनुरोध पर अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथपत्र देने के कारण भूखण्ड का नाम परिवर्तन श्री गोपाल कृष्ण के पक्ष में पत्र संख्या-163/जे0एस0-ए/ दिनांक 25-9-93 द्वारा कर दिया गया। भूखण्ड के प्रति देय धनराशि विलम्ब से जमा करने के कारण रू0 42,009/- दण्डब्याज देय हो रहा है। भूखण्ड के वर्तमान आवंटी श्री गोपाल कृष्ण सदस्य विधान सभा द्वारा इस ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 2-12-93 के विषय संख्या-क•16 में यह निर्णय लिया गया था के फेरा-2 मे दण्डब्याज न माफ किया जाय क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्तमान दरों पर विकास कार्य कराना पडेगा। श्री गोपाल कृष्ण माननीय सदस्य विधान सभा को इस स्थिति से अवगत कराया गया। उनका तर्क है कि प्राधिकरण द्वारा विकास किये जाने मे देरी हुई है तथा अब भी इस खण्ड में विकास कार्य अपूर्ण है जबकि धनराशि वर्ष 1993 से जमा है। अतः दण्डब्याज नहीं पडना चाहिए।

जैसा कि प्राधिकरण अवगत है कि गोमतीनगर योजना के पेस-2 में कृषकों के विरोध के कारण समय से विकास कार्य नहीं पूर्ण कराये जा सके जिसमें आवंटियों को धनराशि जमा करने के बाद भी कब्जा देने में विलम्ब हुआ।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्याः 20 पृष्ठ संख्याः 72

विषयः **विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत तथा उसी योजना मे आवंटित भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।**

आख्याः

एक योजना के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को विभिन्न कारणों § जैसे- न्यायिक विवाद, विकास कार्य पूर्ण न होना, अवैध कब्जा हो जाने या प्रस्तावित भवनों का निर्माण न होने आदि § से उसी योजना अथवा अन्य योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने के अनेक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण संलग्न तालिका मे अंकित किया गया है।

चूँकि एक योजना से दूसरी योजना मे परिवर्तन प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुमन्य हो सकता है, अतः संलग्न तालिका में अंकित प्रकरणों में दूसरी योजना/उसी योजना मे परिवर्तन/समायोजन की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

एक योजना मे आवन्टित सम्पत्ति के स्थान पर उसी योजना अथवा दूसरी योजना मे सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं॰	आवन्टी का नाम	योजना का नाम जहां सम्पत्ति आवन्टित है	योजना का नाम जहां परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1॰	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे मा॰राज्य मन्त्री, आवास एवं नगर विकास,उ,प॰	गो॰नगर योजना मे एच॰आई॰जी॰ भवन।	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड।	भवन अपूर्ण होने के कारण।
2॰	श्री बरखू राम वर्मा, मा॰ मन्त्री संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश।	"	"	"
3॰	श्रीमती मायावती मा॰ विधायिका,	प्रियदर्शनी योजना में भूखण्ड।	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड।	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण।
4॰	श्रीमती मीना मेहरोत्रा	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण।
5॰	श्रीमती गीता गुप्ता	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण।

क्रमशः---

एक योजना मे आवन्टित सम्पत्ति के स्थान पर उसी योजना अथवा दूसरी योजना मे सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित

क्रम सं·	आवन्टी का नाम	योजना का नाम जहां सम्पत्ति आवन्टित है	योजना का नाम जहां परिवर्तन चाहते हैं	परिवर्तन किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
6·	डा· विजय शंकर शुक्ला	अलीगंज योजना मे भूखण्ड	गोमती नगर योजना मे भूखण्ड	भूखण्ड विवादित होने के कारण।
7·	श्री जनार्दन गुप्ता	गोमती नगर मे भूखण्ड	कानपुर रोड योजना मे भूखण्ड	उपभोक्ता फोरम के निर्णय के अनुपालन में।
8·	श्री जे·पी·प्रताप	टिकैतराय मे भवन	कानपुर रोड योजना मे भवन	विवादित होने के कारण।
9·	श्रीमती दीप्ति सिंह	गोमती नगर मे आशीष प्रकार का भवन	गोमती नगर मे भूखण्ड	भवन निर्माण न होने के कारण।
10·	श्री मुकेश बाबू शुक्ला	गोमती नगर मे आशीष प्रकार का भवन।	गोमती नगर मे भूखण्ड	भवन निर्माण न होने के कारण।
11·	श्री आर·एन·सिंह, सहा·प्रबन्ध·उ·प्र·रा·नि·निगम	शारदा नगर मे एल·आई·जी· भवन	गोमती नगर मे एल·आई·जी· भवन।	विकास कार्य न होने के कारण।
12·	श्री पुनीत श्रीवास्तव एवं श्री एस·के·श्रीवास्तव।	शारदा नगर मे भूखण्ड	गोमती नगर मे भूखण्ड	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 1997

मे विचारणीय अनुपूरक विषय-सूची

1·	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक, 1997-98	1
2·	सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत श्रीमती प्रतिभा कुमारी की भूमि के समायोजन का प्रकरण।	2
3·	हरदोई रोड योजना के अर्न्तगत रिवर व्यु सहकारी आवास समिति की भूमि के बदले 60 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	4
4·	प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास के लिये प्राधिकरण व्दारा परिचालित विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध मे टिप्पणी।	10
5·	अम्बेडकर उद्यान के अर्न्तगत सेवा केन्द्र व बुध्द प्रतिमा स्थल की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।	29
6·	स्व· प· दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।	31
7·	विभिन्न कारणों से एक योजना से उसी योजना अथवा दूसरी योजना में सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित।	33
8·	महायोजना मार्ग 8 वजीर हसन रोड की चौड़ाई के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।	35

अनुपूरक

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या –1

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण का
मूल आय – व्ययक 1997–98

लखनऊ विकास प्राधिकरण
का मूल आय – व्ययक 1997–98
विचारार्थ अलग से प्रस्तुत किया
जा रहा है ।

अनु0
विषय सं0: 2

विषय:सीतापुर रोड आवासीय योजना (टिम्बर नगर) के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी की ग्राम पुरनिया स्थिति भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में

आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड आवासीय सीतापुर रोड योजना पश्चिम(टिम्बर नगर) के अन्तर्गत कुल 121.87एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था। इस हेतु धारा4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति क्रमशः दिनॉक 14.2.86 व 25.2.86 को शासन द्वारा जारी की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत भूमि का कब्जा तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा चुका है तथा अभिनिर्णय भी घोषित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ सीतापुर मुख्य मार्ग के बॉयी तरफ स्थित ग्राम पुरनियॉ के खसरा संख्या 56,59,61,62,63 व 65 श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इन खसरा नम्बरों का कुल क्षेत्रफल 6-15-4-0 है । उक्त भूमि के एक भाग पर श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी का एक पक्का मकान तथा बाऊण्ड्रीवाल निर्मित है एवं अभी तक उक्त भूमि परउन्हीं का कब्जा है। श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी के मुख्तारआम श्री दिलशाद हुसैन ने अपने पत्र दिनॉक:11.3.97 द्वारा यह अनुरोध किया है कि उक्त भूमि पर निर्मित भवनों व अन्य निर्माणों को मुक्त कर दिया जाय। यदि अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव न हो तो योजना के ले आऊट में समायोजित कर लिया जाय।

पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ मामलों में विकास व्यय प्राप्त करके समायोजन की कार्यवाही की गयी है। श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी मुख्तारआम श्री दिलशाद हुसैन के प्रार्थना जिसकी एक प्रति संलग्न है के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:

(1) श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी की भूमि जिसका कुल रकबा 6-15-4-0 बीघा (लगभग 17104वर्गमीटर) है में से खसरा सं065 पर श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी का पक्का भवन निर्मित है। इनका भवन मानचित्र वर्ष 1964 में महापालिका द्वारा स्वीकृत किया गया था। भवन तथा बाऊण्ड्रीवाल का क्षेत्रफल लगभग 11340वर्गमीटर है।

(2) वर्तमान समय में स्थल पर समस्त भूमि पर श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी का कब्जा है, उनके द्वारा स्थल पर कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में निरन्तर विरोध किया जाता है जिसके कारण अभी तक स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य नहीं किये जा सके है। इस भूमि पर अभी तक इसी कारण से आवन्टन आदि भी नहीं हुआ है।

(3) श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी की उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आवादी के रूप में दर्ज है जिस पर एक कोठी एवं बाऊण्ड्रीवाल निर्मित है जिसमें उनके द्वारा निवास किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी थी जिसमें प्रारम्भ में विकास प्राधिकरण के विरूद्ध स्थगनादेश पारित किया गया था। परन्तु बाद में यह प्राधिकरण के पक्ष में निर्णीत हुआ परन्तु स्थल पर आज भी कब्जा भूस्वामी का ही बना हुआ है।

(5) शासनादेश सं0:529/डी0एस0/एच0एस0/96 दिनॉक 30.5.96 द्वारा प्रमुख सचिव आवास ने निर्णय लिया है कि श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी के भूमि /भवन का समायोजन विकास शुल्क लेकर

प्राधिकरण की योजना में करने का विचार किया जा सकता है। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुनः श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी ने अपने भवन/भूखण्ड को समायोजित करने का अनुरोध किया है।

(6) श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी का 60% भूमि/भवन विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित कर लिया जाय । प्राधिकरण को प्रथम विकास शुल्क के रूप में धनराशि प्राप्त होगी एवं द्वितीय 40% भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 60% भूमि/भवन विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित किया जायेगा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगभग रू0 17.00 लाख प्राप्त होगा एवं जो 40प्रतिशत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त होगी उसकी बिक्री आदि से लगभग रू0 30.00लाख प्राप्त होगें। इस प्रकार इस समायोजन से लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगभग रूपया 47.00लाख की आय प्राप्त होगी जबकि मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर होने के कारण एवं आस पास का क्षेत्र विकसित होने के कारण इसके विकास पर कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ेगा। अतः समायोजन में प्राधिकरण का हित है।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण इस भू भाग पर अभी तक नियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही किसी को आवन्टन किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ 60प्रतिशत भूमि समायोजित करने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है:

1. प्राधिकरण द्वारा कुल भूमि का 60% भूमि समायोजित की जायेगी, शेष 40 प्रतिशत भूमि का कब्जा इनके द्वारा स्वयं छोड़ दिया जायेगा।

2. श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी /मुख्तारआम श्री दिलशाद हुसैन द्वारा भूमि का प्रतिकर नहीं लिया जायेगा।

3. श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी/मुख्तारआर श्री दिलशाद हुसैन द्वारा प्राधिकरण को विकास शुल्क देना होगा जिसकी गणना कास्टिंग विभाग द्वारा की जायेगी। जिस वर्ष योजना का विकास प्रारम्भ हुआ उसे आधार मानते हुए नियमानुसार ब्याज लगाया जायेगा।

4. आपसी समझौते के आधार पर एक अनुबन्ध निस्पादित करना होगा जिसमें यह प्राविधान होगा कि यदि उक्त भूमि श्रीमती प्रतिभा कुमारी/मुख्तार आम श्री दिलशाद हुसैन द्वारा बेची जायेगी तो भूमि की रजिस्ट्री/लीज डीड प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जायेगी, जिसमें श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी या उनका प्रतिनिधि सम्मिलित रहेगा।

5. अनुबन्ध से पूर्व श्रीमती प्रतिभा कुमारी देवी/मुख्तारआम श्री दिलशाद हुसैन द्वारा सीलिंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

(6) प्राधिकरण द्वारा अब तक जो धनराशि वाद में व्यय हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति इनके द्वारा की जायेगी।

उक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।

(एस0 बी0 मिश्र)
अधीक्षण अभियन्ता,

अनु०

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 4

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड(कामधेनु नगर) आवासीय योजना के अन्तर्गत 1355एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी। इस हेतु धारा:4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति क्रमश:12.5.81 व 3.7.83 को प्रकाशित की गयी थी तथा भूमि का कब्जा तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1985 में हस्तान्तरित किया गया था एवं दिनॉक 22.9.86 को अभिनिर्णय घोषित किया गया।

योजना के लिए अर्जित भूमि के अन्तर्गत ग्राम छन्दोहिया की भूमि खसरा सं0:211से 218,224 व 228 से 232 जिसका क्षेत्रफल कुल रकबा 11.784एकड़ जो रिवरव्यू सहकारी आवास समिति के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि समिति द्वारा नीलामी में वर्ष 1973 में क्रय की गयी थी।इससे स्पष्ट है कि कि धारा 4/17 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व यह भूमि इनके नाम अंकित थी।

रिवरब्यू सहकारी आवास समिति ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन सं0:2(एल0ए0)/1997 दायर की थी जिसकेसम्बन्ध ने मा0उच्च न्यायालय,लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अपने आदेश दिनॉक 10.1.97 द्वारा भूखण्डों को अर्जन से मुक्त करने व इनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है। रिवरब्यू सहकारी आवास समिति ने अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि इनकी भूमि को समायोजित कर लिया जाय इस हेतु ये विकास व्यय देने को सहमत हैं।

अवगत कराना है कि कानपुर रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण समिति को निम्न शर्तो के साथ भूमि समायोजित करने के सम्बन्ध में शासन के आवास विभाग द्वारा शासनादेश सं0:एम0ओ0:238/9.आ.3.92/20एल0ए0/92 दिनॉक 26.11.92 निर्गत किया गया था:

1. अर्जित भूमि का 60प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाय।

2. भूमि के सम्बन्ध में समिति न तो कोई प्रतिकर ले और न ही उससे भूमि का मूल्य लिया जाय, परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि के लिए लिया जाय।

3. उपलब्ध करायी गयी भूमि में भूखण्डों का साइज एवं आवन्टन समिति द्वारा ही किया जाय, परन्तु इसमें निबन्धन सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित रखा जाय जिससे शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों को पालन सुनिश्चित रहे।

उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य समितियों के मामलें में एक विस्तृत टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 20.1.93 में अनुपूरक विषय संख्या:2 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी थी,जिसकी फोटोप्रति संलग्न है। इस बैठक में प्राधिकरण द्वारा निम्न

(एम० पी० मिश्र)
अधीक्षण अभियन्ता [illegible]
लखनऊ विकास प्राधिकरण [illegible]

निर्णय लिया गया:-

"प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि विकास शुल्क का भुगतान शासन के निर्देशों के अनुसार ही लिया जाय""

शासन के उक्त आदेश तथा प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में अब तक निम्न आवासीय समितियों को विकास व्यय लेकर 60% विकसित भूमि उपलब्ध कराई गयी है:-

क्र0सं0	समिति	60% विकसित भूमि जो उपलब्ध कराई गयी (एकड़ में)	योजना जहाँ पर भूमि स्थिति	समिति की स्थिति भूमि
1.	मानसरोवर सहकारी आवास समिति	4.761	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
2.	स्वर्गाश्रम सहकारी आवास समिति	5.623	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
3.	प्रोग्रेसिव सहकारी आवास समिति	15.120	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
4.	फ्रेण्ड्स सहकारी आवास समिति	13.045	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
5.	अमरावती सहकारी गृह निर्माण आवास समिति	3.74	गोमती नगर योजना	टिकैतराय आवासीय योजना
6.	लखनऊ विकास सहकारी आवास समिति	2.70	सीतापुर रोड यो0 (टिम्बर नगर)	सीतापुर रो0यो0 (टिम्बर नगर)
7.	मधुवन नगर भिलावाँ सहकारी आवास समिति	2.088	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
8.	फिरोजगाँधी सहकारी आवास समिति	-	अलीगंज यो0	अलगंज योजना
9.	आम्रपल्ली सहकारी गृह निर्माण समिति	5.209	रायबरेली रो0यो	कानपुर रो0यो0 भाग-4

उक्त समितियों से नियमानुसार विकास व्यय जमा कराया जा रहा है।

यह अवगत कराना है कि हरदोई रोड योजना में प्रतिकर की धनराशि कम होने के कारण किसानों का बराबर अवरोध रहा है एवं प्राधिकरण अभी तक इस योजना में कोई विकास कार्य नहीं कर पाया है।इसी सम्बन्ध में दिनाँक 20.5.97 को माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा किसानों को अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने की घोषणा की गयी थी एवं दिनाँक 9.6.97 आवास विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया, परन्तु फिर भी धनराशि का भुगतान करके कब्जा प्राप्त करने एवं पूरी योजना का विकास करने में कुछ समय लगेगा।

(कृष्णवीर सिंह)
अ. [illegible] अधिकारी,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

रिवरब्यू सहकारी आवास समिति का प्रकरण भी उन अन्य समितियों की भॉति ही है, जिन्हें पूर्व में 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये गये है। अतः रिवरब्यू सहकारी आवास समिति को भी 60% विकसित भूखण्ड उक्त प्रतिबन्धों के साथ उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

यह भी उल्लेख करना है कि रिवरब्यू सहकारी आवास समिति के अतिरिक्त कुछ अन्य आवासीय समितियों जो इसी प्रकार विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध बराबर कर रही है। अतः रिवरब्यू सहकारी आवास समिति के प्रकरणके साथ-साथ अन्य मामलों में भी गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं:

(1) रिवरब्यू सहकारी आवास समिति को हरदोई रोड योजना में 60% विकसित भूखण्ड उक्त शर्तो के अधीन उपलबध कराने की स्वीकृति।

(2) अन्य आवास समितियों के प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने की स्वीकृति।

(एस0 बी0 मिश्र)
अधीक्षण अभियन्ता

स०वि०प्र० 20/1/1993.

अनु० विषय संख्या: 02

पृष्ठ संख्या: 80

7

विषय: तलनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में सहकारी आवास समितियों को उनकी भूमि के बदले विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

तलनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत ऐसी सहकारी आवास समितियों जिनकी भूमि अर्जित की गई थी परन्तु विधिक वादों के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है की भूमि छोड़ने/समायोजित करने के सम्बन्ध में तलनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-6-92 में एक नीतिगत निर्णय लिया गया है, जिसके ब्दारा यह व्यवस्था की गयी कि:-

(1) अर्जित भूमि को अर्जन से मुक्त न करते हुए अर्जित भूमि का 55 प्रतिशत क्षेत्रफल विकसित भूखण्डों के रूप में समिति को दिया जाये।

(2) समिति अर्जित भूमि का नियमानुसार प्रतिकर प्राप्त करेगी।

(3) 55 प्रतिशत भूमि वर्तमान आवासीय दर पर आवन्टित की जायेगी।

(4) उपलब्ध कराई गई यह भूमि सदस्यों को 200, 150 व 90 वर्गमीटर के भूखण्डों में आवश्यक सत्यापन के बाद दी जायेगी।

आशा की गई थी कि प्राधिकरण ब्दारा निर्धारित नीति से समितियाँ सन्तुष्ट हो जायेगी और अपने-अपने स्थगन आदेश वापस ले लेंगी जिससे प्राधिकरण की योजनाओं की बाधायें समाप्त हो सकेगी परन्तु इसमें निम्न बिन्दुओं पर समितियों की सहमति नहीं मिल पा रही थी:-

(1) उपलब्ध कराई गई भूमि का वर्तमान दर पर मूल्य समितियों की दृष्टि में औचित्य पूर्ण नहीं है एवं बहुत अधिक है। तर्क यह है कि समिति ने वर्षों पूर्व भूमि क्रय की थी इसलिये उनसे आज की दर पर मूल्य लेना न्यायसंगत नहीं है।

(2) अर्जित भूमि का 55 प्रतिशत क्षेत्रफल ही दिया जाना उचित नहीं है। समितियों की ओर से कहा जाता है कि उनकी भूमि बहुत कम होती है जबकि 55 प्रतिशत विक्रयशील भूमि प्राधिकरण की योजनाओं में इसके लिये होती है कि उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के मास्टर प्लान आवश्यकतायें एवं सामुदायिक आवश्यकतायें पूरी की जाती है। समिति की स्तर के ले-आउट में विक्रयशील भूमि अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होती है। समितियों ब्दारा इसे 60 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

(3) भूखण्ड के साइज़ एवं सदस्यों के अवन्टन के प्रश्न पर समिति ब्दारा ही निर्णय लिया जाना चाहिये।

उपरोक्त समस्याओं पर विचारोपरान्त शासन ब्दारा आग्रपल्ली सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले में शासनादेश स0:एम0ओ0-238/9-आ-3-92/20एल-ए-/92 दिनांक 26-11-92 ब्दारा निम्न संशोधित व्यवस्था की गयी है:-

क्रमशः------

8

(1) अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाये।

(2) भूमि के सम्बन्ध में समिति न तो कोई प्रतिकर से और न ही उससे भूमि का मूल्य लिया जाये परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि के लिये लिया जाये।

(3) उपलब्ध कराई गई भूमि में भूखण्डों का साइज़ एवं आवन्टन समिति द्वारा ही किया जाये परन्तु इसमें निवन्धन सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित रखा जाये जिससे शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों का पालन सुनिश्चित रहे।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-11-1992 में की गयी व्यवस्था को नीतिगत रूप में अन्य सहकारी आवास समितियों में भी लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव समनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि यदि भूमि के आवन्टन के समय भूमि विकसित है तो विकास शुल्क की धनराशि तुरन्त ले ली जायेगी परन्तु यदि विकसित होनी है तो अधिकतम दो वर्षों की अवधि में अधिकतम आठ किस्तों में सामान्य प्रचलित ब्याज सहित ली जा सकेगी।

निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि विकास शुल्क का भुगतान शासन के निर्देशों के अनुसार ही लिया जाये।

संख्या-एम0ओ0-238/9-आ-3-92/20एल0ए0/92

9

श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 1992

विषय:- आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में अधिग्रहण से मुक्त करने में संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामलों में आप द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित विकल्प शासन ने अनुमोदित कर दिया है:-

1- अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाये ।

2- भूमि के संबंध में समिति न तो कोई प्रतिकर ले और न ही उससे भूमि का मूल्य लिया जाये परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि के लिए लिया जाये ।

3- उपलब्ध कराई गई भूमि में भू-खण्डों का साइज एवं आबंटन समिति द्वारा ही किया जाये परन्तु इसमें निबन्धन सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित रखा जाये जिससे शासन के तत्संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित रहें ।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र बहुखण्डी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-एम0ओ0-238(1)/9-आ-3-92/20एल0ए0/92 ।

प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-II को उनके मूल संदर्भ 0/2956/सी0एम0-II/92 दिनांक 12-8-92 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया कम्प्यूटर संदर्भ से प्रकरण निकालने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र बहुखण्डी)
संयुक्त सचिव ।

अनु
विषय सख्या : 4

पृ॰ 10

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकास के लिए प्राधिकरण द्वारा परिचालित विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष टिप्पणी।

डॉ० अम्बेडकर स्थल एवं उद्यान :-

प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद लखनऊ नगर में अभी तक कोई भी ऐसा पार्क विकसित नहीं हो पाया है जो विशेष महत्व रखता हो व दूरदराज़ के लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र हो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित राजघाट, शान्ति–वन, विजय–घाट, शक्ति–स्थल, इण्डिया गेट काम्पलेक्स, लोधी गार्डेन, कालिन्दी–कुन्ज इत्यादि कुछ ऐसे स्थल हैं जो राष्ट्रीय महापुरुषों के स्मारक के साथ–साथ देश एवं स्थानीय नागरिकों के लिए न केवल आदर एवं प्रेरणा श्रोत हैं, वरन् वहाँ पर भ्रमण करने वालों को स्वच्छ वातावरण भी उपलब्ध कराते हैं।

लखनऊ एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन विद्यमान हैं, परन्तु आधुनिक भारत के निर्माण का इतिहास परिलक्षित करते हुए कोई स्मारक अथवा स्थल नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में गोमतीनगर में लगभग २८ एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में डा० भीमराव अम्बेडकर स्थल एवं उद्यान विकसित किया जा रहा है जोकि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देश तथा विदेश से आये सारे पर्यटकों के लिये आकर्षण एवं प्रेरणा का मुख्य केन्द्र होगा।

डॉ० अम्बेडकर स्थल, जो एक भव्य स्ट्रक्चर होगा, में डॉ० अम्बेडकर की मूर्ति, उनके उपदेश, उनके प्रेरणाश्रोत ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण इत्यादि प्रदर्शित होंगें। स्थल के अन्दर डॉ० अम्बेडकर की १५ फिट ऊँची काँस्य प्रतिमा लगायी जाएगी जो अब्राहिम लिंकन की स्टेच्यू की भाँति बैठी मुद्रा में होगी। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित २० फिट × १० फिट के ४ म्यूरल्स, मुख्य स्थल पर ११२ फिट ऊँची गुम्बद,

(एम० दी० मिश्रा)

स्थल के चारों गेट पर रेड सैन्ड स्टोन के पत्थर लगाये जायेंगे। डॉ० अम्बेडकर की इस प्रतिमा व चारों म्यूरेल्स का कार्य देश के ख्याति प्राप्त मूर्तिकार एवं कलाकार से कराया जा रहा है। इस हेतु कुछ ख्याति प्राप्त मूर्तिकारों से प्रतिमा हेतु तथा ख्याति प्राप्त कलाकारों से म्यूरेल्स हेतु उनके सहमति पत्र मांगें गये हैं। प्रतिमा के निर्माण हेतु प्रतिष्ठित मूर्तिकारों श्री शंखो चौधरी, श्री वी०पी० सान्याल एवं श्री नाना वाग द्वारा तीन माह की अल्पावधि में इतनी विशालकाय मूर्ति का निर्माण करने में असमर्थता व्यक्त की गई जबकि दिल्ली के प्रतिष्ठित मूर्तिकार श्री राम वी० सुतार ने ३ माह में यह प्रतिमा बनाने की सहमति दी है। इसी प्रकार म्यूरेल्स हेतु कई प्रतिष्ठित एवं विख्यात कलाकारों से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु उन्हें पत्र प्रेषित किये गये हैं। भारत के विख्यात कलाकार श्री रामेश्वर बरूटा ने पत्र भेजकर यह सूचित किया है कि उन्हें एक म्यूरेल बनाने में ही ३ से ६ माह का समय लगेगा। श्री जय कृष्ण अग्रवाल, प्रधानाचार्या, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय ने समयाभाव के कारण म्यूरेल का कार्य कर सकने में असमर्थता व्यक्त की है। कलाकार श्री जी०डी० उपाध्याय व श्री राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा ने दरें तो अधिक दी हैं किन्तु समय–सीमा में कार्य पूर्ण करने की वचनबद्धता व्यक्त नहीं की है। लखनऊ आर्ट कालेज के श्री सतीश चन्द्र, अध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी ने ३ माह मे म्यूरेल्स बनाने की सहमति दी है तथा इनकी दरें भी प्राप्त सभी ऑफर में निम्नतम हैं।

श्री सुतार राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार हैं तथा श्री सतीश चन्द्र राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कलाकार हैं तथा इन्होंने निर्दिष्ट समयावधि, ३ माह, में कार्य को पूर्ण करने की सहमति दी है। अतः इनके अनुभव ख्याति एवं दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए इनसे प्रतिमा एवं म्यूरल का कार्य कराया जा रहा है।

डॉ० अम्बेडकर उद्यान के मुख्य द्वार के समक्ष लगभग ३,००० वर्गफिट क्षेत्रफल में प्रवेश प्लाजा, जिस पर सफेद ग्रेनाइट का प्लेटफार्म

(एम० दी० मित्र)
अधीक्षण [illegible]
लखनऊ [illegible]

एवं सीढ़ियों पर लाल ग्रेनाइट लगाया गया है पर लगभग ११ फिट ऊँचा पेडिस्टल बनाकर इस पर बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर की १२ फिट ऊँची कॉस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। पैडिस्टल के दोनों ओर सफेद संगमरमर के लगभग ११ फिट ऊँचे दो हाथी लगाये जा रहे हैं। प्रवेश प्लाजा की गरिमा एवं सुरक्षा की दृष्टि से इसके तीनो ओर औसतन १० फिट ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित की गई है तथा इसके समीप ही गोमती नदी पर बनाये जा रहे नये पुल एवं एप्रोच रोड से गुज़रने वाले भारी यातायात के प्रदूषण से बचाने हेतु तथा भव्य स्वरूप देने के लिए प्रवेश प्लाजा के तीनों ओर की बाउण्ड्री वाल पर अन्दर तथा बाहर दोनो ओर से लाल ग्रेनाइट लगाया गया है। इस क्षेत्र में फाउन्टेन बनाकर इस पर भी लाल ग्रेनाइट लगाया गया है। बाउण्ड्री वाल के ऊपर ५ फिट ऊँची भालेदार रेलिंग लगाई गई है। प्रवेश प्लाजा के सामने एक बड़ा व दो छोटे गोलाकार गेट बनाकर उस पर ब्लैक ग्रेनाईट से क्लैडिंग तथा इसके सामने प्रवेश हेतु छोटे चबूतरे व सीढ़ियों पर लाल ग्रेनाइट लगाया गया है।

उक्त कार्यो के अतिरिक्त पुराने एक्वाडक्ट के स्थान पर २० फिट चौड़ा पुल बनाने तथा उसकी सतह पर सफेद ग्रेनाइट तथा दीवारों एवं मीनारों पर लाल ग्रेनाइट लगाया गया है। पुल के कॉलम एवं नीचे की ओर के भाग पर हेरिटेज फ़िनिशिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त उद्यान की बाउण्ड्रीवाल के किनारे चारों ओर २० फिट चौड़ी एवं लगभग ३ फिट गहरी वाटर–बाडी, जिसमें नीचे की सतह पर टाइल्स तथा ऊपर की ओर सफेद पत्थर (पेबल्स) की पिचिंग की जा रही है। २८ एकड़ क्षेत्रफल के इस विशाल उद्यान में आगन्तुकों तथा पर्यटकों के आवागमन हेतु इस वाटर बाडी पर ६ पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है जिसमें से ३ पुल पैदल चलने हेतु तथा ३ पुल वाहन हेतु होंगें। इनका निर्माण प्रगति पर है।

डॉ० अम्बेडकर उद्यान एवं स्थल के रखरखाव से सम्बद्ध व्यवस्था हेतु एक सर्विस सेन्टर बनाया गया है जिसमें ७ कमरे तथा टिकट घर स्थित है। इस काम्पलेक्स की दीवार कालम एवं गेट पर ब्लैक ग्रेनाइट क्लैडिंग, फ़र्श पर सफेद संगमरमर, बाउण्ड्री वाल एवं मीनारों पर लाल

(एन० [illegible])
अधीक्षक [illegible] अर्जन
[illegible] विकास [illegible], लखनऊ

ग्रेनाइट, टॉयलेटस् में टाइल्स तथा छत पर लाल टाइल्स लगाई गई हैं। शेष खुले हुए क्षेत्र पर कोटा स्टोन फ्लोरिंग की जा रही है।

प्रवेश प्लाजा के निकट लगभग १५ फिट ऊँचा स्थल बनाकर उस पर महात्मा गौतम बुद्ध की ५ फिट ऊँची प्रतिमा, तथा प्रतिमा स्थल के बगल में एक बोधि वृक्ष (पीपल) रोपित किया गया है। यह स्थल पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर का होगा तथा इस प्रतिमा स्थल के पास बाउण्ड्री वाल के किनारे–किनारे लाल ग्रेनाइट के पुष्प कुंज बनाये गये हैं।

शिलान्यास स्थल के सामने वाटर बाडी के दोनों ओर ब्लैक ग्रेनाइट एवं सफेद संगमरमर के विशिष्ट डिजाइन के दो बड़े फाउन्टेन बनाया गये हैं जिसके आस–पास के क्षेत्र में बैठने हेतु लाल ग्रेनाइट की सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसी प्रकार डॉ० अम्बेडकर उद्यान के चारों ओर सड़कों को चौड़ा करना, नाली बनाना, खड़ंजा लगाना, ट्री–गार्ड लगाना, वृक्षारोपण, पाथ–वे पर चेकर्ड टाइल लगाना, विद्युतीकरण, पोल की शिफ्टिंग, बरसाती नाले व सेन्ट्रल वर्ज का निर्माण करके इसमें घास आदि लगाई गई है।

उपरांकित कार्यों की निर्माण लागत एवं उस पर १५ प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्जेज सम्मिलित करते हुए अम्बेडकर स्थल के कार्य की अनुमानित लागत रू० ३६.१४ करोड़ तथा अम्बेडकर उद्यान के अन्य कार्यों की अनुमानित लागत रू० २४.१६ करोड़ अनुमानित है। इस परियोजना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये गये अनुदान से कराया जा रहा है। डॉ० अम्बेडकर स्थल का निर्माण कार्य उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम के पक्ष में सर्वनिम्न निविदा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। डॉ० अम्बेडकर उद्यान के अन्तर्गत दिनांक १४ अप्रैल १९९७ के पूर्व प्रस्तावित सभी कार्य प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों, जोकि अतिअल्प अवधि में कार्य को संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने की क्षमता एवं दक्षता रखते हैं तथा जिन्होंने इस हेतु अपनी वचनबद्धता प्रस्तुत की, के मध्य चयन के आधार पर स्वीकृत किया गया। इन कार्यों की दरें

(एस० डी० सिंह)
परीक्षण [illegible]
एल.डी.ए. विकास [illegible]

लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची १९९९ पर आधारित हैं जिन पर न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित न्यूनतम मज़दूरी के आधार पर कुल कार्य का ६.२५ प्रतिशत एप्रिसियेशन स्वीकृत किया गया। अन्य कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तीन दिन के नोटिस पर अतिअल्पकालीन निविदाएं मांग कर सर्वनिम्न निविदा के आधार पर विभिन्न ठेकेदारों से कराये जा रहे हैं। समय–समय पर निर्देशित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु यथा आवश्यकता स्वीकृत दरों के आधार पर सक्षम ठेकेदारों से आफ़र प्राप्त करके भी कार्य कराया गया है जिनमें प्रवेश प्लाज़ा से स्थल तक जाने हेतु पुल पर ग्रेनाइट लगाने एवं पुल की फ़िनिशिंग का कार्य, प्रवेश प्लाज़ा एवं शिलान्यास स्थल पर स्थापित किये जाने वाले संगमरमर के हाथियों का निर्माण मुख्य हैं। उद्यान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के आगणन सामान्य विशिष्टियों के आधार पर तैयार कर निविदाएं मांगी गयीं किन्तु कार्य की विशिष्टियों एवं मात्राओं में समय–समय पर होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इन कार्यों की विचलित राशि में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है, इनमें वॉटरबाडी, सेवा केन्द्र, बुद्धा स्थल मुख्य हैं।

डॉ० अम्बेडकर उद्यान व स्थल की परिकल्पना, डिज़ाइन, ड्राइंग व अन्य आर्ट वर्क अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार एवं वास्तुविद् श्री सतीश गुजराल की संस्था मै० डिज़ाइन प्लस द्वारा किया जा रहा है। वर्ष १९९५ में श्री सतीश गुजराल व लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य जो अनुबन्ध हुआ था उसके अनुसार उन्हें तत्कालीन अनुमानित लागत रू० ६ करोड़ के आधार पर एक मुश्त फीस (लगभग ८ प्रतिशत) रू० ७० लाख का भुगतान किया जाना था। परन्तु वर्तमान समय में इस परियोजना की लागत एवं स्ट्रक्चर की ऊँचाई में हुए परिवर्तन के कारण मूल परिकल्पना (कान्सेप्ट) में परिवर्तन एवं संशोधन के फलस्वरूप मै० डिज़ाइन प्लस द्वारा वर्ष १९९५ में आँके गये रू० ६ करोड़ के आगणन से अतिरिक्त लागत पर काउन्सिल आर्किटेक्चर द्वारा निर्धारित न्यूनतम ५ प्रतिशत फीस की मांग के अनुक्रम में विचार विमर्श कर कुल परियोजना लागत पर समग्र रूप से ५ प्रतिशत फीस अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति शासन से प्राप्त

(एम० पी० सिंह)

हो चुकी है।

डॉ० अम्बेडकर अतिथि गृह :-

राष्ट्रीय स्मारक डॉ० अम्बेडकर स्थल एवं उद्यान का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त विशिष्ट अतिथियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ देश–विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन भी बढ़ जायेगा। उल्लेखनीय है कि डॉ० अम्बेडकर उद्यान एवं डॉ० अम्बेडकर स्थल की ख्याति एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके निर्माण के दौरान ही भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री के०आर० नारायणन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा पांडिचेरी के राज्यपाल महामहिम श्री माताप्रसाद जी ने इसका भ्रमण किया था। अतः यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि डॉ० अम्बेडकर उद्यान के समीप ही विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए एक अतिथिगृह बनाया जाय। इसी क्रम में डॉ० अम्बेडकर उद्यान के समीप ही लगभग ७.४० एकड़ के प्रांगण पर बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर उद्यान अतिथि गृह एवं उसके समीप सर्विस एरिया का निर्माण किया जा रहा है जिसमें पार्किंग, रेस्टोरेन्ट एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इस अतिथिगृह के अन्तर्गत विशिष्ट अतिथियों के लिये २४ कक्ष तथा अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए ४ कक्ष, इस प्रकार कुल २८ कक्ष निर्मित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक ब्लाक में भूतल पर किचेन व डायनिंग हाल तथा प्रथम तल पर एक कान्फ्रेंस हाल निर्मित किया जा रहा है। वाहन चालकों के लिए एक डॉरमेट्री तथा सामने की ओर एक पोडियम जिस पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है का भी कार्य सम्मिलित है। सर्विस एरिया में १००–१०० व्यक्तियों की क्षमता के लिये २ रेस्टोरेन्ट, आगंतुकों की सुविधा हेतु ८ दुकानें तथा पुरुषों के लिए ३ तथा महिलाओं के लिए २ टॉयलेट ब्लाक प्रस्तावित है। डॉ० अम्बेडकर उद्यान की ख्याति एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह लगभग निश्चित है कि यहाँ पर समय–समय पर काफी अधिक लोग/पर्यटक समूह आयेंगें। अतः पार्किंग की सुविधा के लिये ६७ बस, ७६ कार/जीप एवं स्कूटर/साईकिल हेतु एक पर्किंग क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। इसी परियोजना के

(एस० पी० मिश्र)
अधीक्षण [illegible] अर्जन
[illegible]

अन्तर्गत पुराना कुकरैल नाला, जोकि कच्चा था, उसे ६०० मीटर लम्बाई में पक्का किया जा रहा है जिससे इसके बहाव के फैलाव को कम करके अधिक से अधिक भूमि उपयोग में लाई जा सके।

अतिथि गृह, सर्विस एरिया एवं नाले के निर्माण को सम्मिलित करते हुए उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना की अनुमानित लागत रू० २३११.४६ लाख है जिसको पूर्ण सितम्बर १९९७ तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान से इसका निर्माण किया जा रहा है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण इस परियोजना की नोडल एजेन्सी है।

डॉ० अम्बेडकर उद्यान, स्थल एवं अतिथि गृह की सम्पूर्ण परियोजना के स्वरूप की स्वीकृति मा० मंत्रि परिषद द्वारा प्रदान की गई है।

मंत्रि परिषद द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव – लोक निर्माण, प्रमुख सचिव – वित्त, सचिव – आवास सदस्य थे, द्वारा परियोजना का परीक्षण व्यय–वित्त समिति के तकनीकी प्रकोष्ठ के माध्यम से किया गया। तकनीकी प्रकोष्ठ के साथ श्री पी०सी० मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता, श्री एस०बी० मिश्रा, अधीक्षण अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री पी०जे० इंग्ले, महाप्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, श्री के०बी० बंसल, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, श्री अविनाश चन्द्रा, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम सम्बद्ध थे तथा समिति द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण एवं अनुमोदन किया गया। समिति के अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या ४०७६/१, आ–१–९७–२६–गृ०डी०/९६ दिनांक १८/८/१९९७ द्वारा परियोजना के व्यय एवं आगणन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रोजेक्ट एवं इसकी स्वीकृति के उपरान्त स्थल की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न तिथियों में यह निर्णय लिये गये कि स्थल पर सौन्दर्यीकरण के कुछ अन्य कार्य भी कराये जायें जिनमें

(ए० के० मित्र)
[illegible]

मुख्य रूप से एप्रोच ब्रिज के दोनो ओर फाउन्टेन, प्रवेश प्लाजा के पीछे की ओर बायी ओर के खुले क्षेत्र में एक सुंदर बागवानी व फाउन्टेन लगाने का कार्य तथा इस समस्त क्षेत्र में रेड सैंड–स्टोन लगाने का कार्य, उद्यान में बाउन्ड्रीवाल के किनारे पलावर बेड बनाने का कार्य, वाटर बॉडी एवं अम्बेडकर स्थल के मध्य के क्षेत्र में मिट्टी भराई का कार्य, ड्रेनेज व्यवस्था का कार्य इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं। इनके आगणन एवं विस्तृत प्रस्ताव शासन को पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

महाराजा बिजली पासी के किले पर विकास कार्य :- लखनऊ–बिजनौर रोड पर बंगला बाजार के आगे दाहिने ओर लगभग २० एकड़ क्षेत्र में महाराजा बिजली पासी का पुराना किला स्थित है। इस किले के ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुरक्षित रखने हेतु लगभग १३७३ मीटर लम्बाई में ७ फिट ऊँची बाउण्ड्रीवाल, ४ फिट ऊँची ग्रिल तथा प्रवेश हेतु ३२ फिट लम्बा एवं १८ फिट ऊँचा प्रवेश द्वार निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस किले के प्रांगण में १० फिट ऊँचे पैडेस्टल पर महाराजा बिजली पासी की १० फिट ऊँची प्रतिमा स्थापित की जायेगी। मुख्य द्वार से मूर्ति के स्थान तक जाने के लिये रेड सैन्ड स्टोन/टाइल लगाकर पाथ–वे का निर्माण तथा प्रांगण के भीतर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी की जायेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले इस कार्य पर रू० १.२५ करोड़ का व्यय अनुमानित है तथा बाउण्ड्रीवाल की चुनाई, ग्रिल, गेट व स्टेप्स का कार्य ३० जून १९९७ तक एवं फिनिशिंग आदि का कार्य १५ जुलाई १९९७ तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना हेतु अनुदान राज्य सरकार द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जा रहा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका :- चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व एवं अतिक्रमण से मुक्त की गई २.६६ एकड़ भूमि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। इस पार्क में बाउण्ड्रीवाल तथा उस पर लगाये जाने वाले ग्रिल के अतिरिक्त एक मुख्य द्वार, एक पार्श्व द्वार तथा फव्वारा, पाथ–वे एवं केन्द्रीय स्थान पर ११ फिट ऊँचे पैडेस्टल पर पंडित दीनदयाल

(एस० के० मित्र)

उपाध्याय की ६ फिट ऊँची काँस्य प्रतिमा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस पार्क की बाउण्ड्रीवाल, ग्रिल तथा चारों ओर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है तथा पार्क का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कुल कार्यों की अनुमानित लागत रू० १४० लाख है

रेजीडेन्सी : लखनऊ नगर के कैसरबाग क्षेत्र में स्थित रेजीडेंसी की बाउण्ड्रीवाल एवं ग्रिल का निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सहमति से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुल अनुमानित व्यय रू० ३५ लाख है।

लक्ष्मण पार्क, मुखर्जी पार्क एवं राजा जिया लाल पार्क :- लखनऊ महानगर को पार्कों का नगर बनाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हजरतगंज क्षेत्र में स्थित पार्कों का विकास एवं निर्माण किये जाने की श्रंखला में लक्ष्मण पार्क, मुखर्जी पार्क एवं राजा जिया लाल पार्क को सम्मिलित करते हुए इसकी बाउण्ड्री वाल तथा ग्रिल का निर्माण, लक्ष्मण पार्क में फौव्वारा, पाथ–वे, वाटर बाडी, प्रकाश व्यवस्था, वृक्षारोपण इत्यादि कार्य कराये जायेंगें। जिनकी कुल अनुमानित लागत रू० १३२ लाख है।

कैसरबाग :- पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसरबाग क्षेत्र में सआदतअली खाँ मकबरा पार्क की बाउण्ड्रीवाल, ग्रिल एवं अन्य विकास कार्य, बटलर पार्क, राजाराम सिंह पार्क, रामपाल सिंह पार्क जैसे हैरिटेज जोन के निर्माण एवं विकास कार्यों पर रू० २५ लाख का व्यय प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

राजकीय महिला महाविद्यालय :- लखनऊ नगर में शिक्षा संस्थाओं का, विशेष रूप से महिलाओं के लिए विद्यालयों का अभाव महसूस किया जाता रहा है। महिलाओं के लिए एक राजकीय महाविद्यालय अलीगंज क्षेत्र में निर्माणाधीन है जिसके अर्न्तगत २६००० वर्गफिट कवर्ड क्षेत्र में शिक्षण कक्ष एवं भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की लागत

रू० १०३ लाख अनुमानित है तथा इसका निर्माण कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। दूसरा राजकीय महाविद्यालय राजाजीपुरम में रू० ८८ लाख की लागत से निर्माणाधीन है।

अन्य पार्क :-

कालीदास मार्ग स्थित पार्क के निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत वाउण्ड्रीवाल, ग्रिल का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया जाना है जिस पर रू० ७ लाख का व्यय प्रस्तावित है। चौक स्थित लोहिया पार्क का जीर्णोद्धार, रेलिंग लगाना, फौव्वारे बनाये जाना तथा समुचित प्रकाश व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जिस पर अनुमानित व्यय रू० ३० लाख है। त्रिवेणी नगर स्थित तुलसी नगर की वाउण्ड्री वाल एवं वृक्षारोपण के कार्य पर रू० ५ लाख का व्यय प्रस्तावित है। ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए टिकैतराय तालाब में ग्रिल, गेट, लॉन, झूले,शूट, सीढ़ियों इत्यादि का निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था किया जाना है। इन कार्यों पर रू० २५ लाख के व्यय का प्रस्ताव है। बेगम हजरतमहल पार्क की वाउण्ड्री वाल लगभग २० वर्ष पुरानी है तथा अत्यन्त ही जीर्ण स्थिति में है। इसकी वाउण्ड्री का पुर्ननिर्माण प्रस्तावित है जिस पर रू० २० लाख का व्यय अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि बेगम हजरत महल पार्क में दो ओर से प्रवेश हेतु दो विशाल भव्य प्रवेश द्वार कुछ समय पूर्व निर्मित किये गये हैं। इसी प्रकार हरदोई रोड पर बालागंज चौराहे के समीप अतिक्रमण हटाने के उपरान्त वहाँ पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क को चौड़ा कर चौराहे पर 'राउन्ड अबाउट' विकसित कर गांधी मूर्ति स्थापित किये जाने का कार्य प्रस्तावित है जिस पर रू० ३० लाख का व्यय अनुमानित है।

अवस्थापना एवं सुविधाओं का विकास :- लखनऊ नगर के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए तथा सुगम यातायात व्यवस्था हेतु रिंग रोड के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। फैजाबाद रोड – सीतापुर रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर यातायात प्रारम्भ हो गया है। हरदोई रोड से सीतापुर रोड को मिलाने वाली रिंग रोड का कार्य काफी प्रगति पर है। रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड के लिए रिंग रोड बनाये जाने हेतु

मंडी परिषद द्वारा गोमती नदी पर एक सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। इसके पूर्ण होने के उपरान्त रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड तक रिंग रोड का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इसके अतिरिक्त गोमती नदी पर एक नए सेतु 'गाँधी सेतु' का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

(१) शहर के ट्रांसपोर्टर्स को अन्यत्र बसाने के दृष्टिकोण से ट्रांसपोर्टनगर की स्थापना की जा चुकी है और ट्रांसपोर्टर्स को वहाँ स्थापित किये जाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(२) शहर की जलापूर्ति समस्या के निराकरण के लिए १०० एम०एल०डी० की क्षमता के द्वितीय वाटर वर्क्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है और ट्रांसगोमती क्षेत्र की जलापूर्ति की समस्या के निराकरण हेतु तृतीय वाटर वर्क्स बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(३) अलीगंज से विकासनगर तथा उसके आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों की जलभराव की समस्या के समाधान हेतु एक नाले का निर्माण किया जा रहा है जिसे कुकरैल नाले से जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यापक पैमाने पर नगर निगम द्वारा नालों की सफाई की जा रही है जिससे जलभराव की समस्या का समाधान हो सके।

(४) स्वतंत्रता के पचास वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी निराश्रित एवं असहाय लोगों की आवासीय समस्या हल नहीं हो सकी है इसके लिए आश्रयविहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से रू० ५, रू० १० एवं रू० १५ प्रतिदिन की दर से आश्रय योजना प्रारम्भ की गयी है। समाज के ऐसे वर्ग जिसकी नियमित आय के साधन नहीं हैं एवं अनाधिकृत रूप से झुग्गी–झोपड़ी में निवसित हैं, उन्हें हटाकर इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल १ लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

तथा केवल लखनऊ शहर में इस योजना के अन्तर्गत १०६०० आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(एल० पी० मित्रा)

कार्यों का विवरण

कमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
	डॉ० अम्बेडकर उद्यान				
1-	पुरानी बाउण्ड्री का पुर्ननिर्माण एवं नवीन ग्रिल लगाने का कार्य	41.90	पूर्ण	25.42	अल्प अवधि के कारण पंजीकृत विभागीय ठेकेदारों के मध्य चयन के आधार पर कार्य स्वीकृत किया गया
2-	कुकरैल नाले की ओर पाइल फाउण्डेशन पर आधारित नवीन बाउण्ड्री वाल का निर्माण	47.39	पूर्ण	38.00	– तदैव–
3-	शिलान्यास स्थल पर संगमरमर आदि लगाने तथा शिलालेख लगाने का कार्य	82.93	पूर्ण	76.27	– तदव –
4-	शिलान्यास स्थल के सामने नाले की डिवाटरिंग एवं पट का कार्य	3.40	पूर्ण	2.00	– तदव –
5-	उद्यान के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल के किनारे वाटरवाडी का निर्माण एवं इस पर टाइल लगाने का कार्य	416.79	70%	261.70	प्रथम चरण में चैनल का कार्य ऑफर के आधार पर तत्पश्चात शेष कार्य हेतु तीन दिन के नोटिस पर निविदा के आधार पर।
6-	फिल्टरेशन प्लान्ट	30.00	-	-	–
7.	नवीन बाउण्ड्री के लिए मृदा परीक्षण का कार्य	1.28	पूर्ण	0.64	कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं अल्प अवधि के दृष्टिगत ऑफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।

कमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
8-	विभिन्न स्थानों पर साईन बोर्ड लगाने, ग्रिल पेन्टिंग एवं स्नोसम का कार्य।	3.00	पूर्ण	1.40	अल्पावधि को देखते हुए ऑफर के आधार पर।
9-	वाटरबाडी पर मोटरेबिल एवं पेडस्ट्रियन पुलों का निर्माण	152.66	80%	136.60	कम समय को देखते हुए तीन दिन के नोटिस पर निविदा एवं तदनुसार प्राप्त दरों पर अन्य एजेन्सी से ऑफर लेकर स्वीकृत किया गया।
10-	प्रवेश प्लाला का निर्माण एवं इस पर स्क्रो रेड ग्रेनाइट व व्हाइट ग्रेनाइट लगाने का कार्य	212.94	पूर्ण	192.00	प्लाजा का निर्माण ऑफर के आधार पर तथा ग्रेनाइट लगाने का कार्य निविदा के आधार पर स्वीकृत किया गया।
11-	उद्यान के बाहर ग्रीन बेल्ट के लिए छोटी बाउण्ड्री का निर्माण, ब्रिक–आन एज पेवमेन्ट व 45.00 मीटर चौड़ी सड़क पर डिवाइडर का निर्माण	36.90	पूर्ण	31.89	ऑफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।
12-	प्रवेश प्लाजा से डॉ० अम्बेडकर स्थल तक पहुंच हेतु पुराने वायाडक्ट को तोड़कर नये पुल का निर्माण एवं इस पर ग्रेनाइट लगाने का कार्य।	77.92	पूर्ण	68.00	तीन दिन के नोटिस पर निविदा आमन्त्रित की गई तथा ग्रेनाइट के कार्य हेतु उद्यान में पूर्व स्वीकृत दरों के आधार पर कराया गया।
13-	प्रवेश प्लाजा के सामने नवीन बाउण्ड्री एवं आर्चयुक्त विशेष आर्कीटेक्चरल डिजाइन के गेट का निर्माण	24.10	पूर्ण	–	आफर के आधार पर।
14-	गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित किया जाने हेतु सफेद मकराना संगमरमर के बुद्ध स्थल का निर्माण एवं प्रवेश प्लाजा के सामने नवीन बाउण्ड्री वाल पर ग्रेनाइट क्लेडिंग का कार्य।	97.93	पूर्ण	76.15	तीन दिन के नोटिस पर निविदा आमन्त्रित पर न्यूनतम निविद के आधार पर आर्कीटेक्चरल डिजाइन व ड्राइंग का कार्य चयन के आधार पर स्थानीय वास्तुविद से।

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
15-	प्रवेश प्लाजा पर दायी ओर डा० अम्बेडकर उद्यान की रूप रेखा का शिलापट एव पेडस्टल का निर्माण।	8.60	60%	-	तीन दिन के नोटिस पर निविदा आमन्त्रित कर न्यूनतम निविदा के आधार पर।
16-	आर्च वाल्ट डोम युक्त विशिस्ट आर्कीटेक्चरल डिजाइन के सर्विस काम्पलेक्स का निर्माण, पाथ वे, विशिष्ट व्यक्तियों हेतु लेन एवं इसके साथ छोटी बाउण्ड्री का निर्माण	155.38	पूर्ण	91.00	तीन दिन के नोटिस पर निविदा आमन्त्रित कर न्यूनतम निविदा के आधार पर।
17-	निकास द्वार का ब्लैक ग्रेनाइट क्लैडिंग का कार्य।	4.50	पूर्ण	3.00	– तदैव –
18-	डा० अम्बेडकर उद्यान के अन्तर्गत आने वाल कुकरैल नाले के जल भराव क्षेत्र (गड्ढा) में मिटटी भराई कर उसे समतल करने का कार्य	10.32	पूर्ण	10.00	– तदैव –
19-	बुद्ध स्थल के चारो ओर खुले क्षेत्र में तथा प्रवेश प्लाजा के पीछे की ओर सैण्ड स्टोन की फ्लोरिंग का कार्य।	37.00	पूर्ण	-	पैडेस्ट्रियन पुल के कार्य को विचलन प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया।
20-	इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की बाउण्ड्री के किनारे सड़क का निर्माण कार्य।	8.63	60%	6.00	तीन दिन की नोटिस पर निविदा आमन्त्रण के आधार पर।
21-	14 अप्रैल के पूर्व उद्यान के एक भाग की समतलीकरण स्थल की ड्रेसिंग आदि का सिंश्रित कार्य।	2.68	पूर्ण	2.68	आफर के आधार पर

(एस० बी० मित्र)
अधीक्षण अभियन्ता अर्जुन
लखनऊ विकास [illegible]

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
22-	विद्युतीकरण, नलकूप बोरिंग, फाउन्टेन के विद्युत/ यांत्रिक कार्य एवं अन्य कार्य।	61.83	90%	50.00	विभागतीय रूप से आफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।
23-	स्थल एवं उद्यान में लैण्डस्केपिंग का प्रस्तावित कार्य।	-	-	-	अभी तक इसका विस्तृत डिजाइन व विवरण तैयार नहीं हुआ। अतः इसका अनुमोदन नहीं किया गया है विवरण प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जायेगा।
24-	आर्कीटेक्ट की फीस	150.00	-	119.10	कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं अल्प अवधि के दृष्टिगत आफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।
25-	आर्कीटेक्ट का टी.ए. एवं डी.ए०	10.00	–	4.00	– तदैव –
26-	उद्यान एवं हाथी का मॉडल तथा अन्य कन्सल्टेन्सी व्यय	5.00	पूर्ण	5.00	– तदैव –
	उद्यान/स्थल एवं अतिथि गृह परिसर से सम्बन्धित वाहय विकास कार्य				
27-	बरसाती पानी के निकासी हेतु नाले का निर्माण, सडकों पर डिवाइडर व आई लैण्ड का निर्माण।	55.00	पूर्ण	39.29	अति अल्पकालीन निविदा के आधार पर स्वीकृत किया गया।
28-	सडकों को चौडा करना, बी०एम० व एस०डी०सी० कार्य	96.45	पूर्ण	90.00	विभागीय रूप से आफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।

(एस० पी० मिश्र)
अधीक्षण अभियन्ता अर्जुन
प्रधानक विकास प्राधिकरण

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
29-	ताज होटल की बाउन्ड्री के किनारे एवं अतिरिक्त लेन का निर्माण कार्य। आर्ट वर्क	20.00	पूर्ण	12.00	तीन दिन के नोटिस पर निविदा आमंत्रित कर स्वीकृत किया गया।
30-	शिलान्यास स्थल पर 6 फिट ऊंचे तथा प्लाजा पर 11 फिट 1.5 इंच ऊंचे स्टेनलेस के दो-दो हाथियों का निर्माण।	55.00	पूर्ण	35.00	कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं अल्प अवधि के दृष्टिगत आफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।
31-	अम्बेडकर स्थल के प्रवेश द्वार के लिए रेड सैण्ड के आठ हाथियों का निर्माण।	76.00	30%	25.00	अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर स्वीकृत किया गया।
32-	अम्बेडकर स्थल हेतु 15 फिट ऊंची ब्रान्ज प्रतिमा	35.00	20%	32.00	कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं अल्प अवधि के दृष्टिगत आफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।
33-	डा० अम्बेडकर के जीवन के चार म्यूरेल बनाने का कार्य	35.00	20%	17.50	कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं अल्प अवधि के दृष्टिगत आफर के आधार पर स्वीकृत किया गया।

(एस० पी० चित्रे)

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
	गत पृष्ठ से... कन्टीन्जेन्सी @ 1% सेन्टेज	2055.53 20.55 215.69			प्राधिकरण के कार्यों पर 12.5%, वास्तुविद द्वारा डिजाइन किए गये कार्यों पर 11.5% तथा आर्ट वर्क पर, 6.25% की दर से ।
34-	भूमि का मूल्य	124.67	-	-	28 एकड़ भूमि की लागत आवासीय दर का 10% अर्थात रुपये 110/- प्रति वर्ग मीटर दर से आंकलित।
	योग	2416.44		1451.64	
35-	डा० अम्बेडकर स्थल का निर्माण एवं अम्बेडकर उद्यान में विद्युतीकरण का कार्य	3420.50	20%	784.21	एयर पोर्ट अथारिटी द्वारा शार्ट लिस्टेड संस्थाओं के मध्य प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित की गयी निविदाओं में न्यूनतम निविदा के आधार पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की निविदा स्वीकृत की गयी।
	कन्टीजेंसी @ 1% सेन्टेज @ 6.25%	34.20 215.92			
	योग	3670.62			

अतिथि गृह एवं जनसुविधा परिसर

28

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन	प्रगति		विवरण एवं पद्धति
			भौतिक	वित्तीय	
1-	डा० अम्बेडकर उद्यान अतिथिगृह				डिपाजिट कार्य के रूप में कास्ट + सेन्टेज के आधार पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है।
	सिविल कार्य	1040.51	90%	900.00	
	विद्युत कार्य	206.70	80%	130.00	
2-	जलपान गृह, शापिंग काम्पलेक्स व टवायलेट ब्लाक	186.17	90%	170.00	– तदैव –
3-	अतिथि गृह समीप कुकरैल नाले को पक्का करने एवं बंधे का निर्माण	212.24	90%	170.00	– तदैव –
4-	अतिरिक्त कार्य				
	अ– मार्ग नाले आदि	98.66	80%	50.00	– तदैव –
	ब– वाहय विद्युतीकरण	45.81	80%	30.00	– तदैव –
5-	भूमि का मूल्य	521.38			4 एकड व्यवसायिक भूमि रुपये 3000/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से तथा 8 एकड़ मनोरंजनात्मक एवं हरित पट्टी भूमि रुपये 110/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से।
	योग	2311.46		1450.00	

एम० ए० मिश्रा
[illegible] अभियन्ता-[illegible]
विकास प्राधिकरण

अनु०
विषय संख्याः 5

पृष्ठ संख्याः 29

विषयः **गोमती नगर योजना में निर्माणधीन अम्बेडकर उद्यान के अन्तर्गत सेवा केन्द्र व बुद्ध प्रतिमा स्थल की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बंध में।**

गोमती नगर योजना में निर्माणधीन अम्बेडकर उद्यान के कार्यों के निरीक्षण एवं प्रगति समीक्षा उच्चाधिकारियों द्वारा दिनांक 26.4.97 को की गयी। विचार– विमर्श के समय यह निर्णय लिया गया कि अम्बेडकर स्थल की सुरक्षा, स्वच्छता एवं पवित्रता बनाये रखने के दृष्टिकोण से प्रवेश प्लाजा के प्लेटफार्म के बाद निर्मित सेतु के दोनों ओर प्रस्तावित पुलिस पोस्ट, प्रशासनिक ब्लाक एवं केफेटेरिया को निर्मित न किया जाये। इसके स्थान पर बाउन्ड्री वाल के बाहर उपयुक्त स्थान पर सेवा केन्द्र निर्मित किया जाये। विचार– विमर्श के उपरांत प्रवेश प्लाजा के समीप ही पार्किंग हेतु छोड़े गये स्थल को सेवा केन्द्र हेतु सर्वोपयुक्त पाया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस स्थल पर विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर व आर्कीटेक्चर का भवन बनाया जाय जिसमें स्वीपर, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पुलिस, प्रशासनिक एवं टिकटघर के कक्ष स्थापित किये जायें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रवेश प्लाजा प्लेटफार्म के बायी ओर खिला क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार का पैडस्टल बनाकर उस पर भवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाये।

बुद्ध प्रतिमा हेतु प्लेटफार्म व पैडेस्टल का निर्माण दिनांक 30.5.97 तक तथा सेवा केन्द्र का निर्माण 45 दिनों में पूर्ण करने के भी निर्देश प्रदान किये गये। विचार– विमर्श के समय यह भी अपेक्षा की गयी कि इनकी ड्राइंग तत्काल तैयार कराकर अगले समीक्षा/ निरीक्षण के समय प्रस्तुत की जाये।

उच्चाधिकारियों की अपेक्षाओं व निर्देशों के अनुरूप विशेष आर्कीटेक्चर व आर्च डोम युक्त प्लेटफार्म सेवा केन्द्र की डिजाईन हेतु प्राधिकरण के वास्तुविदों को पर्याप्त समय न होने तथा अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण तथा समबद्धता व कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी डिजाइन किसी ख्याति प्राप्त निजी वस्तुविद से कराया जाना उचित पाया गया। इसी क्रम में प्राधिकरण के पेनल पर अंकित कुछ वास्तुविदों से व्यक्तिगत रूप से उक्त डिजाइन उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया गया साथ ही जलीगंज में प्रस्तावित महिला महाविद्यालय की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुविदों से भी सम्पर्क किया गया। कुछ वास्तुविदों द्वारा प्रारम्भिक ड्राइंग उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 29.4.97 को पुनः स्थल निरीक्षण के समय प्राप्त प्रारम्भिक ड्राइंग पर विचार– विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निजी वास्तुविदों में मेसर्स म्यूरेलेज

.....2

द्वारा दी गयी प्रारम्भिक ड्राइंग का अनुमोदन किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अम्बेडकर उद्यान के निर्माण हेतु नियुक्त आर्कीटेक श्री सतीश गुजराल की कार्यपरिधि में उक्त सेवा केन्द्र व बुद्ध प्रतिमा पैडस्टल आदि कार्य सम्मिलित नहीं है, अतः इसके लिए अलग से ही आर्कीटेक्ट की नियुक्त किया जाना होगा। लखनऊ के आर्कीटेक्ट होने से यह भी लाभ होगा कि कार्य के निस्पादन के समय दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन/ परिवर्धन के विषय में अत्यन्त अल्प अवधि में त्वरित गति से विचार-विमर्श एवं निर्णय सम्भव होगा तथा आर्कीटेक्ट द्वारा निर्माण का निरीक्षण भी प्रायः की किया जा सकेगा। बुद्ध प्रतिमा हेतु पैडस्टल तथा सेवा केन्द्र का निर्माण अत्यन्त अल्प अवधि में पूर्ण किया जाना है।

शासनादेश संख्या 2/9-आ-5-92-23 ई0ए0/91 दिनांक 22.1.92 के अनुसार निजी वास्तुविदों को अनुबंधित किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। चूंकि बुद्ध प्रतिमा हेतु पैडस्टल कैनोपी आदि का निर्माण दिनांक 30.5.97 तक पूर्ण किया जाना है तथा सेवा केन्द्र का निर्माण दिनांक 20.6.97 तक पूर्ण किया जाना है। अतः अनुबंधित किये जाने के पूर्व प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना संभव नहीं प्रतीत होता है। कार्य की आवश्यकता एवं समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए निजी वास्तुविद मेसर्स म्यूरलेज से बुद्ध प्रतिमा स्थल के पैडस्टल कैनोपी तथा सेवा केन्द्र की डिजाईन/ ड्राइंग आदि का कार्य करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनंबंधित कर लिया गया था तथा इनके द्वारा निर्धारित समय में समस्त डिजाईन/ ड्राइंग आदि उपलब्ध करायी गयी है जिससे निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। इस कार्य हेतु मेसर्स म्यूरेलेज को नियमानुसार परियोजना लागत का 2 प्रतिशत की दर से फीस दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

अतः डा0 अम्बेडकर उद्यान में निर्मित किये जाने वाले सेवा केन्द्र एवं बुद्ध प्रतिमा स्थल की पैडस्थल,कैनोपी की डिजाइन आदि का कार्य निजी वास्तुविद मेसर्स म्यूरलेज से कराने एवं इन्हें प्रोजेक्ट की लागत का 2 प्रतिशत धनराशि फीस के रूप में भुगतान करने की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनु०
विषय संख्याः 6

पृष्ठ संख्या 31

विषयः **स्व0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।**

चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप स्टेशन रोड पर के0के0सी0 कालेज के सामने स्थित तिकोने भू-भाग को अतिक्रमण मुक्त कर उसे पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार दिनांक 16.6.97 को माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस स्मृतिका की बाउन्ड्री वाल लोक निर्माण विभाग द्वारा, प्रतिमा नगर निगम द्वारा तथा अन्य सभी कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जायेंगे।

विभिन्न स्तरों पर हुए विचार- विमर्श में यह निर्णय भी लिया गया कि इस स्मृतिका को एक 'लैन्ड मार्क' के रूप में विकसित किया जाये। प्राधिकरण के वास्तुविदों को इस प्रकार के विशिष्ट कार्य हेतु पर्याप्त अनुभव न होने तथा इनकी व्यस्तता प्राधिकरण के अन्य कार्यों में होने के कारण यह उचित प्रतीत होता है कि इस स्मृतिका की डिजाइनिंग का कार्य किसी ख्याति प्राप्त निजी वास्तुविद से करा लिया जाये, जिसे ऐसे कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो। चूंकि इसका निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है अतः निर्माण कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जाना है। लखनऊ का वास्तुविद होने पर यह भी लाभ होगा कि दिन प्रतिदिन उनके द्वारा निर्माण कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा यदि कोई परिवर्तन/ परिवर्धन आवश्यक होगा तो उस पर तत्काल विचार- विमर्श व निर्णय हो जायेगा। इससे कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सकेगा।

इस हेतु लखनऊ के कुछ प्रतिष्ठित वास्तुविदों से सम्पर्क किया गया तथा प्रारम्भिक डिजाइन उपलब्ध कराने हेतु कहा गया ताकि उस पर निर्णय कर कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। मेसर्स स्काई लाइन द्वारा जो विकल्प व प्रारम्भिक डिजाइन उपलब्ध कराये गये उसे विचार- विमर्श के उपरांत उचित पाया गया। शासनादेश दिनांक 22.1.92 के अनुसार निजी वास्तुविद के चयन के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है परन्तु कार्य की आवश्यकता तथा समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए उचित पाया गया कि मेसर्स स्काई लाइन से स्मृतिका की डिजाइन

.....2

(एस० सी० मिश्रा)

का कार्य करा लिया जाये तथा इन्हें नियमानुसार परियोजना लागत का 2 प्रतिशत फीस भुगतान की जाये।

अतः पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की डिजाइन का कार्य मेसर्स स्काई लाइन से कराने तथा परियोजना लागत का 2 प्रतिशत फीस भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विषय प्राधिकर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

Like

(दयाल सिंह)

विषय संख्याः 7 पृष्ठ संख्याः 33

विषयः विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत तथा उसी योजना में आवंटित भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

आख्याः

एक योजना के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को विभिन्न कारणों (जैसे- न्यायिक विवाद, विकास कार्य पूर्ण न होना, अवैध कब्जा हो जाने या प्रस्तावित भवनों का निर्माण न होने आदि) से उसी योजना अथवा अन्य योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने के अनेक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण संलग्न तालिका में अंकित किया गया है।

चूंकि एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुमन्य हो सकता है, अतः संलग्न तालिका में अंकित प्रकरणों में दूसरी योजना/उसी योजना में परिवर्तन/समायोजन की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

महायोजना मार्ग(वजीर हसन रोड) की चौड़ाई के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 मे वजीर हसन रोड को 24 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 40 फिट से लेकर 50-55 फिट तक उपलब्ध है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वजीर हसन रोड तथा गोमती बन्धे के मध्य "वजीर हसन रोड योजना" के नाम से इस क्षेत्र का विकास किया गया था, जिसके अन्तर्गत वजीर हसन रोड को 18 मीटर(60 फिट) दर्शाते हुए 10 x 20 मीटर के भूखण्ड विभिन्न पक्षों को उपलब्ध कराये गये थे, जिन की रजिस्ट्री के सम्बन्ध मे लीज़प्लान मे वजीर हसन मार्ग को 18 मीटर चौड़ा दर्शाया गया है। इन भूखण्डों के स्वामियों को सामने की ओर 3.0 मीटर तथा पीछे की ओर 3.0 मीटर एवं साइड मे एक ओर 1.62 मीटर सेटबैक छोड़ते हुए भवन निर्मित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

वर्तमान लखनऊ नगर की महायोजनानुसार, जिसमे वजीर हसन मार्ग को 24 मीटर चौड़ा दर्शाया गया है। इसके अनुसार जो भूखण्ड लखनऊ विकास-प्राधिकरण द्वारा 18 मीटर चौड़े मार्ग पर दर्शाये गये हैं, उसके अनुसार पहले 3.0 मीटर सड़क को चौड़ा करने के लिए सेटबैक छोड़ना होगा, इसके उपरान्त 3.0 मीटर सामने का सेटबैक लीज़प्लान के अनुसार छोड़ना होगा, तबनिर्माणकार्य किये जाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार आवंटियों से 3.0 मीटर की चौड़ाई मे सामने की ओर किये जाने वाले निर्माण कार्य की अनुमति किया जाना सम्भव न होगा। आवंटियों को लीज़प्लान मे अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल के अपेक्षाकृत आच्छादित क्षेत्रफल भी कम मिलेगा।

लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना के प्रारूप मे, संभवतः वजीर हसन मार्ग को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित नही था। अतः प्राधिकरण द्वारा यह माना गया कि इस मार्ग की चौड़ाई योजनानुसार 18 मीटर की होगी। अतः किसी प्रकार की आपत्ति/सुझाव लखनऊ नगर की महायोजना के प्रारूप पर प्रस्तुत नही किया गया। महायोजना को अन्तिम रूप देने के समय वजीर हसन मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर दर्शा दी गयी है, जो कि अनुमोदित एवं क्रियान्वित योजना मे अंकित 18 मीटर मार्ग की चौड़ाई के विपरीत है।

इस सम्बन्ध मे वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-193 के मानचित्र पर इस बिन्दु पर राय प्राप्त करने के लिए पत्रांक 1048/सी.टी.-पी./97, दिनांक 26.7.97 को, संयुक्त नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम -

क्रमशः .....

-नियोजन विभाग को प्रेषित किया गया था। जिस पर उनसे सुझाव प्राप्त हुआ है कि इस विषय की व्यावहारिक कठिनाई के निस्तारण हेतु लखनऊ-विकास प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत करके निर्णय प्राप्त किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों मे वजीर हसन रोड की चौड़ाई को पुनर्निर्धारित किये जाने का विषय प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रेषित है।

(जी.पी. श्रीवास्तव)
मुख्य नगर नियोजक।

कार्यालय सहयुक्त नियोजक, लखनऊ संभागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रसंख्या 1188 /लखनऊ-म0यो0/97-98 दिनांक 5-7-97

सेवामें,

मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ ।

विषय:- भूखण्ड संख्या 193 वजीर हसन रोड के सामने स्थित महायोजना मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया प्राधिकरण के पत्र संख्या 1043/सीटीपी/97 दिनांक 26-6-97 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। संलग्न मानचित्र, पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं व्यवहारिक कठिनाइयों का अध्ययन किया गया । चूंकि लखनऊ संशोधित महायोजना शासन से स्वीकृत तथा 20 फरवरी, 1992 से लागू हो चुकी है अत: महायोजना में विद्यमान इस व्यवहारिक कठिनाई के समाधान हेतु उचित होगा कि इस मामलें को प्राधिकरण की बैठक में रखकर विचार-विमर्श के उपरान्त ही निर्णय लिया जाये ।

भवदीया,

(वेताकी मुखर्जी)
सहयुक्त नियोजक

अनुपूरक वि.सं.: 9

प्रस्ताव

पृष्ठ: 38

विषय:- श्री मनोहर भार्गव द्वारा ट्रस्ट के भूखण्ड संख्या-4, लालबाग पर निर्मित निर्माण के शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:- श्री मनोहर भार्गव द्वारा ट्रस्ट के भूखण्ड संख्या-4, लालबाग पर सर्व प्रथम दिनांक 3-7-82 को चतुर्थ तल के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मानचित्र प्रस्तुत किया था। (पक्ष द्वारा मानचित्र जमा करने हेतु प्रस्तुत शुल्क की रसीद के अनुसार ज्ञात होना) कुछ समय बाद पक्ष द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत हुए चतुर्थ तल पर निर्माण कर लिया गया। उसके उपरान्त दिनांक 3-9-91 को पक्ष द्वारा चतुर्थ तल के शमन मानचित्र की स्वीकृति हेतु शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। पक्ष द्वारा प्रस्तुत नगर महापालिका के कर निर्धारण प्लान की नकल दिनांक 1-4-76 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर भूतल से तृतीय तल तक का निर्माण निर्मित होना ज्ञात होता है। भूतल से पंचम तल का कुल एफ0ए0आर0 606.88% आता है। (बेसमेन्ट के निर्माण को छोड़कर) R.B.O. Direction-1960 के प्राविधानों के अनुसार 75% भूतल आच्छादन एवं सड़क के दूसरे किनारे से 45अंश के कोण पर खींची गयी रेखा से नीचे तक की ऊंचाई के अनुसार 55फुट अनुमन्य थी तथा महायोजना 1973 के प्राविधानों के अनुसार भूतल आच्छादन 65% तथा एफ0ए0आर0-300अनुमन्य था। वर्तमान महायोजना 2001 के अनुसार भूतल आच्छादन 30% व एफ0ए0आर0-200 अनुमन्य है। हजरतगंज क्षेत्र में केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र के उपनियमों में 45फुट ऊंचाई तक ही निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। स्थल दोनों महायोजना में केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में पड़ता है। नगर महापालिका के कर निर्धारण प्लान की नकल वर्ष 1-4-76 के अनुसार भूतल आच्छादन 100% निर्मित होना वर्ष 1971 से पूर्व का उल्लिखित करता है, जबकि स्थल पर निर्माण 54'-3" ऊँचा स्थित है। (छत पर निर्मित ममटी व फायर की अनापत्ति आख्या के क्रम में पानी की टंकी को रखने हेतु निर्मित छत को छोड़कर) उपरोक्त के सम्बन्ध में नीचे लिखित निम्न बिन्दुओं पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय वांछित है।

---2/

Adv. 28/8/87

§1§ नगर महापालिका के कर निर्धारण प्लान को नक्शा दिनांक 1-4-76 के अनुसार भूतल से तृतीय तल के निर्माण § जो कि वर्ष 1971 से पूर्व का निर्मित होना उल्लिखित है§। तथा दिनांक 3-9-91 को ही पक्ष द्वारा चतुर्थ तल के निर्माण हेतु प्रस्तुत शमन मानचित्र पर तत्समय लागू उपविधि की दरों पर शमन किया जाना§ क्योंकि दिनांक 1-11-92 से पूर्व के शमन प्रकरण तत्समय लागू शमन उपविधि की दरों पर तत्समय शमन किये जाते थे§ अथवा वर्तमान प्रचलित शमन उपविधि 1996 की दरों पर शमन किया जाना। चूँकि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28,28 के अन्तर्गत पक्ष द्वारा भूतल से चतुर्थ तल तक किये गये परिवर्तन / परिवर्धन § जिसका वर्तमान स्वरूप होटल का है§ के विरुद्ध प्रवर्तन विभाग द्वारा समय समय पर की गयी कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए शमन उपविधि लागू करने पर निर्णय।

§2§ प्रश्नगत निर्माण का कुल प्राप्त एफ0ए0आर0 486·03 § भूतल से चतुर्थ तल तक आर्केड व गली के प्रोजेक्टेड कवरेज तथा पंचम तल के ममटी को छोड़कर § तथा भूतल से लेकर पंचम तल तक आर्केड व गली के प्रोजेक्टेड कवरेज को सम्मिलित करके कुल प्राप्त एफ0ए0आर0 606·88 जो कि पूर्व में प्रचलित R.B.O. Direction – 1960 एवं महयोजना 1973 तथा वर्तमान प्रचलित महायोजना 2001 से अधिक है, पर छूट/ शिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में।

§3§ वर्तमान महायोजना 2001 में केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में 45फुट ऊँचाई तक के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है जबकि पक्ष के निर्माण की कुल ऊँचाई 54'-3" है। अत: ऊँचाई में छूट दिये जाने पर निर्णय यदि शमन हेतु निर्णय लिया जाता है।

§4§ वर्तमान में पक्ष के पास पार्किंग हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं है अत: वर्तमान में प्रचलित शमन उपविधि 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत पार्किंग हेतु शमन शुल्क लेकर शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

§5§ प्रश्नगत भूखण्ड हैरिटेज जोन में दर्शित अमजद अली का मकबरा से 52·80 मीटर की दूरी पर स्थित है, के प्रभाव के सम्बन्ध में। उल्लेखनीय है कि मकबरे के आस पास कुछ भवन लगभग इसी ऊँचाई के निर्मित है।

§6§ पक्ष द्वारा गली में निकाले गये प्रोजेक्शन§ प्रथम तल से पंचम तल तक§ एवं आर्केड के ऊपर अनुवर्ती तलों पर किये गये निर्माण पर नगर निगम की अनापत्ति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त शमन किये जाने के सम्बन्ध में। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल का लाइन एवं सामने के समस्त भूखण्डों पर छज्जा एवं आर्केड के ऊपर निर्माण निर्मित है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

2/8/97

अनुपूरक विषय संख्या-10

बोर्ड मीटिंग हेतु प्रस्ताव

लखनऊ बिकास प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन चौक के समीप स्थित डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लक्ष्मण जी पार्क एंव राजा जिया लाल पार्क को एक सम्मिलित पार्क के रूप में बिकसित करने हेतु एक योजना धनांक 132.00 लाख की शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु भेजी गयी है । इस पार्क को एकल रूप में बिकसित किये जाने पर माननीय आवास एंव नगर बिकास मंत्री जी के द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी हैं ।

योजना का ले-आउट प्लान प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक कार्यालय से उपलब्ध कराया गया था जिसके आधार पर ही योजना शासन भेजी गयी है तथा उसी के अनुरूप स्थल पर कार्य कराया जा रहा है । यह पार्क लखनऊ के महत्वपूर्ण बाजार हजरतगंज से सटी हुयी है तथा इसके तीन ओर सडक है तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों एंव इमारतो के बिलकुल नजदीक है तथा यहपार्क 132.99 लाख रूपये व्यय कर बनवायी जा रहीं है। अतः उचित होगा कि लखनऊ शहर के बिख्यात आर्कीटेक्स/लैन्ड स्केप आर्कीटेक्स से डिजायन के अनुरूप पार्क बिकसित किया जा सके । इस प्राधिकरण को प्राईवेट आर्किटेक्ट का व्यय बहन करना होगा परन्तु लखनऊ शहर की सुन्दरता में और अधिक बढोत्तरी हो जायेगी तथा पार्क को नया स्वरूप भी प्राप्त हो जायेगा

अतः आर्किटेक्स के पैनल से किसी बिख्यात आर्कीटेक्स को लक्ष्मण जी पार्क ले-आउट प्लान एंव बिस्त्रित डिजाइने उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति वाछित हैं ।

अधिशासी अभियन्ता-I/-
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय:- श्रीमती रंजना तक्तेना को अलीगंज योजना के भूखण्ड तं0-डी/।8/एच,के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:- श्रीमती रंजना तक्तेना को अलीगंज योजना मे भूखण्ड तं0-डी/।8/एच, आवंटित हुआ है। आवंटी द्वारा देय धनराशि समय से जमा करदी थी। आवंटित भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया तथा उसकी रजिस्ट्री एवं कब्जा भी दिया जा चुका है।श्रीमती तक्तेना को वैकल्पिक भूखण्ड दिया जाना है अलीगंज योजना में कोई भूखण्ड रिक्त नही है।श्री मती तक्तेना द्वारा गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने हेतु सहमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी बोड बैठक में रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः श्री मती रंजना तक्तेना को अलीगंज योजना के सेक्टर"एच" में आवंटित भूखण्ड संख्या बी-।8 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन/ आवंटन किये जाने हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

30/8/15

विषय संख्या :

विषय श्री प्रभुवन राम एवं श्री हरि प्रसाद मिश्रा को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विपुल खण्ड में आवंटित भवन के स्थान पर गोमती नगर के किसी खण्ड में भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या:

श्री प्रभुवन राम एवं श्री हरि प्रसाद मिश्रा को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में आशीष प्रकार का एक भवन आवंटित किया गया था परन्तु स्थल पर भवनों का निर्माण न होने के कारण इनको भवन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है। इन्होंने यह अनुरोध किया है कि विपुल खण्ड के अन्तर्गत भवन न मिल पाने के कारण उन्हें गोमती नगर योजना के ही किसी खण्ड में भवन के स्थान पर भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय ।

अतः श्री प्रभुवन राम एवं श्री हरि प्रसाद मिश्रा को आवंटित भवन के स्थान पर गोमती नगर योजना के किसी खण्ड में भवन के स्थान पर भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३० अगस्त, १९९७

का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

१.	श्री देश दीपक वर्मा	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
२.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
३.	श्री जय शंकर मिश्र	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ।
४.	श्री वरिश कुमार	विशेष सचिव, आवास विभाग।
५.	श्री आर.प्रसाद,	अपर निदेशक, पर्यटन विभाग।
६.	श्री मुरली धर	अपर निदेशक, उद्योग विभाग।
७.	ई.एस.एम. हम्माद,	मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जलनिगम।
८.	श्री एम.पी. अनेजा	वरिष्ठ नियोजक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
९.	श्री बृजलाल रावत	सभासद/सदस्य, ल.वि.प्रा.।
१०.	श्री विजय शंकर बाजपेयी	सभासद/सदस्य, ल.वि.प्रा.
११.	श्री शिव कुमार	सभासद/सदस्य, ल.वि.प्रा.।
१२.	श्रीमती उमा शंकरी लोधी	सभासद/सदस्या, ल.वि.प्रा.।
१३.	श्री राम आधार सिंह	सदस्य, ल.वि.प्रा.।

क्रमशः——

१४.	श्री सियाराम	प्रवक्ता, ल.वि.वि./सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
१५.	श्री जयपाल सिंह	संस्थापक/प्रबन्धक, रानी लक्ष्मी बाई स्कूल एवं सदस्य, ल.वि.प्रा.।
१६.	श्री आर.एन.सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया तथ सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का अभिवादन किया गया।

विषय संख्याः १ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्याः २ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। आख्या का अवलोकन करते समय विषय संख्याः४ अमर शहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फलाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध मे कृत कार्यवाही पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों को बैठक मे बुलाकर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

विषय संख्याः ३ — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। विशेष रूप से व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण एवं रेन्ट सम्पत्ति के निस्तारण से हुई उपलब्धियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित अधिकारी अपर सचिव एवं अनुसचिव-आर श्री राम प्रकाश सिंह द्वारा किये गये कार्यों की सराहना उपाध्यक्ष द्वारा बैठक मे की गई। समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि व्यवसायिक सम्पत्ति के निस्तारण से ८.४७ करोड़ रुपये तथा किराये की सम्पत्ति की बिक्री से रू० २.६६ करोड़ की आय प्राधिकरण को प्राप्त हुई है।
इसी प्रकार बल्क सेल की सम्पत्ति के विक्रय से रू० १०.०० करोड़ की आय प्राप्त की गई। इसके लिये श्री के.बी. सक्सेना, कास्ट एका. एवं इको.प्लानर द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की गई।

विषय संख्याः ४ — लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्ययक लेखा तथा बैलेन्स शीट ८९-९०, ९०-९१ तथा ९१-९२ पर आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई बैलेन्स शीट वर्ष ८९-९०, ९०-९१ एवं ९१-९२ का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई की बैलेन्स शीट बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की गई एवं निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक मे वर्ष १९९५-९६ तक की बैलेन्स शीट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायें।

विषय संख्याः ५ — नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन डिजाइन हेतु प्राइवेट वास्तुविद के चयन के सम्बन्ध में।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि आर्किटेक्ट्स का नया पैनल यथा-शीघ्र चयनित किया जाये। अन्यथा भविष्य मे इस प्रकार की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमशः——

विषय संख्याः ६

कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के पदनाम परिवर्तन से सम्बन्धित।

निर्णयः

विचारोपरान्त कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर "लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता" पदनाम रखे जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि, शासन को इसकी सूचना भेज दी जाये।

विषय संख्याः ७

श्री मानसिंह अवर अभियन्ता एवं श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णयः

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री मानसिंह अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री राम कुमार शुक्ला(वर्कचार्ज सुपरवाइजर) को किडनी के आपरेशन हेतु रु० २५,०००/- का अनुदान मानवीय आधार पर अपवाद स्वरूप स्वीकृत किया जाता है परन्तु भविष्य मे इसे दृष्टान्त न बनाया जाये।

विषय संख्याः ८

न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रु० ३७५/- निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः

विचारोपरान्त शासनादेश संख्याः श-३-१६१२/दस-९१८-८७, दिनांक २७.६.९० के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः ९

ब्राइट-वे स्कूल को भूखण्ड आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णयः

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त ब्राइट-वे स्कूल को सेक्टर-एफ में आवन्टित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल ४२०९ व.मी. के स्थान पर सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत ही सेक्टर एच भाग-२ मे ५,३१९.७५ वर्ग.मी. का भूखण्ड स्कूल प्रयोजन हेतु आवन्टित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य वर्तमान दर से प्राप्त किया जायेगा।

विषय संख्याः १०

उ.प्र.चीनी निगम को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड मे कार्यालय प्रयोजन हेतु आवन्टित भूमि से सलग्न हरित पट्टिका की भूमि आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमशः——

विषय संख्याः ११ हरित पट्टिका/सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव मे उल्लिखित शर्तो के अधीन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय सेवाकेन्द्र को ५०० वर्गमीटर भूमि एवं "दि इटरनल ट्रस्ट" लखनऊ को १००० वर्गमीटर भूमि रू० ९०० प्र.वर्ग मीटर की दर से आवन्टित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि सचिव, ल.वि.प्रा. यह सुनिश्चित कर लें कि यह भूमि ग्रीन बेल्ट की न हो। संस्थागत प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि ही इस प्रयोजन हेतु आवन्टित की जा रही है।

विषय संख्याः १२ भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय विभिन्न शुल्क लगाये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित शुल्क लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः १३ शमन उपविधि के प्राविधानों से सम्बन्धित।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव मे प्रस्तावित शर्तें प्राधिधानित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः १४ शमन उपविधि, १९९६ लागू होने से पूर्व के प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार कर पन्द्रह दिन मे संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की उपसमिति गठित की गई-

१. सचिव, ल.वि.प्रा.
२. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.,
३. कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इको.प्लानर
४. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (संयोजक(

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि शासनादेश द्वारा इस निमित्त कानपुर विकास प्राधिकरण के लिये किये गये प्राविधानों को ल.वि.प्रा. के लिये भी लागू किया जा सकता है।

विषय संख्याः १५ — सुदृढ़ीकरण एवं विकास शुल्क से सम्बन्धित।

निर्णयः — सुदृढ़ीकरण एवं विकास शुल्क वसूल किये जाने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित प्राविधानों को क्रियान्वित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः १६ — मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम्प्लेक्सेस में भू-तल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखा जाना।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बेसमेन्ट को केवल पार्किंग की सुविधा हेतु अनुमन्य किया जाये तथा भू-तल को केवल पार्किंग हेतु अनुमन्य रखे जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु निम्नांकित समिति गठित की गई-

१. सचिव, ल.वि.प्रा.
२. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.
३. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.।
४. श्री राम आधार सिंह

उक्त समिति अपनी संस्तुतियां पन्द्रह दिनों के अन्दर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी तथा इस समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगे।

विषय संख्याः १७ — दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ल.वि.प्रा. की पूर्व बैठक दिनांक ९ नवम्बर, १९९५ के अन्य प्रस्ताव के बिन्दु-३ के अन्तर्गत "सेवारत या सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र तथा राज्य सरकार के निगमों व प्राधिकरणों के अधिकारियों, कर्मचारियों को आवन्टित सम्पत्ति के परिवर्तन शुल्क रु० ३५,०००/- तक माफ़ किये जाने के अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रदान किये गये हैं। अब इस सुविधा का लाभ उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा जन-सामान्य के परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने के प्रकरणों में भी अपने विवेक से उपर्युक्त सीमा तक गुण-अवगुण का परीक्षण कर प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही अन्य बिन्दुओं का विश्लेषण कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने हेतु एक उपसमिति का भी गठन किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगेः-

क्रमशः———

१. सचिव, ल.वि.प्रा.
२. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.
३. कास्ट एका.इकोनामिक प्लानर (संयोजक)

विषय संख्याः १८

श्री कैलाश शंकर अवस्थी को आवन्टित भूखण्ड संख्याः बी-२/४८, विपुल खण्ड, गोमती नगर पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्याः १९

गोमती नगर योजना मे श्री गोपाल कृष्ण, माननीय सदस्य विधान सभा के भूखण्ड के प्रति देय दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।

निर्णयः

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-१३- मई, २५ नवम्बर/२दिसम्बर, १९९३ के अन्तर्गत पूर्व मे जो निर्णय लिया जा चुका है कि गोमती नगर द्वितीय चरण के अन्तर्गत किसी भी आवन्टी का दण्ड ब्याज माफ न किया जाये। इस निर्णय मे अपवाद स्वरुप कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व मे लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय संख्याः ३०
अनु.विषय संख्याः ७

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवन्टित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत तथा उसी योजना मे आवन्टित भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः

विचारोपरान्त कार्यवृत्त के साथ संलग्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव मे उल्लिखित १२, ८ एवं 3 प्रकरण मे सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

क्रमशः——

अनु. विषय संख्याः १ — लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक- १९९७-९८

निर्णयः — लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक, १९९७-९८ पर विचारोपरान्त इस उपबन्ध सहित स्वीकृति प्रदान की गई कि जन-प्रतिनिधि, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के सदस्य नामित है वे अपनी आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, तो दस दिन के अन्दर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा देंगे जिनका यथा-सम्भव समावेश मूल-आय व्ययक मे अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरान्त किया जा सकेगा।

अनु.विषय संख्याः २ — सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिभा कुमारी की भूमि के सामायोजन का प्रस्ताव।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु. विषय संख्याः ३ — हरदोई रोड़ योजना के अन्तर्गत रिवर व्यु. सहकारी आवास समिति की भूमि के बदले ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

अनु. विषय संख्याः ४ — प्रदेश की राजधानी, लखनऊ के विकास के लिये प्राधिकरण द्वारा परिचालित विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध मे टिप्पणी।

निर्णयः — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अम्बेडकर उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों मे विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया। अम्बेडकर उद्यान के कार्यों के विषय मे अवगत कराया गया कि कार्यवाही शासन स्तर पर सम्पन्न की जा चुकी है।

अनु. विषय संख्याः ५ — अम्बेडकर उद्यान के अन्तर्गत सेवा केन्द्र व बुद्ध प्रतिमा स्थल की डिजाइन निजी सलाहकार से कराने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनु. विषय संख्याः ६ — स्व. प. दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनु. विषय संख्याः ८ — महायोजना मार्ग (जंजीर हरान रोड) की चौड़ाई के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेने हेतु निम्नांकित उपसमिति गठित की गई

१. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.
२. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.,
३. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (संयोजक),
४. श्री विजय शंकर बाजपेयी

अनु. विषय संख्याः ९ — श्री मनोहर पार्क व्यास ट्रस्ट भूखण्ड संख्या-४, लालबाग पर निर्मित निर्माण के शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

अनु. विषय संख्याः १० — परिवर्तन चौक के समीप स्थित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लक्ष्मण जी एवं जियालाल पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु निजी आर्किटेक्ट अनुबन्धित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिया लाल पार्क का अलग अस्तित्व बना रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए सौन्दर्यीकरण कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय की
अनुमति से अन्य विषय

१. वकीलों का नया पैनल शीघ्र पुर्नगठित किये जाने के निर्देश दिये गये।

२. सम्पत्ति विभाग मे पांच वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियो के स्थानान्तरण शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

३. विकसित कालोनियों को यथा-शीघ्र नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त मे उपाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

10/9/97
(आर. एन. सिंह)
सचिव

11.9.97
(जे. एस. मिश्र)
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

(देश दीपक वर्मा)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	आवंटी का नाम	किस योजना से	किस योजना में परिवर्तन किया गया
1.	2.	3.	4.
1.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	गोमती नगर में भवन	गोमती नगर में भूखण्ड
2.	श्री बरखू राम वर्मा	गोमती नगर में भवन	गोमती नगर में भूखण्ड
3.	श्रीमती मायावती	प्रियदर्शिनी में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
4.	" मीना गेहरोत्रा	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
5.	" गीता गुप्ता	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
6.	डा0 विजय शंकर शुक्ला	अलीगंज में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
7.	श्री जनार्दन गुप्ता	गोमती नगर में भूखण्ड	कानपुर रोड में भूखण्ड
8.	" जे0पी0प्रताप	टिकैतराय में भवन	कानपुर रोड में भवन
9.	श्रीमती दीप्ति सिंह	गोमती नगर में भवन	गोमती नगर में भूखण्ड
10.	श्री मुकेश बाबू शुक्ला	गोमती नगर में भवन	गोमती नगर में भूखण्ड
11.	" राज नारायण सिंह	शारदा नगर में भवन	गोमती नगर में भवन
12.	" पुनीत श्रीवास्तव एवं "एस0के0श्रीवास्तव	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
13.	श्री नृपेन्द्र मिश्र	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
14.	" बी0एल0अग्रवाल	प्रियदर्शिनी में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड.
15.	श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
16.	" निर्मला भारती	अलीगंज में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
17.	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	विपुल में पंजीकरण	गोमती नगर में भूखण्ड
18.	" बनवारी लाल कंछल	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
19.	" गोमती यादव	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
20.	" राघव राम मिश्र	शारदा नगर में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
21.	श्रीमती रंजना सक्सेना	अलीगंज में भूखण्ड	गोमती नगर में भूखण्ड
22.	श्री हरि प्रसाद मिश्रा	विपुल खण्ड में भवन	गोमती नगर में भूखण्ड
23.	" प्रभुदत्त राम	विपुल खण्ड में भवन	गोमती नगर में भूखण्ड

10/7/97